

8.1 एक केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र अनेक तरीकों से बैंकों सहित अन्य वाणिज्यिक संगठनों से चारित्रिक रूप से अनुपम और अलग होता है। यह एक अर्थव्यवस्था में इसकी विविध भूमिकाओं और दायित्वों के वित्तीय परिणामों का चित्रण करता है। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह लेखा सिद्धांतों और समष्टि नीतियों के संगम को प्रतिबिंबित करता है। मौद्रिक प्राधिकारी होने के नाते एक केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र इसकी मौद्रिक देयताओं के आस्तित्व सृजन समर्थन परिणामों की अनन्य विशिष्टता को दर्शाता है। एक केंद्रीय बैंक सामान्यतः देश में मात्र मुद्रा जारी करने वाला प्राधिकारी ही नहीं वरन् अर्थव्यवस्था में मूल्य और विदेशी मुद्रा स्थायित्व के प्रति भी उत्तरदायी होता है, और अक्सर उसे वित्तीय स्थिरता के हित में सरकार के बैंकर और वित्तीय व्यवस्था के नियामक के विशिष्ट कार्य भी सौंपे जाते हैं। एक केंद्रीय बैंक के विविध कार्यगत दायित्वों की पारस्परिक क्रिया, समष्टि अर्थतंत्र के विभिन्न पक्षों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है तथा जिसके, बाहरी राजकोषीय और मौद्रिक क्षेत्रों में निहितार्थ होते हैं। एक केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र का विकासक्रम सामान्यतः एक अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय बैंक के मुद्रा प्राधिकारी और बैंकिंग तथा वित्तीय बाजार के नियामक के रूप में भूमिका जो विकास गतिक्रम में गहरे रूप में जुड़ी होती है, को दर्शाती है। इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के विकास क्रम जैसा कि उसके तुलन पत्र में प्रतिबिंबित होते हैं, का एक विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।¹

8.2 अध्याय का शेष भाग निम्नप्रकार आयोजित किया गया है। भाग I, एक केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र की विहंगात्मक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह एक केंद्रीय बैंक की मुख्य देयताओं और आस्तियों पर प्रकाश डालता है तथा प्राथमिक मौद्रिकरण जो तुलन पत्र में प्राथमिक मुद्रा सृजन में निहित है, का विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण दर्शाता है। इस अनुभाग में, वर्तमान साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण भी समाहित है। भाग II में, केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्र के संदर्भ में पार देशों के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें, अन्य अनेक मुद्दों, जिसमें केंद्रीय बैंकों के बीच उनकी आस्तियों और दायित्वों के गठन, पूंजी रिज़र्व की स्थिति शामिल हैं, के संदर्भ में अंतर को समाहित किया गया है तथा विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच उत्तर-दायित्वों के विभाजन पर भी प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय बैंकों की पूंजी और रिज़र्व स्थिति पर विचार तथा विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच लाभ

वितरण क्रिया प्रणाली पर भी इस भाग में प्रकाश डाला गया है। बदलते समष्टि आर्थिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र पर, मौद्रिक नीति के विकास क्रम व्यवस्था अंतरणों के संदर्भ में, विस्तृत चरण-वार विश्लेषण अनुभाग III में प्रस्तुत किया गया है। विचारणीय अवधि के दौरान हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाने की दृष्टि से विकासात्मक चरण (1935-1949), आधार चरण (1950-1964) सामाजिक नियंत्रण चरण (1968-1990) तथा वित्तीय उदारीकरण चरण (1991 से आगे), के लिए अलग-अलग विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भाग IV रिज़र्व बैंक के लाभ हानि खाते का विश्लेषण करता है। रिज़र्व बैंक के आय और व्यय के घटकों की चर्चा करने के अतिरिक्त, इस भाग में केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित किए जानेवाले लाभ पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्याय V, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उजागर करता है। खास तौर से तीन विशिष्ट मुद्दों की जांच करता है, यथा (क) केंद्रीय बैंक के खातों में पारदर्शिता (ख) केंद्रीय बैंकों में जोखिम प्रबंध और (ग) आकस्मिकता रिज़र्व/अध्याय छः रिज़र्व बैंक की वित्तीय विवरणियों पर नीतिगत कार्यों से होनेवाले प्रभावों से उपजित मुख्य निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करता है और उभरते मुद्दों की रूपरेखा भी।

I. केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र का विश्लेषण

8.3 एक केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र, उसके विविध कार्यों, खास तौर से मुद्रा प्राधिकारी के रूप में उसकी भूमिका तथा सरकार और बैंकों के बैंकर के रूप को प्रतिबिंबित करता है। इन भूमिकाओं के निर्वहन में, केंद्रीय बैंक, आम जनता की मांग की आपूर्ति हेतु मुद्रा जारी करता है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराता है, इस प्रकार व्यवस्था में नए रूप में धनराशि लाता है जो बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा गुणक प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति सृजन का आधार बनती है।

8.4 एक केंद्रीय बैंक विशिष्ट रूप से दो प्रकार की देयताओं को उपगत करता है, यथा (क) मौद्रिक देयताएं तथा (ख) गैर मौद्रिक देयताएं (सारणी 8.1) एक केंद्रीय बैंक के मौद्रिक देयताओं में मुद्रा और बैंक रिज़र्व शामिल होते हैं। केंद्रीय बैंक को पास बैंकों के रिज़र्व या केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमाओं के आकार तीन घटकों पर

¹ अध्याय में भारतीय रिज़र्व बैंक के लाभ-हानि खाते पर चर्चा भी सम्मिलित है।

निर्भर करते हैं, नामतः अपेक्षित रिजर्व, निपटान शेष जमा राशि और आधिक्य रिजर्व। गैर-मौद्रिक देयताओं में, सरकारें विशिष्ट प्रकार से उनकी नकदी शेष जमा राशियाँ, केंद्रीय बैंक जो कि सामान्यतः उनका एक मात्र बैंकर होता है, के पास रखती हैं। पूंजी खाते में, प्रदत्त पूंजी, अक्सर पूर्णतः राज्य अभिदत्त और रिजर्व जो आकस्मिकताओं और विवेकपूर्ण प्रयोजनों के अतिरिक्त पुनर्मूल्यांकन खातों के लिए रखे जाते हैं, शामिल होंगे। विविध देयताओं जैसे देय बिल 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत समूहीकृत किए जाते हैं।

8.5 आस्ति की ओर, अधिकांश केंद्रीय बैंक 'मौद्रिक स्वर्ण' दिखाना जारी रखे हुए हैं। राष्ट्रीय मुद्रा के समर्थन में रखी आस्तियों की गुणवत्ता इस तथ्य से और मजबूत होती है कि निवेश जो घरेलू सरकारों या विदेशी सरकारों के राजकीय कागजों तक ही सीमित होते हैं, वे अक्सर विदेशी मुद्रा में रखे जाते हैं। यद्यपि कुछ वाणिज्य कागज स्वीकार करते हैं, अधिकांश केंद्रीय बैंक श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में ही लेनदेन को वरीयता देते हैं क्योंकि उसमें चूक जोखिम की सहगामी वस्तु अनुपस्थित होती है। (जेलमर 2001) केंद्रीय बैंक उनकी सरकारों को तथा बैंकों को साख / ऋण सुविधाएं (विशेषकर पुनर्वित्त) भी उनके बैंकर्स होने के नाते या कभी कभी शेष वित्तीय क्षेत्र की चलनिधि समर्थन के रूप में भी उपलब्ध कराते हैं।² गैर-वित्तीय आस्तियाँ जैसे भूमि और भवन और प्राप्य बिलों को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तथापि वे केंद्रीय बैंक की वित्तीय आस्तियों के आयामों की तुलना में नगण्य ही होती हैं।

8.6 केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में अंतर्निहित प्राथमिक मुद्रीकरण के विस्तार का आकलन इसकी आस्तियों और देयताओं, रिजर्व मुद्रा या उच्च चलित मुद्रा, जो मुद्रा स्टॉक निश्चयन के मुद्रा गुणक सिद्धांत के लिए केंद्रीय महत्व की है, का एक विश्लेषीकृत सार्थक निर्माण कर

सारणी 8.1: केंद्रीय बैंक का एक शैलीकृत तुलन-पत्र

देयताएं	आस्तियां
1	2
1. प्रदत्त पूंजी	1. ऋण और अग्रिम
2. प्रारक्षित निधि	जिसमें से: सरकार
3. मुद्रा	बैंक
4. केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ	अन्य
5. सरकारी जमाएं	2. निवेश
	जिसमें से: राजकीय प्रतिभूतियाँ
	विदेशी आस्तियाँ
	3. स्वर्ण
6. अन्य देयताएं	4. अन्य आस्तियाँ
कुल देयताएं (1 से 6)	कुल आस्तियाँ (1 से 4)

पुनर्रचना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रिजर्व मुद्रा की रचना के प्रयोजन के लिए एक केंद्रीय बैंक की मौद्रिक और गैर मौद्रिक देयताओं (और आस्तियों) के बीच एक भिन्नता बनाए रखी जाती है क्योंकि रिजर्व मुद्रा की आस्तियां और दायित्वों के स्रोतों (आस्तियों) और घटकों (देयताओं) की पहचान के लिए इनकी पुनर्रचना की जाती है। वास्तव में एक केंद्रीय बैंक की अनेक देयताएं चारित्रिक रूप से गैर मौद्रिक होती हैं, क्योंकि ये देयताएं स्वयं की होती हैं (जैसे रिजर्व) या गैर तरल (जैसे पुनर्मूल्यांकन खाते) सरकार की शेष जमा राशि भी विशेष प्रकार से गैर मौद्रिक मानी जाती है, क्योंकि सरकार आम तौर से, अपनी कागजी मुद्रा सृजन क्षमता के कारण केंद्रीय बैंक के साथ मुद्रा जारी करने वाली मानी जाती है। इस प्रकार, मौद्रिक विश्लेषण 'मौद्रिक देयताओं' जो मुख्यतः केंद्रीय बैंक के साथ मुद्रा और बैंक जमाओं के रूप में होता है जिसे अक्सर रिजर्व मुद्रा कहा जाता है, पर प्रकाश डालता है। (सारणी 8.2)

8.7 केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र, व्यवस्था में प्राथमिक चलनिधि का प्रवाह प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार विश्लेषणात्मक चलनिधि प्रबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय बैंक के शैलीकृत तुलनपत्र का विश्लेषणात्मक विघटन प्राथमिक चलनिधि जो केंद्रीय बैंक द्वारा स्वत्व और विवेकाधीन चलनिधि को विलग करने के लिए दी जाती है, उपयोगी हो सकती है (बोरियो 1997)। जबकि स्वायत्त चलनिधि बैंकों को उपलब्ध प्राथमिक चलनिधि, जो केंद्रीय बैंक के नियमित

सारणी 8.2: रिजर्व मुद्रा का विघटन

घटक	स्रोत
1	2
1. मुद्रा	1. केंद्रीय बैंक का सरकार को निवल ऋण (ए+बी+सी)
2. केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमाएं	ए) सरकार को ऋण और अग्रिम
	बी) राजकीय प्रतिभूतियों में निवेश
	सी) केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमाएं
	2. बैंकों एवं अन्य को ऋण एवं अग्रिम
	3. केंद्रीय बैंक की निवल विदेशी आस्तियाँ (ए+बी)
	ए) विदेशी आस्तियों में निवेश (निवल)
	बी) स्वर्ण
	4. निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (ए+बी+सी+डी)
	ए) प्रदत्त पूंजी
	बी) प्रारक्षित निधि
	सी) अन्य देयताएं
	डी) अन्य आस्तियाँ
रिजर्व मुद्रा (1+2)	रिजर्व मुद्रा (1+2+3+4)

² अधिकांश केंद्रीय बैंक, बैंकिंग व्यवस्था को अंतिम उधारदाता के रूप में कार्य करते हैं।

कार्यकलाओं जैसे मुद्रा प्राधिकारी, बैंकों एवं सरकार के बैंक, को समेटे होती है, विवेकाधिकार चलनिधि का आकलन केंद्रीय बैंक के मुद्रा बाजार परिचालनों एवं मुद्रा प्राधिकारी की बाजार चलनिधि के प्रति प्रतिक्रिया से आंकी जा सकती है।

8.8 एक केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं का आकार और गठन, अर्थव्यवस्था में किसी एक दिए गए समय पर वित्तीय वहनता की सामर्थ्य और परिणामित मुद्रीकरण के स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। जैसे जैसे किसी देश में बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क का विस्तार होता जाता है, वित्तीय एजेन्टों में बैंकिंग आदतों का अंतर्निवेश होता जाता है जिसका परिणाम नकदी की मांग से बैंक जमाओं की ओर प्रवृत्त होना होता है। जितनी कम नकदी की मांग होगी, बैंकिंग व्यवस्था से उतना ही कम क्षरण होगा, जो मौद्रीकरण के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होगा। बैंकिंग गतिविधियों में विस्तार और मौद्रीकरण के उच्च स्तर विशिष्ट रूप में, केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में, बढ़ते बैंक रिज़र्व, जो अंतर बैंक - निपटान आवश्यकताओं और विवेकपूर्ण और नीतिगत कारणों से अनिवार्य हो जाते हैं, के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। तथापि भुगतान और निपटान प्रणाली के और परिपक्व चरण में, एक सुदृढ़ विनियमित समाशोधन नेटवर्क के साथ निपटान प्रयोजनों के लिए अधिक रिज़र्व की वांछनीयता उल्लेखनीय रूप से कम हो जाती है। कम नकदी की मांग के साथ कम बैंक रिज़र्व

आवश्यकताएं अक्सर केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र के घटते हुए आकार में परिणित होती हैं। दूसरी ओर एक केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र में आस्ति गठन वित्तीय विकास की अवस्था से परिचालित होता है। वित्तीय विकास के प्रारंभिक चरण में, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष निभाव से तुलन-पत्र का आकार बढ़ता है और राजकीय कागज की धारिता भी बढ़ती है। वित्तीय बाजारों के विकास के साथ ही, आम तौर से मुद्रा प्रबंध के परोक्ष लिखतों की ओर मुड़ते नजर आते हैं तथा एक केंद्रीय बैंक का तुलन-पत्र, इसके बाजार परिचालनों के प्रभाव को अधिकार रूप से प्रतिबिंबित करता है। जबकि मौद्रिक प्रबंध के प्रत्यक्ष लिखतों के उपयोग द्वारा (अर्थात् रिज़र्व आवश्यकताओं) एक केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्रों को सीधे प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष लिखतों (खुले बाजार परिचालनों) द्वारा बाजार सहभागियों के तुलन-पत्र, केंद्रीय बैंक नीतिगत कार्यों से इसके अपने तुलन-पत्र पर प्रभावों के पश्चात प्रकट होते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से उन्नत व्यवहार दशा के साथ, केंद्रीय बैंक की आस्तियों और देयताओं के गठन और उतार-चढ़ाव संभवतः और ज्यादा प्रकटीपरक होंगे।

केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र पर मौद्रिक परिचालनों का प्रभाव

8.9 इस परिप्रक्ष्य में, इस प्रकार के नीति परिचालनों का केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र पर प्रभाव का विश्लेषण महत्वपूर्ण होगा। (सारणी 8.3)

सारणी 8.3: विभिन्न मौद्रिक नीति लिखतों के अंतर्गत तुलन-पत्र में उतार चढ़ाव

मौद्रिक नीति लिखत	परिचालन	केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में उतार चढ़ाव		
		मौद्रिक आधार	निवल घरेलू आस्तियां	बैंक रिज़र्व
1	2	3	4	5
1. स्थायी सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none"> पुनर्वित्त सुविधा के माध्यम से उच्च ऋण जमा सुविधा के माध्यम से उच्च जमा 	-	-	-
2. खुले बाजार परिचालन	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतियों या रिपोज की एक मुश्त खरीद प्रतिभूतियों या रिवर्स रिपोज की एक मुश्त बिक्री 	-	-	-
3. विदेशी मुद्रा परिचालन	<ul style="list-style-type: none"> विदेशी मुद्रा की खरीद विदेशी मुद्रा अदला-बदली (विदेशी मुद्रा की हाजिर खरीद और अगाऊ बिक्री) 	-	अपरिवर्तनशील	-
4. रिज़र्व आवश्यकताएं	<ul style="list-style-type: none"> रिज़र्व अनुपात में वृद्धि <ul style="list-style-type: none"> अल्पकालीन मध्यकालीन रिज़र्व अनुपात में कमी <ul style="list-style-type: none"> अल्पकालीन मध्यकालीन 	-	-	-
		अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित
		-	-	-
		अनिश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित

स्रोत : सहचेन्तर ए (2001) 'मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन और केंद्रीय बैंक का तुलन-पत्र' आई एम एफ कार्यकारी पेपर, डब्ल्यू पी/01/149

रिज़र्व आवश्यकताओं में बदलाव

8.10 अधिकांश केंद्रीय बैंकों को, बैंकों की पात्र मांग और मीयादी देयाताओं पर नकदी रिज़र्व आवश्यकताएं लगाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। रिज़र्व आवश्यकताओं में परिवर्तन, तुलन पत्र तथा बैंक चलनिधि में रिज़र्व मुद्रा, लाभप्रदता के गठन में बदलाव ला देता है। नकदी रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन, देयताओं की ओर मुद्रा और रिज़र्व के अनुपात को बदल देता है। आस्ति की ओर प्रभाव विशिष्ट मुद्रा परिवेश पर निर्भर करेगा। विशिष्ट रूप से, जब केंद्रीय बैंक, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, सरकारी व्यय का वित्तपोषण करता है तो वह सीआरआर में वृद्धि के द्वारा मौद्रिक प्रभाव को निष्प्रभावी करने की चेष्टा करता है, जिससे, अपना तुलन-पत्र विस्तारित करता है। अगर सीआरआर में वृद्धि पूंजी अंतर्वाह के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए की जाती है तो विदेशी आस्तियों के पक्ष में परिवर्तन होगा। अगर सीआरआर में वृद्धि पूंजी बहिर्वाह को रोकने के लिए मुद्रा स्थितियों को कड़ा करने के लिए की जाती है तो, उच्च रिज़र्व आवश्यकताओं और उगाही गई विदेशी मुद्रा के मिश्रण से उत्पन्न अंतर को निवल घरेलू आस्तियों में वृद्धि जो या तो रिपोज के माध्यम से होगी या स्थायी सुविधाओं के उच्च संसाधन से, कोषित करने का प्रयास किया जाता है। अंततः सीआरआर में कमी लगभग सदैव घरेलू आस्तियों में कमी के साथ होती है क्योंकि बैंक मुक्त संसाधनों को या तो रिवर्स रेपो में निवेश करते हैं या स्थायी सुविधाओं के भुगतान में। रिज़र्व आवश्यकताओं का, बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव, मुद्रा स्थिति पर निर्भर करता है। प्रथमतः सीआरआर शेषों पर ब्याज का भुगतान आय पर प्रभाव है। इसके अतिरिक्त, घरेलू और विदेशी आस्तियों के अनुपात में परिवर्तन केंद्रीय बैंक की आय को, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों के बीच के अंतर की सीमा तक प्रभावित करता है।

पुनर्वित्त सुविधाएं

8.11 केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को स्थायी सुविधाओं में वृद्धि (कटौती) का परिणाम रिज़र्व मुद्रा के आकार में परिवर्तन में होता है। विशिष्ट रूप से, एक कम विकसित अर्थव्यवस्था में, जब केंद्रीय बैंक का लक्ष्य क्षेत्र-विशिष्ट पुनर्वित्त सुविधाओं में संवर्धन का होता है, इन क्षेत्रों को बैंकों की उधारी केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्वित्त की जाती है, जो केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र के विस्तार में परिणित होती है।

खुले बाजार परिचालन (ओएमओस)

8.12 एक केंद्रीय बैंक का आधारभूत चलनिधि प्रबंध यंत्र सरकारी कागज में व्यवहार करना है। खुले बाजार परिचालन (रेपो परिचालनों

सहित) अपेक्षाकृत परिपक्व चरण के वित्तीय विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं में, चलनिधि प्रबंध और अल्पकालिक ब्याज दरों के स्थरीकरण के लिए एक प्रमुख उपाय के रूप में उभरे हैं। केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र (तथा रिज़र्व मुद्रा) पर ओएमओ का प्रभाव मूलतः स्थिति विशिष्ट होता है। अगर ओएमओ, मुद्रा या बैंक रिज़र्व की मांग में परिवर्तन के कारण आवश्यक हो गया है तो तदनु रूप तुलन-पत्र (और रिज़र्व मुद्रा) के आकार में परिवर्तन होगा। अगर, ओएमओ पूंजीगत प्राप्त राशियों से संचालित है, तो तुलन-पत्र के आकार (और रिज़र्व मुद्रा) में परिवर्तन नहीं होगा, यद्यपि मुद्रा बाजार दरों और विदेशी विनिमय दरों के संदर्भ में मौद्रिक स्थितियाँ प्रभावित हो सकती हैं। प्रत्येक मामले में, निवल घरेलू और विदेशी आस्तियों के संदर्भ में, तुलन-पत्र (और रिज़र्व मुद्रा) के गठन में परिवर्तन होगा जो अंतर्प्रस्त परिचालनों पर निर्भर करेगा। लाभप्रदता के संदर्भ में दो प्रभाव होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर सरकारी प्रतिभूतियाँ तत्काल खरीदी जाती हैं तो, केंद्रीय बैंक सरकार से ब्याज आय कमाता है। केंद्रीय बैंक को ओएमओ के परिचालन में लाभ-हानि होती है। रेपो (रिवर्स रेपो) परिचालनों के मामले में, केंद्रीय बैंक ब्याज आय अपने प्रतिपक्षों से (को) प्राप्त (भुगतान) करता है, नामतः वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों। इसके अतिरिक्त मुद्रास्थितियों को कड़ा करने का परिणाम सरकारी प्रतिभूति संविभाग में मूल्य हास होता है, जिसे चालू आय की बिना पर हिसाब में लिया जाना होगा।

बट्टा / बैंक दर

8.13 बट्टा / बैंक दर वह मानक दर है जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को ऋण और स्थायी सुविधाओं के एक हिस्से के रूप में बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को प्रतिफलित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में खासतौर से मध्यावधि ब्याज दरों के लिए संकेत के रूप में अक्सर प्रमुख नीति के रूप में कार्य करता है। जब कि बैंक दर में वृद्धि, स्थायी सुविधाओं से अधिक आय दिलाती है, सीआरआर पर देय अधिक ब्याज के कारण बाहर जाते धन में वृद्धि होगी, यदि केंद्रीय बैंक नकदी अनुपात शेष जमाराशियों पर देय ब्याज को बैंक दर से जोड़कर दिए जाने की प्रथा का अनुसरण करता है।

केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र पर वर्तमान विचारणा

8.14 हालिया साहित्य में केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया गया है। केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र को, मौद्रिक नीति परिचालनों के एक भाग के रूप में बाजारी सहभागियों के साथ इसके अंतर्व्यवहार के एक प्रतिबिम्ब के रूप में देखा जाता है, तथा अन्य मुद्दे जैसे सामर्थ्य, शोधक्षमता, पारदर्शिता और जोखिम प्रबंध को भी केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र से जोड़ दिया गया है।

8.15 इस तथ्य के बावजूद कि केंद्रीय बैंक के निष्पादन का आकलन, उसे सौंपे गए उद्देश्यों के संदर्भ में उपलब्धताओं जो नीतिगत प्रभावशीलता पर आधारित हों, किया जाता है, लगभग एक स्वीकृत तथ्य है कि तुलन-पत्र की सामर्थ्य, केंद्रीय बैंक की उसके विविध कार्यगत दायित्वों के निर्वहन में प्रभावशीलता में सुधार लाता है, यह विचार उन गतिविधियों का परिणाम है जो केंद्रीय बैंक को अधिकाधिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है तथा जिन्होंने केंद्रीय बैंक को उनके वित्तीय निष्पादन के संदर्भ में अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है। (सुजीवन 2003)

8.16 हाल के वर्षों में जब केंद्रीय बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों की ओर कदम उठाया है, बाजारी उतार-चढ़ावों के प्रति केंद्रीय बैंक की बढ़ती हुई संवेदनशीलता के संदर्भ में, पूंजी सहारा (कुशन) की पर्याप्तता एक प्रमुख चिंता रही है। यद्यपि कुछ केंद्रीय बैंक जिनके तुलन-पत्र मजबूत हैं, बहुत निम्न पूंजी धारित हैं, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां इस तर्क का समर्थन करती प्रतीत होती हैं कि एक केंद्रीय बैंक को शोधनक्षम बने रहने के लिए पर्याप्त पूंजी रखनी चाहिए (सुजीवन 2003; स्टेला 1997, 2002, और 2003; मार्टीनेज-रेसानो, 2004)। जब कि केंद्रीय बैंकों के लिए 'पूंजी पर्याप्तता' पर कोई निश्चित विचार नहीं है, पूंजी के उपयुक्त स्तर के निर्धारकों पर केंद्रीय बैंकों की नीति व्यवस्था और नीति उद्देश्यों के दृष्टिकोण से विचार किया गया है। हाल का साहित्य इस बात की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि केंद्रीय बैंक की वित्तीय अतिसंवेदनशीलता जो 'जोखिम पर मूल्य' दृष्टिकोण पर आधारित हो, का आकलन, परम्परागत केंद्रीय बैंकिंग परिचालनों तथा इतर तुलन-पत्र स्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। (ब्लेजर और सेहुमेचर, 1995)। मजबूत पूंजी स्थिति के समर्थन के बारे में प्रकट विचार इतने असरदार हैं कि अनेक केंद्रीय बैंकों ने अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकल्पों को जांचना शुरू कर दिया है ताकि वे शोधनक्षम और परिचालनगत रूप से स्वतंत्र बने रहें।

8.17 केंद्रीय बैंकों के बीच आस्तियों और देयताओं के गठन के अंतर, गहन रूप से उनके परिचालनगत उत्तरदायित्वों और अन्य देश विशिष्ट प्रथाओं के तुलनात्मक महत्व से जुड़े हुए हैं। गत दिनों में, विभिन्न चरणों में, केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था में भूमिका, उनके परिचालनों और उद्देश्यों के संदर्भ में, महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजरी है। केंद्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न चरणों में विभिन्न दायित्व ग्रहण कर लिए हैं जो प्रचलित समष्टि आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक और कानूनी परिवेश, विनिमय दर मतों और सरकार के राजकोषीय एजेन्ट तथा नोट जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं के तुलनात्मक महत्व से प्रभावित होते रहे हैं। वर्तमान परिवेश में केंद्रीय बैंकों को विशिष्ट मुद्रा नीति कार्य के साथ आधुनिक संस्थाओं के रूप में देखा जा रहा है। (स्काॅबी और केगलेसी 2000)।

8.18 यह माना जाता है कि आदर्शरूप में एक केंद्रीय बैंक को, किसी भी प्रकार की हानियों को अवशोषित करने, जो उसके कार्य निर्वहन से उत्पन्न हुई हों, तथा गैर नकारात्मक पूंजी स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी रखनी चाहिए (सुजीवन 2003)। केंद्रीय बैंक की कमजोर आर्थिक स्थिति उसके सरकार के राजकोषीय एजेन्ट या उसके एक प्रभावी घरेलू भुगतान प्रणाली बनाए रखने के मामले में अवरोधक होती है। केंद्रीय बैंकों के लिए यह उचित होगा कि वे मध्यावधि के दौरान, पूंजी पर्याप्तता का एक जोखिम आधारित स्तर अपनाएं जो केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता, नीति क्षमता, प्रतिष्ठा और राजकोषीय पारदर्शिता के संदर्भ में शून्य पूंजी या गैर नकारात्मक पूंजी स्थिति अनुमत करता है। (स्टेला 1997) यह विचार इस बात की स्वीकारोक्ति के बावजूद भी ध्यान में रखा जाता है कि केंद्रीय बैंकों के लिए जोखिम आधारित पूंजी की स्थापना अक्सर कठिन है। इसी के साथ, जोखिम आधारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में पूंजी स्तरों के समायोजन पर अनावश्यक जोर दिया जाना नीति प्रभावकारिता की गुणवत्ता में हास का जनक होगा।

8.19 केंद्रीय बैंकों में आपस में व्यापक उतार-चढ़ावों के बावजूद, इस तथ्य की स्वीकृति प्रतीत होती है कि केंद्रीय बैंकों को, अपनी पूंजी और रिज़र्व स्थिति के संदर्भ में मजबूत होना चाहिए ताकि वे वृद्धिशील जोखिम प्रवण ऋण वित्तीय और परिचालनगत के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकें और अपने नीतिगत उत्तरदायित्वों को निभा सकें, सर्वोपरि रूप में, स्वतंत्र रह सकें। 'केंद्रीय बैंक की निवल मालियत का स्तर वह है जो सामान्य परिचालनों के दौरान, बैंक अपने नीति लक्ष्यों की पूर्ति में सक्षम होगा तथा सत्ता से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रख सकेगा' (स्टेला 2002)

8.20 एक मुद्रा जिस पर साहित्य में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, 'वित्तीय विवरणियों' का प्रस्तुतिकरण है, जो केंद्रीय बैंक के लिए पारदर्शिता और जबाबदेही की बाध्यताजनक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए है (सुजीवन, 2003; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2000; कैपीएटएल, 1994)। मूल्यांकन मानदंड और लेखा प्रथाएं अभी भी केंद्रीय बैंकों के मध्य अलग अलग हैं। केंद्रीय बैंक अभी भी अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों जो वाणिज्यिक वित्तीय इकाइयों पर लागू हैं, को कार्यान्वित करने को सहमत नहीं हैं। तथापि कुछ केंद्रीय बैंकों ने अपने स्वयं के लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों को अपना लिया है जो मोटे रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। अलावा इस तथ्य के कि कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया है देश विशिष्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया गया है तथा लाभ सरलता प्रदान करते हैं (मार्टीनेज-रेसेनो, 2004; फोस्टर, 2004)। साहित्य में केंद्रीय बैंक द्वारा निष्फलता परिचालनों और बैंकिंग संकट के समय समर्थन प्रदान करने पर तहकीकात की गई है। खास तौर से, इस प्रकार के प्रचलन, जो भार मध्यावधि के दौरान केंद्रीय बैंक पर डालेंगे, उसके दृष्टिकोण से इनकी निरंतरता पर। (स्टेला, 2002)। केंद्रीय बैंकों के लिए जोखिम

प्रबंध, वित्तीय बाजारों में अनिश्चित और अस्थिर आर्थिक परिवेश में एक मुश्किल कार्य है, जो उल्लेखनीय रूप से केंद्रीय बैंक के वित्तीय निष्पादन को प्रभावित करते हैं (फोस्टर 2004)। जब कि, केंद्रीय बैंकों के विदेशी भंडारों के जोखिम प्रबंध पर ध्यान केंद्रित है, अन्य वित्तीय और परिचालनगत जोखिमों का अभिनिर्धारण, मापन और प्रबंध कम महत्व का नहीं माना जाता। बड़े केंद्रीय बैंकों द्वारा, जोखिम प्रबंध प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं तथा उन्हें उपयुक्त प्रकार से कारपोरेट गवर्नेंस में अंतरित कर लिया गया है।

II. पार-देशों के अनुभव-शैलीगत तथ्य

8.21 जब कि मूलभूत रूप से केंद्रीय बैंकों के तुलन-पत्रों में समानता के तत्व हैं, वे विशिष्ट प्रतिबिंबित अंतरों के संदर्भ में परिचालनों में असहमति भी दर्शाते हैं जैसे मुद्रा या ऋण प्रबंध तथा मौद्रिक नीति के उद्देश्य। वे आकार और गठन में भी अंतर दर्शाते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच संस्थागत व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हुए लाभ अंतरण की पद्धति और विस्तार में उतार-चढ़ाव हैं। वित्तीय विवरणियों में भी लेखांकन नीतियों और प्रकटन मानदंडों के संदर्भ में अंतर होता है।

केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र का आकार

8.22 केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र का आकार मुख्य रूप से उसके कार्यकारी दायित्वों जिसमें मौद्रिक नीति उद्देश्यों, परिचालनगत प्रथाओं, तथा अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों के विकास की दशा को प्रतिबिंबित करता है। अतः तुलन-पत्र का आकार, केंद्रीय बैंकों के बीच अलग-अलग होता है (सारणी 8.4)।

केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र का गठन दायित्व

देयताएं

8.23 केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट विशिष्ट रूप से प्रमुख देयताएं होती हैं। केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की शेष जमा राशि, जो केंद्रीय बैंक की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौद्रिक देयता है, 'स्वैच्छिक' या 'अनिवार्य' स्वरूप के बारे में एक आभास प्रदान करती है। न्यूजीलैंड, हांगकांग, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया और स्विटजरलैंड बैंकों पर नकदी रिजर्व अपेक्षाएं नहीं लगाते। कुछ देशों में केंद्रीय बैंक द्वारा रिजर्व अपेक्षाओं में परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन चाहिए, जब कि अन्य में यह प्राधिकार केंद्रीय बैंक के पास है। इसी प्रकार, राजकोषीय जमाएं, केंद्रीय बैंक और सत्ता (राजकोष) के बीच बैंकिंग संबंधों में लाक्षणिक है।³

सारणी 8.4 केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र का आकार

केंद्रीय बैंक	संदर्भ तिथि	कुल देयताएं (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)
1	2	3
आस्ट्रेलिया	30 जून 2005	10.1
ब्राजील	31 मई 2005	28.3
कनाडा	31 दिसंबर 2004	3.6
जर्मनी	31 दिसंबर 2004	13.3
भारत	30 जून 2005	21.9
जापान	31 मार्च 2005	29.8
कोरिया	31 दिसंबर 2004	32.5
मलेशिया	31 दिसंबर 2004	63.6
पुर्तगाल	31 दिसंबर 2004	22.8
रूस	31 दिसंबर 2004	17.0
सिंगापुर	31 मार्च 2005	10.3
दक्षिणी अफ्रीका	31 मार्च 2005	9.4
स्वीडन	31 दिसंबर 2004	7.2
संयुक्त राज्य अमेरिका	31 दिसंबर 2004	6.9

स्रोत : संबंधित केंद्रीय बैंकों के तुलन-पत्र

राजकोषीय जमाएं अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक के पास रखा जाना जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त, अनेक देशों में इन जमाओं को प्रतिफलित करने की कोई एक समान प्रथा प्रचलित नहीं है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और रूस में जमाओं पर कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली राजकोषीय एजेन्ट सेवाओं के लिए कुछ भी भुगतान न करने की प्रथा भी है (जर्मनी और नीदरलैंड), संयुक्त राज्य अमेरिका में राजकोषीय विभाग, कानूनन अनुमत है, लेकिन इन सेवाओं के लिए भुगतान अपेक्षित नहीं है। इन जमा शेषों के अतिरिक्त, देश विशिष्ट प्रथाओं के उदाहरण हैं, जैसे बैंक ऑफ कोरिया के पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा स्थिरीकरण कोष जमाएं हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण उपलब्ध कराने के लिए विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है (अर्जेन्टिना तथा चिली) (सारणी 8.5)

केंद्रीय बैंक पेपर

8.24 केंद्रीय बैंक की स्वयं की देयताओं का मुद्दा अक्सर बैंकों को संकट के समय प्रदान किए गए उधारी समर्थन के साथ सहचारी है (चिली और इंडोनेशिया) या अधिक पूंजी अंतर्वाह के प्रभाव के विरुद्ध निष्फल पहल से। केंद्रीय बैंक अर्जेन्टिना, एक मौद्रिक अवशोषण उपाय के रूप में अपनी स्वयं की प्रतिभूतियाँ जारी करता है। प्रतिभूतियाँ अर्जेन्टिना

³ कुछ केंद्रीय बैंकों का सरकारी जमाओं पर नियंत्रण है। बैंक ऑफ कनाडा वाणिज्य बैंकों से सरकारी जमाओं को अपने पास अंतरित कर सकता है, सरकारी जमाएं, केंद्रीय बैंक के बाहर केवल प्राधिकृति के बाद ही रखी जा सकती हैं। बेलजियम द्वारा सरकारी जमाओं पर सीमा लगायी गई है, जो सरकार के पूर्व वर्ष के राजस्व से जुड़ी है।

सारणी 8.5: चयनित केंद्रीय बैंकों की प्रमुख देयताएं

(कुल देयताओं का प्रतिशत)

केंद्रीय बैंक	संदर्भ तिथि	मुद्रा	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की जमाएं	सरकारी की जमाएं	केंद्रीय बैंक पेपर	प्रतिभूतियां जो पुनः खरीद संविदा के अंतर्गत बेची गई*
1	2	3	4	5	6	7
अर्जेन्टिना	31 दिसंबर 2004	23.9	9.4	0.1	13.1	0.0
आस्ट्रेलिया	30 जून 2005	41.9	1.5	31.7	0.0	9.7
कनाडा	31 दिसंबर 2004	94.7	1.1	2.3	0.0	0.0
चिली	31 दिसंबर 2003	12.1	1.1	0.8	82.7	0.0
भारत	30 जून 2005	55.4	18.3	10.6	0.0	0.0
इंडोनेशिया	31 दिसंबर 2004	19.5	12.6	7.7	22.1	0.0
जमैयका	24 अगस्त 2005	10.7	9.4	7.8	64.8	0.0
जापान	31 मार्च 2005	49.6	24.0	5.0	0.0	16.2
मलेशिया	31 दिसंबर 2004	11.4	43.8	9.0	5.9	9.8
मैक्सिको	31 दिसंबर 2004	36.0	24.6	11.9	24.6	0.0
रूस	31 दिसंबर 2004	40.8	19.8	21.7	0.2	0.0
सिंगापुर	31 मार्च 2005	8.0	3.9	52.1	0.0	0.0
दक्षिणी अफ्रीका	31 मार्च 2005	38.4	17.7	1.6	10.1	5.6
स्वीडन	31 दिसंबर 2004	59.6	0.3	0.0	0.0	0.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	31 दिसंबर 2004	88.7	3.0	0.7	0.0	3.8

* कुछ मामलों में ये विवरण अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र

पीसोज और अमेरिकी डॉलर में 2002 से जारी की गई हैं। इन प्रतिभूतियों के एक हिस्से को, मई 2004 से मौद्रिक विनियमन यंत्र के रूप में पुनर्खरीद संविदा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। हांगकांग में, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां एक न्यूनतम मानदंड प्रतिफल वक्र की स्थापना के विचार से, कारपोरेट ब्रॉइंड बाजार को विकसित करने और

साथ ही, सरकारी अधिशेष अतिरिक्तता के कारण सरकारी पेपर की उपलब्धता के अभाव में, खुले बाजार परिचालनों के यंत्र के रूप में जारी किए गए (हॉकिन्स, 2004)। केंद्रीय बैंक कागज प्रचालन कोरिया, इंडोनेशिया, अर्जेन्टिना, चिली, थाईलैंड, यू.के., दक्षिणी अफ्रीका और मैक्सिको में महत्वपूर्ण रहा है (सारणी 8.6)।

सारणी 8.6: चयनित केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्र में बैंक पेपर

केंद्रीय बैंक	लिखत	कुल देयताओं में केंद्रीय बैंक पेपर का प्रतिशत हिस्सा
1	2	3
अर्जेन्टिना	केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां	13.1
ब्राजील	स्वयं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां	2.4
चिली	केंद्रीय बैंक बांड/सूचक प्रतिज्ञा पत्र/सूचक कुल/जमा प्रमाण पत्र	82.7
भारत	—	—
इंडोनेशिया	बैंक इंडोनेशिया प्रमाण पत्र	22.1
कोरिया	मुद्रा स्थरीकरण बांड	56.4
मलेशिया	बैंक नेगेरा पेपर	5.9
मैक्सिको	मैक्सिको नियमन बांड	24.6
दक्षिणी अफ्रीका	रिज़र्व बैंक प्रमाण पत्र (आरक्षित) बाजार को 28 या 56 दिनों के लिए जारी किए गए	10.1
थाईलैंड	बैंक ऑफ़ थाईलैंड बांडस्	25.1@
यूके	ऋण प्रतिभूतियां	26.7@

@ बैंकिंग विभाग की कुल देयताओं का प्रतिशत

टिप्पणी : आंकड़े 2004 से संबंधित हैं, अलावा ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के जो 2005 के हैं।

8.25 अनेक मामलों में, केंद्रीय बैंक पेपर जारी किए जाने के माध्यम से, विदेशी मुद्रा निष्फलता हस्तक्षेप के, केंद्रीय बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव के दृष्टिकोण से गंभीर निहितार्थ रहे हैं। (उदाहरण - वेनेजुएला, चिली, उरुगवे और पुर्तगाल) वास्तव में, केंद्रीय बैंक पर ब्याज खर्चों और अनेक मामलों में तत्जनित हानियों से सृजित भार ने केंद्रीय बैंक के ऋण प्रचालन की निरंतरता के बारे में अनेक चिंताएं पैदा की हैं। अनेक लैटिन अमेरिकन देशों में केंद्रीय बैंक पेपर का सरकारी पेपर द्वारा स्थानापन्न किया जाना, प्रतिकारक प्रतिसाद को प्रतिबिंबित करता है। उरुगवे में, 1980 के उत्तरार्ध में, केंद्रीय बैंक द्वारा इसके अपने बिलों का खजाना बिलों से खुले बाजार परिचालन के संपादन ने बदलना शुरू किया। यह प्रक्रिया 1993 के अंत में पूर्ण हुई जो खुले बाजार परिचालनों की लागत को खजाना में अंतरित करने में परिणामित हुई। इसी प्रकार, ब्राजील के राजकोषीय जवाबदेही कानून के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा उसके अपने ऋण जारी करने को मई 2002 से प्रभावित समाप्त करना अपेक्षित था, तथा केवल सरकारी प्रतिभूतियों को ही सभी मुद्रा परिचालनों के लिए प्रयोग में लेना था।

आस्तियां

8.26 आस्तियों का गठन, अंतरराष्ट्रीय तुलना में घरेलू के संदर्भ में, केंद्रीय बैंक की घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य के नियंत्रण की भूमिका सांकेतिक है या विदेशी मुद्रा विनिमय दर स्थायित्व का प्रबंध।

8.27 संयुक्त राज्य अमेरिका में, विदेशी मुद्रा विभाग मौद्रिक नीति की रचना और निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन यह यूएस राजकोष और संघीय रिजर्व प्रणाली के लिए सभी विदेशी मुद्रा व्यापार, फेडरल खुले बाजार समिति और राजकोष के निर्देश पर करता है। इसके अतिरिक्त अमरीकी खजाना, संघीय रिजर्व प्रणाली के परामर्श से विदेशी मुद्रा दर नीति तैय करता है। इसके विपरीत न्यूजीलैंड और चिली के केंद्रीय बैंकों को स्पष्ट रूप से उनकी मुद्रा के घरेलू और बाहरी मूल्य को बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।⁴ अनेक मामलों में, राजकोष या अन्य सरकारी संगठन, विदेशी मुद्रा आस्तियों को अपने स्वयं के पोर्टफोलियो में रखते हैं (कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान)। जापान में, बैंक ऑफ़ जापान की कुल रिजर्व धारिताएं इसकी कुल आस्तियों का केवल 3.3 प्रतिशत थीं। दक्षिणी अफ्रीकन रिजर्व बैंक अपने तुलन पत्र में स्वर्ण और विदेशी मुद्रा को धारित करता है, लेकिन जोखिम दक्षिणी अफ्रीकी सरकार द्वारा वहन की जाती है।⁵ इन विविध प्रथाओं को दर्शाते हुए, इन

केंद्रीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों का हिस्सा इनकी कुल आस्तियों से अपेक्षाकृत कम है (उदाहरणार्थ, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूयार्क (यूएसए), बैंक ऑफ़ जापान, बैंक ऑफ़ कनाडा)। दूसरे चरण बिंदु पर, ऐसे भी केंद्रीय बैंक हैं जो बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ धारित करते हैं, जिनमें से कुछ इन भंडारों से उनकी विदेशी मुद्रा निनिमय दर नीति को समर्थन प्रदान करते हैं। (सारणी 8.7)

8.28 खजाना को संस्थागत और कार्यकारी व्यवस्था में वित्तीय समर्थन के विषय में, व्यापक रूप से भिन्नताएं हैं, यद्यपि इन क्षेत्रों में केंद्रीय बैंकों को प्रदान की गई बढ़ती हुई स्वतंत्रता पार देशों में केंद्रीय बैंक निधियन में घटते हिस्से का प्रकटीकरण करती है। सरकार को उधारी (ऋण, ओवर ड्राफ्ट तथा प्राथमिक बाजार में बांड खरीद) संवैधानिक रूप से ब्राजील, चिली, पेरू और पोलैंड में अनुमत नहीं है।⁶ सरकार

सारणी 8.7 : चयनित केंद्रीय बैंकों की प्रमुख आस्तियाँ

(कुल आस्तियों का प्रतिशत)

देश	स्वर्ण, अंतरराष्ट्रीय भंडार और अन्य विदेशी आस्तियाँ	बैंकों / अन्य संस्थाओं को ऋण व अग्रिम	सरकार पर दावे	प्रतिभूतियाँ जो पुनर्विक्रय करार के अंतर्गत खरीदी गई*
1	2	3	4	5
अर्जेन्टिना	37.1	13.2	13.7	0.0
आस्ट्रेलिया	73.5	0.0	0.0	0.0
कनाडा	1.1	0.0	92.4	5.4
चिली	60.9	3.1	0.0	4.1
भारत	83.8	0.6	0.1	0.0
इंडोनेशिया	45.3	2.3	42.6	0.0
जैमायका	57.0	0.0	36.1	0.0
जापान	3.3	25.0	65.9	3.5
मलेशिया	89.0	3.7	0.1	6.2
मैक्सिको	73.0	13.5	0.0	0.0
रूस	85.4	0.6	11.6	0.0
सिंगापुर	95.9	0.0	3.5	0.0
दक्षिणी अफ्रीका	76.7	0.0	10.3	10.5
स्वीडन	79.4	0.0	0.0	9.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	4.3	0.0	89.5	4.1

* कुछ मामलों में ये विवरण अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी : संबंधित देशों के केंद्रीय बैंकों के आंकड़ों की तिथियाँ वही हैं जो सारणी 8.4 में दिखाई गई हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र

⁴ हांगकांग में विदेशी भंडार विदेशी मुद्रा कोष में रखे जाते हैं, लेकिन भंडारों का प्रबंध हांगकांग मौद्रिक प्राधिकृति के पास होता है। कनाडा में, अंतरराष्ट्रीय रिजर्व, सरकार के विदेशी विनिमय फंड खाते में आस्तियों के रूप में रखे जाते हैं। न्यूजीलैंड में, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा आस्तियाँ रखता है ताकि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हस्तक्षेप में समर्थ हो सके।

⁵ बैंक द्वारा 'स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आकस्मिकता रिजर्व खाता' रखा जाता है जिसमें दक्षिणी अफ्रीकी सरकार द्वारा बैंक को देय राशि जो स्वर्ण और विदेशी मुद्रा सौदों पर वसूले गए लाभों और हानियों के बारे में होती है। देय राशि बयाज मुक्त है और भुगतान शर्तें राष्ट्रीय कोष और बैंक के बीच समझौते के अधीन हैं।

को ऋण या तो संविधान अथवा कानून द्वारा, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, हंगेरी, रूस, टर्की, यूरो क्षेत्र, यूनाइटेड किंगडम (मास्ट्रिच संधि के अंतर्गत) और संयुक्त राज्य, में प्रतिबंधित है⁷ (हाकिन्स 2003)। राजकोषीय अनुशासन की पहल जिनकी चरम परिणति यूरो क्षेत्र में स्थायित्व और वृद्धि समझौते में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया तथा अनेक अन्य देशों में राजकोषीय समेकन में, सरकार को केंद्रीय बैंक द्वारा उधारी समर्थ की घटती निर्भरता की ओर इशारा करती है।⁸ केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को उधारी पर सीमा लगाने की प्रथा आमतौर से केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता की संस्थागत गारंटी मानी जाती है। यद्यपि कुछ केंद्रीय बैंकों द्वारा इस सीमा में नियमित अंतरालों पर उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाता है, यह प्रथा अपने आप में राजकोषीय अनुशासन को विश्वसनीयता प्रदान करती है। केंद्रीय बैंकों के गैर-बैंक निजी क्षेत्र के दावे लगभग नगण्य है। ब्राजील के केंद्रीय बैंक के पास, इसके तुलन पत्र में बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र के दावे धारित हैं।

तुलन पत्र प्रबंध में पूंजी और भंडारों (रिजर्व) की भूमिका

8.29 अंतरराष्ट्रीय रूप से, केंद्रीय बैंकों के पूंजी और रिजर्व पर्याप्तता के मुद्दे अभी तक तय नहीं हैं, तथा देशों में व्यापक रूप से अपनाई जा रही विभिन्न प्रथाएं इस क्षेत्र में किसी स्पष्ट दिशा की ओर इंगित नहीं करती। चयनित केंद्रीय बैंकों की पूंजी और रिजर्व स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण से पता चलता है कि पूंजी और रिजर्व का कुल देयताओं से अनुपात 0.10 प्रतिशत से 38.0 प्रतिशत के बीच की श्रेणी में रहता है। बड़े उतार-चढ़ावों को न तो विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्था ओर न ही अन्य आर्थिक कारकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है, नामतः स्वामित्व ढाँचे, राजकोषीय घाटा, विनिमय दर नीतियों का न्यून/अधिक मूल्यांकन/रिजर्व स्तर की पर्याप्तता पर केंद्रीय बैंकों के बीच एकमतता की कमी प्रतीत होती है। इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि केंद्रीय बैंकों की पूंजी और रिजर्व स्थिति पर कोई अंतरराष्ट्रीय मानदंड नहीं है। तथापि, केंद्रीय बैंक के भंडारों (रिजर्व) के स्तर के निर्धारकों का अभिनिर्धारण, आस्तियों के गठन, खुलेपन की अवस्था, विदेशी मुद्रा दर व्यवस्था, सहचारी जोखिमों और उपलब्धा बचाव तंत्र, मौद्रिक नीति का प्रकार और प्रयुक्त हस्तक्षेप उपायों, विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव में गति, आ रहे अन्य परिचालनगत और वित्तीय जोखिम, तथा वित्तीय स्थायित्व चिंताओं के रूप में किया गया है। केंद्रीय बैंक के

भंडार (रिजर्व) आम तौर से एक नियत स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं जो निरपेक्ष (बैंक ऑफ़ कनाडा) या तुलनात्मक रूप में होते हैं (तुलन पत्र के कुछ अवयवों से जुड़े हुए, नामतः बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया के मामले में मौद्रिक देयताएं) ऐसे भी मामले हैं जहाँ केंद्रीय बैंक के भंडार (रिजर्व) समष्टि आर्थिक उतार-चढ़ाव नामतः सकल घरेलू उत्पाद (बैंक ऑफ़ मैक्सिको) अथवा केंद्रीय बैंक की शोध-क्षमता के कुछ मापक के शर्ताधीन होते हैं।

8.30 गत दिनों की गतिविधियाँ केंद्रीय बैंक की वित्तीय दृढ़ता बनाए रखने के लिए पूंजी और भंडारों (रिजर्व) का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की वरीयता दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ़ जापान का विचार है कि इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (पूंजी आधार जिसमें भंडारों और प्रावधानों, जिसमें जारी किए गए बैंक नोटों के अवधि औसत अनुपात शामिल होंगे) का लगभग 10 प्रतिशत होना चाहिए। तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय रिजर्व और बैंक ऑफ़ कनाडा, अभी भी बहुत न्यून पूंजी धारित किए हैं। दोनों ही मामलों में, अंतरराष्ट्रीय भंडार मुख्यतः 'विदेशी मुद्रा स्थरीकरण कोष' अथवा 'विदेशी मुद्रा कोष खाते' में रखे जाते हैं, न कि केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में। नार्वे में तेल बिक्री की राशि एक अलग सरकार/एजेन्सी द्वारा रखी जाती है। इस स्थिति के मदेनजर जो विचार उभरकर आता है वह है कि, वे केंद्रीय बैंक जो अपने तुलन-पत्र में रिजर्व आस्तियाँ धारित नहीं करते, वे विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रति कम उद्भासित होते हैं, अतः उन्हें तुलनात्मक रूप से कम पूंजी और भंडार (रिजर्व) की आवश्यकता होती है और इससे उलट। इसके विपरीत, उन केंद्रीय बैंकों की पूंजी आवश्यकताएं अधिक होनी अपेक्षित होंगी जिन्हें, अर्ध-राजकोषीय कार्यकलाप सौंपे गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की गतिविधियों से उपजित संभावित हानियाँ उनकी मौद्रिक नीति उद्देश्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं।

8.31 केंद्रीय बैंक व्यवहारों से यह उद्घटित होता है कि अनेक केंद्रीय बैंक, सामान्य रिजर्व के अतिरिक्त पुनर्मूल्यन रिजर्व रखते हैं, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित हो अथवा अपने स्वयं के विवेकाधीन (सारणी 8.8)।

8.32 कतिपय देशों में, यद्यपि वे विरल ही हैं, केंद्रीय बैंकों के स्टॉक बाजारों में (व्यापार) क्रय-विक्रय होते हैं। इन देशों में, केंद्रीय बैंकों के स्टॉक के बारे में बाजार की प्रतिक्रिया, रोचक निष्कर्षों का अनावरण करती हैं (बाक्स VIII)।

⁶ चिली में केंद्रीय बैंक द्वारा द्वितीयक बाजार में बांड खरीद भी सांविधिक रूप से निषेधित है, जो इसे उन देशों की श्रेणी में ला देता है जहाँ सरकार को निधियन पर अति कठोर कानूनी प्रतिबंध हैं।

⁷ यूएस बजट इनफोर्समेन्ट कानून 1990, राजकोषीय अनुशासन की ओर एक प्रयास था। तथापि सरकारी निधिकरण, द्वितीयक बाजार से बांड खरीद माध्यम से जारी है तथा राजकोष को वित्तपोषण संघीय रिजर्व की आस्तियों की ओर एक महत्वपूर्ण मद है।

⁸ केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को ऋण पर दबाव, ओवरड्राफ्ट पर प्रतिबंध, स्थायी अवधि ऋण और अग्रिम और प्राथमिक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से लाए जाते रहे हैं, जबकि द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियों की खरीद, पुनर्खरीद करार और केंद्रीय बैंक में जमाओं को विवेकाधीन अनुमत किया गया है।

सारणी 8.8: केंद्रीय बैंकों का पूंजी खाता

(कुल देयताओं का प्रतिशत)

देश	पूंजी
1	2
आस्ट्रेलिया	11.3
ब्राजील	2.0
कनाडा	0.1
जर्मनी	11.2
भारत	15.0
इंडोनेशिया	16.8
इटली	19.0
जापान	3.5
कोरिया	2.3
मलेशिया	18.1
पुर्तगाल	13.3
रूस	4.6
सिंगापुर	9.2
दक्षिणी अफ्रीका	4.0
स्वीडन	35.7
स्विट्जरलैंड	38.0
थाईलैंड	4.9
युके	7.2
यूएसए	2.9

टिप्पणी : आंकड़े 2004 से संबंधित हैं अलावा आस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत और दक्षिणी अफ्रीका के जो 2005 से संबंधित हैं।

लाभ का वितरण

8.33 सरकार को केंद्रीय बैंक के लाभ का वितरण, लगभग सार्वभौम है तथा केंद्रीय बैंक के स्वामित्व ढाँचे से स्वतंत्र भी है। विभिन्न देशों में प्रथाओं में अंतर है, इस सीमा तक कि, कुछ मामलों में सरकार को लाभ का वितरण प्रथम प्रभार है तथा जो पूर्व-निर्धारित दरों पर होता है, जो अधिशेष के हिस्से, कुल आस्तियों। चयनित आस्तियों/देयताओं, प्रदत्त पूंजी या अन्य कोई मानदंड, केंद्रीय बैंक या इसके बोर्ड के पास

बिना किसी विवेकाधिकार के, से जुड़ा होता है। जब कि अन्य मामलों में, केंद्रीय बैंक के लाभ का वितरण, इस विषय में केंद्रीय बैंक के विधान के अनुसार, रिजर्व में अंतरण के पश्चात ही केवल किया जा सकता है अथवा केंद्रीय बैंक /सरकार के विवेकाधीन (अनुबंध VIII-1) उन देशों में भी जहाँ केंद्रीय बैंक के मुनाफे के आबंटन में केंद्रीय बैंक रिजर्व का प्रथम प्रभार होता है, सरकार को आबंटित लाभ भी काफी बड़ा होता है। दूसरे अंतिम छोर पर, कतिपय केंद्रीय बैंकों द्वारा उनके रिजर्व / प्रावधानों का उपयोग, नकारात्मक परिचालनगत मुनाफे के वर्षों में, राजकोष को लाभांश वितरण में भी किया गया है (नामत: पुर्तगाल, चेक नेशनल बैंक, कोरिया)⁹

8.34 केंद्रीय बैंकों पर विशिष्ट रूप से, गैर-सरकार जनता को राशि अंतरण पर सांविधिक रोक है। बैंक ऑफ़ जापान द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश भुगतान उनकी अधिशेष आय का 5 प्रतिशत नियत है। बैंक ऑफ़ बेल्जियम, बैंक ऑफ़ ग्रीस, स्विस् नैशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ टर्की में भी शर्तें हैं जो गैर-सरकार अंशधारियों को अधिशेष आबंटन को सीमित करती हैं। नोट जारी करने वाले प्राधिकारी होने के नाते केंद्रीय बैंक अपने मुनाफे को सरकार को प्रेषित करते हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हों (नामत: दक्षिणी अफ्रीका रिजर्व बैंक)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रारंभिक कार्यपरिचालन के वर्षों, अर्थात् निजी अंशधारित समय, में निजी अंशधारियों को पूंजी के 3.5 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया गया (शेष अधिशेष सरकार को अंतरित किया गया) तथा जो जून 1943 से 4 प्रतिशत कर दिया गया, जो 'जनवरी 1949 तक, जब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ अपरिवर्तित रहा। लाभांश पर सीमाएं यह सुनिश्चित करने के लिए इच्छित थी, कि रिजर्व बैंक के व्यावसायिक कार्यकलाप लाभ के विचार से संचालित नहीं किए जाते हैं।

बाक्स VIII.1

केंद्रीय बैंक स्टाक्स का बाजार निष्पादन

केंद्रीय बैंकों की पूंजी विशिष्ट रूप से सरकार द्वारा अभिदत्त होती है (कतिपय मामलों में वाणिज्य बैंकों द्वारा भी) तथा केंद्रीय बैंक के स्टाक आमतौर से व्यापार योग्य नहीं होते। तथापि कुछ देशों के मामले में नामतः बेल्जियम और जापान, के केंद्रीय बैंकों के स्टाकों का क्रमशः बुसेल्स और टोकियो शेयर बाजार में व्यापार होता है, जो इस विरल संभावना को जन्म देता है, जहाँ केंद्रीय बैंक का स्वामित्व जनता के पास हो सकता है तथा पूंजी बाजार एक सरकारी एजेन्सी का मात्रात्मक मूल्यांकन भी प्रस्तुत कर सकता है।

केंद्रीय बैंक के स्टाक प्रतिलाभ की प्रयोगसिद्ध जांच, इसके शेयर बाजार प्रतिलाभ से रेखीय संबंधों, बैंक विशिष्ट कारकों और समष्टि अर्थशास्त्र कारकों को मानकर बेल्जियम और जापान के केंद्रीय बैंकों के स्टाक का निष्पादन उनके संबंधित शेयर बाजार सूचकांकों के मुकाबले न्यून निष्पादक रहे हैं। इन दो केंद्रीय बैंकों के स्टाक जोखिम समायोजन आधार पर भी न्यून निष्पादक पाए गए। प्रयोग सिद्ध जांच से

पता चलता है कि केंद्रीय बैंक के स्टाक पर प्रतिफल निर्धारण में आंकडागत रूप से महत्वपूर्ण कारक है, वह है, शेयर बाजार प्रतिफल। यद्यपि समष्टि अर्थशास्त्र परिवर्तक जैसे बेरोजगारी दर, डॉलर विनिमय दर और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि एकल परिवर्तक संदर्भ में महत्वपूर्ण संबंध बताते हैं, बहु-परिवर्तक विश्लेषण में न तो केंद्रीय बैंक की आस्तियाँ और न ही समष्टि आर्थिक कारक ही केंद्रीय बैंक स्टाक प्रतिफल के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। बैंक ऑफ़ जापान के स्टाक मूल्य पर कतिपय समष्टि आर्थिक घटनाओं के प्रभाव पर की जांच के लिए किया गया, एक अध्ययन भी आंकडात्मक दृष्टि से नगण्य ही सिद्ध हुआ।

स्रोत :

गोल्डबर्ग एल जी तथा रेजुअल कबीर (2002) : दी स्टॉक मार्केट परफ़ोरमेंसेज ऑफ़ की सेन्ट्रल बैंक्स एंड जापान जर्नल ऑफ़ इकनामिक्स और बिजनेस वा. 54।

⁹ बैंक ऑफ़ थाईलैंड सरकार के देय मुनाफे के स्थिरीकरण के लिए रिजर्व रखता है।

लेखांकन व्यवहार

8.35 अधिकांश बैंक, लेखांकन और आय और व्यय निर्धारण के लिए उपचय प्रणाली का अनुमान करते हैं।¹⁰ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनेक केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाएं जा रहे परम्परागत आस्ति मूल्यांकन मानकों के विरुद्ध वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए एक उचित मापन आधार अपनाने पर जोर दिया जाता है। आस्तियों और देयताओं की परम्परागत मूल्यांकन प्रथा के अंतर्गत, जो आस्ति के मूल्य और विदेशी आस्तियों और देयताओं के मामले में सौदे की विनिमय दर जो लागत मूल्य पर आंकी जाती है, में आस्तियों और देयताओं के मूल्य तथा संबंधित लाभ और हानियों की पहचान आस्ति अथवा देयता के निपटान के समय ही की जाती है। (सुजीवन 2002)। केंद्रीय बैंकों द्वारा बाजार से किए जाने वाले मूल्यांकन सिद्धांत को अपनाए जाने के मुद्दे के विचार पर एकमतता नहीं है (अनुबंध VIII.2)। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केंद्रीय बैंक से यह अपेक्षित है कि वे सार्वजनिक हित में कार्य करें, यह माना जाता है कि बाजार से मार्क करने की अनिवार्यता उन पर लागू न की जाए। तथापि, केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा विनिमय हस्तक्षेप से जुड़ी जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में यह सुझाया जाता है कि इस मूल्यांकन सिद्धांत को अपनाया जाना उनके स्वयं के हित में है।

8.36 केंद्रीय बैंक के समक्ष उनकी वित्तीय विवरणियों को और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने तथा पर्याप्त लाभांश वितरण और अपनी पूंजी स्थितियों के बीच समतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है। प्राप्त नहीं हुए लाभों को आय विवरणियों में अभिनिर्धारण करना, लाभांश वितरण की दृष्टि से समस्याएं प्रस्तुत करता है, यदि तरल आस्तियां इस प्रकार के लाभों का समर्थन नहीं करती। प्राप्त न हुए लाभों पर आधारित लाभांशों के वितरण की उनको काउन्टर आवर्ती होने के बजाय प्रो-आवर्ती होने संबंधी सीमाएं हैं। यह विचार प्रकट किया जाता है कि बाजार मूल्य आधारित लेखांकन प्रथाएं, केंद्रीय बैंक की अल्पकालिक और मध्यकालिक वित्तीय अतिसंवेदनशीलता के बीच विभाजन को और चौड़ा करती है (मार्टिनेज रेसेनो 2004)। इन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए, अधिमानित विकल्प, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) को उचित संशोधनों के साथ बाजार मूल्य विनिर्देशनों का अनुपालन करता है। उदाहरण के लिए नोर्गेस बैंक, बाजार मूल्य आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे का सरलीकरण प्रावधानों के साथ अनुगमन करता है¹¹। केंद्रीय बैंकों की यूरोपियन व्यवस्था (ईएससीबी) ने एक संशोधित उचित मूल्य लेखांकन व्यवस्था को अपनाया है जो प्राप्त न हुए लाभों और नुकसानों के आधार के लिए विवेकपूर्ण कारणों से, विषम दृष्टिकोण पर आधारित है। अर्थात् अपनी वित्तीय मजबूती

को नियन्त्रित करना। जबकि प्रत्येक आस्ति वर्ग की अप्राप्त हानियों को इसके लाभ-हानि विवरणों में न बदले जाने वाले रूप में अंकित किया जाता है, अप्राप्त लाभों को, देयताओं की तरफ एक पुनर्मूल्यांकन खाते में ले लिया जाता है। अनेक केंद्रीय बैंकों द्वारा यह प्रथा, जवाबदेही स्वतंत्रता सामंजस्य का एक स्वीकार्य समाधान माना जाता है। यह इसलिए भी उपयुक्त मानी जाती है कि आईएएस पद्धति के अंतर्गत प्रावधान पद्धति में बैंकिंग रिज़र्व सृजित किया जाना प्रतिबन्धित है जो, विदेशी विनिमय उतार-चढ़ावों की विपरीत परिस्थितियों में अतिरिक्त भंडार के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तथापि संघीय रिज़र्व सिस्टम और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा स्वामित्व लेखांकन सिद्धांत जो भुगतानित लागत दृष्टिकोण पर आधारित है, का अपनाया जारी रखे हुए है जिसमें स्वनिर्मित सहज विशिष्टताएं हैं।

रिपोर्टिंग और प्रकटन व्यवहार

8.37 हाल के दिनों में तुलन-पत्र प्रकटन में बढ़ती हुई पारदर्शिता की प्रवृत्ति नजर आ रही है। बैंक ऑफ कनाडा द्वारा विभिन्न कार्यकलापों जैसे मौद्रिक नीति, मुद्रा, वित्तीय व्यवस्था, निधि प्रबंध तथा खुदरा ऋण सेवाओं द्वारा खर्चों का विवरण प्रदान किया जाता है। बैंक इंडोनेशिया अपने कार्यकलापों जैसे मौद्रिक परिचालन (विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंध, मौद्रिक बाजार गतिविधियाँ और ऋण वित्तपोषण) भुगतान व्यवस्था सेवाओं, बैंकिंग सेवाएं और आय, के बारे में आय और व्यय के विवरण प्रकाशित करता है। न्यूजीलैंड का रिज़र्व बैंक भी अपने कार्यकलापों के अनुसार वित्तीय विवरणियों में आय और व्यय का विवरण रिपोर्ट करता है। जबकि कुछ बैंक, आय और व्यय का गतिविधि-वार विवरण प्रदान करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड का विचार है कि व्यवसाय इकाई का गैर-समेकित विश्लेषण अथवा भौगोलिक खंड, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

8.38 केंद्रीय बैंकों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में इतर तुलन-पत्र लिखतों जैसे, प्राप्त सम्पाश्र्विक, अग्रिम विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर सौदों, अभिरक्षा में रखी प्रतिभूतियों और अन्य मदों को प्रसारित करना शुरू कर दिया है (पुर्तगाल)। इतर तुलन-पत्र लिखतें जो सकारात्मक निवल बाजार मूल्य वाली हों वे आस्तियों के रूप में तथा जो नकारात्मक मूल्य वाली हों वे स्वीडन के केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र में देयताओं के रूप में रिपोर्ट की जाती है (रिक्सो बैंक)। दक्षिणी अफ्रीका के केंद्रीय बैंक द्वारा अग्रिम विदेशी मुद्रा संविदा दायित्वों को कुल देयताओं के एक घटक के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। इतर तुलन-पत्र लिखत पुनर्मूल्यांकन अंतरों को 'अन्य देयताओं' में दिखाया जाता है (नामत: जर्मनी)।

¹⁰ बैंक ऑफ रशिया लाभ और हानि खाते में आय और व्यय को नकदी आधार पर शामिल करते हैं।

¹¹ राजकोष को लाभ वितरण में उतार-चढ़ाव से, पर्याप्त पूंजी और रिज़र्व रखने से जो कुल खुले विदेशी मुद्रा स्थिति तथा घरेलू प्रतिभूतियों की धारिताओं तथा विगत तीन सालों में धारिता खाते में अंतरित राशि के औसत वितरण से जुड़े हों, बचा जा सकता।

8.39 दी बैंक ऑफ़ इंग्लैंड, दी बैंक ऑफ़ थाईलैंड और भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग और निर्गम विभागों के लिए अलग अलग खाते बनाते हैं। बैंक ऑफ़ थाईलैंड विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव कोष और वित्तीय संस्थाएं विकास कोष के खातों को भी विलग करता है। दक्षिणी अफ्रीका रिज़र्व बैंक समूह (अर्थात् केंद्रीय बैंक और इसकी सहायक कंपनियां) बैंक के वित्तीय विवरण अलग से प्रदान करता है, जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ आस्ट्रेलिया इसकी सहायक और नियन्त्रित इकाई को समाहित करते हुए समेकित वित्तीय विवरणियाँ बनाता और प्रसारित करता है।

8.40 तथापि कार्यकलापों के अनुसार आय को रिपोर्ट करना, केंद्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय परिणाम प्रसारित करना आम प्रचलन में नहीं है। इस प्रकार के विवरणों के अभाव में केंद्रीय बैंक के राजस्व, जो इसके एकाधिकार कार्यों से उपजित होता हो तथा नोट जारी करने से अर्जित होता है में अंतर करना संभव नहीं है। अनेक केंद्रीय बैंक, मूल्यांकन आधार को अपनाने में रूढ़िवादी बने हुए हैं और अपनी वित्तीय विवरणियों में सूचना जारी करने में कम पारदर्शी हैं। अनेक मामलों में, प्रकटन के बारे में रूढ़िवादी दृष्टिकोण को केंद्रीय बैंकों की नीतिगत प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के आधार पर समर्थित किया जाता है। तथापि, केंद्रीय बैंकों की बढ़ती स्वतंत्रता की प्रवृत्ति ने उन्हें सूचना के प्रसारण में जबाबदार और पारदर्शी बना दिया है, जो उनकी नीति की प्रभावकारिता तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व दृष्टिकोण के आकलन के संदर्भ में अनिवार्य मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक अब 'आर्थिक मूल्य' पर ज्यादा जोर देते हैं अपेक्षा, इकाई के परिचालनगत 'नकदी प्रवाह' के प्रभाव के। इस तथ्य के बावजूद कि

केंद्रीय बैंक के पास आदेश है जो उन्हें वाणिज्यिक संगठनों से अलग करती है, उनके वित्तीय जोखिमों को देखते हुए, उनके लिए यह उचित समझा जाता है कि वे वाणिज्यिक इकाईयों जैसा ढांचा ही अपनाएं। हाल की गतिविधियाँ इस बात की सूचक हैं कि केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक वित्तीय इकाईयों पर लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाए जाने के पक्ष में हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि केंद्रीय बैंक मुनाफा बढ़ाने वाली इकाइयां नहीं हैं और उनके शेयरों आमतौर से 'बाजार' मूल्य पर विनिमय नहीं किए जाते हैं।

III. भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास और रिज़र्व बैंक तुलन-पत्र

8.41 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना एक निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में अप्रैल 1, 1935 को 'बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करने और भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियां रखना तथा आमतौर पर देश के हित में करेंसी और ऋण प्रणाली का संचालन करने' के लिए हुई (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना)। रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार से निर्गम विभाग का नियंत्रण लिया गया तथा भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक से लोक ऋण और सरकारी खातों का प्रबंध अपने हाथ में लिया।

8.42 रिज़र्व बैंक के प्रारंभ से ही उसकी वित्तीय स्थिति की एक स्पष्ट विशेषता रही है, (दो तुलन पत्र तैयार करना - एक निर्गम विभाग के लिए तथा दूसरा बैंकिंग विभाग के लिए। इस प्रथा का आरंभ हिल्टन यंग कमीशन (1926) की सिफारिशों से हुआ जो बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के संव्यवहार के अनुसरण में था (बॉक्स VIII.2)। तथापि बैंक, एक

बॉक्स VIII.2

हिल्टन यंग कमीशन और रिज़र्व बैंक तुलन-पत्र

निर्गम और बैंकिंग विभाग का विलगीकरण, 'स्थायी न्यासी निर्गम व्यवस्था' में देखा जा सकता है, जो यूके में इसके बैंक चार्टर अधिनियम 1844 के अंतर्गत अपनाई गई। 1844 के अधिनियम में चाहा गया था कि नोट निर्गम और बैंकिंग व्यवसाय का कार्य दो अलग विभागों, निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग में हो। निर्गम विभाग नोटों के निर्गम और शोधन को एकमेव रूप से देखे। अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए और पात्र सभी नोटों के समर्थन स्वरूप इसके पास स्वर्ण रिज़र्व और राजकीय ऋण की निर्धारित राशि प्रतिभूति के रूप में रहेगा। सृजित और जनता को निर्गमित नोट, सक्रिय संचलन के घटक रहे, जबकि निर्गमित नोटों का शेष जो जनता द्वारा धारित नहीं है, बैंकिंग विभाग के रिज़र्व का हिस्सा बने। बैंकिंग विभाग को बट्टा, क्रेडिट और बैंकिंग व्यवसाय के लिए उत्तरदायी बनाया गया।

भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन (अध्यक्ष : हिल्टन यंग) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए जाने के लिए एक समानुपातिक रिज़र्व व्यवस्था भी प्रस्तावित

की। जबकि, अपने आप में, इस प्रकार की व्यवस्था, के लिए रिज़र्व बैंक के बैंकिंग और नोट निर्गम विभाग को अलग किया जाना जरूरी नहीं था, तुलन-पत्र का यह द्विविभाजीकरण कमीशन की टिप्पणी से प्रेरित था कि :

रिज़र्व बैंक के खाते सरलतम रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए और इस विचार से यह अनिवार्य है कि नोट निर्गम के बारे में आस्तियों और देयताओं के लिए एक अलग विवरणी बनाई जाए। हमारा विचार है कि इस प्रकार का विलगीकरण नए नोट में अधिक विश्वास जागृत करेगा। यद्यपि यह मामले के निपटान का अनुपम तरीका है, ऐसा कोई सशक्त कारण नजर नहीं आता कि इसे क्यों नहीं अपनाया जाए।

स्रोत:

दि रिपोर्ट ऑफ़ दि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस (चेयरमैन : हिल्टन यंग), 1926।

¹² यह नोट किया जाए कि, राष्ट्रीय लेखांकन प्रयोजन से, रिज़र्व बैंक के निर्गम और बैंकिंग विभाग अलग अलग माने जाते हैं। जबकि निर्गम विभाग 'लोक प्रशासन' का एक भाग माना जाता है, बैंकिंग विभाग 'बैंकिंग और बीमा' का घटक माना जाता है।

एकल समेकित लाभ-हानि खाता बनाता है¹²। इसके अतिरिक्त, एक अनुपम प्रथा रही है, धारा 53(1) के अंतर्गत इन दो विभागों के लिए अलग अलग, साप्ताहिक आवर्तन पर लेखा परीक्षित, खाते तैयार करना तथा उन्हें सरकार को भेजना। वार्षिक लेखा समीक्षित खाते पुनः द्विविभाजित रूप में जून के अंत में तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद सरकार को लाभों का अंतरण किया जाता है।

8.43 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग का तुलन-पत्र देयताओं का समर्थन 'चलन में नोट' जो मुख्य रूप से स्वर्ण सिक्के और सोना-चांदी, रुपए सिक्के, रुपए प्रतिभूतियाँ और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में होता है, द्वारा दिखाता है। बैंकिंग विभाग की देयताओं में शामिल हैं, प्रदत्त पूंजी, रिज़र्व कोष, राष्ट्रीय औद्योगिक क्रेडिट कोष और राष्ट्रीय आवास क्रेडिट कोष, सरकार बैंकों तथा अन्य द्वारा धारित जमाएं, भुगतान योग्य बिल तथा 'अन्य देयताएं' जिनमें रिज़र्व तथा प्रावधान शामिल हैं। बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नकदी शेष (नोट, रुपए सिक्के और छोटे सिक्के), खरीदे गए और बढ़ाकृत बिल (खजाना बिल और वाणिज्यक व्यापार बिल, घरेलू और विदेशी दोनों), विदेशों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय इकाईयों तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के साथ विदेशों में रखी गई शेष जमा राशि, भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश, विदेशी प्रतिभूतियाँ, सहायक और सहयोगी संस्थाओं में शेयर तथा ऋण और अग्रिम, मूलतः नाबार्ड को सामान्य सीमा क्रेडिट (जीएलसी)I के अंतर्गत उसके द्वारा मौसमी कृषि परिचालनों हेतु वाणिज्य और राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए गए ऋण के विरुद्ध, तथा जीएलसी II अन्य अनुमोदित अल्पकालीन प्रयोजनों हेतु।

8.44 बैंक के तुलन-पत्र पर वित्तीय गहनता के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण सूचक है निर्गम से बैंकिंग विभाग तुलन-पत्र का अनुपात (चार्ट VIII.1)। निर्गम से बैंकिंग विभाग के तुलन-पत्र आकार का अनुपात जो 1970 के पूर्व में काफी गिरा, 1980 से लगभग समान बना हुआ है। जबकि बैंक के संयुक्त तुलन-पत्र का जारी नोटों का अनुपात, 1950 में सीमांत रूप से उच्च था, बैंकों के राष्ट्रीकरण के पश्चात् के चरण के दौरान इसमें निरंतर कमी दृष्टिगोचर हुई, जो बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार को प्रतिबिंबित करता था, परिणामतः रिज़र्व बैंक के पास बैंकों के रिज़र्व में वृद्धि भी (सारणी 8.9)।

8.45 शेष भाग रिज़र्व बैंक की उभरती भूमिका और प्रमुख कार्यकलापों नामतः नोट निर्गम प्राधिकारी, सरकार के बैंकर, अन्य बैंकों के बैंकर, विकासात्मक भूमिका तथा विनिमय दर और विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंध के संदर्भ में तुलन-पत्र के लिए प्रशासन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके इतिहास के मार्ग के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र की बदलती रूपरेखा विभिन्न चरणों में इसके विकास को प्रतिबिंबित

चार्ट VIII.1: निर्गम से बैंकिंग विभाग तुलन-पत्र का अनुपात

अनुपात

करती है अर्थात् (1) निर्माणकारी वर्ष (1935-1949); (2) आधार चरण (1950-1967); (3) सामाजिक नियंत्रण का चरण (1968-1990 और (4) वित्तीय उदारीकरण का चरण (1991से आगे)। ये चरण रिज़र्व बैंक की भूमिका तथा इसकी सरकार तथा शेष वित्तीय व्यवस्था के साथ कार्यगत संबंधों के संदर्भ काफी विशिष्ट रहे हैं। भारत में केंद्रीय बैंकिंग की बदलती भूमिका रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के आकार में, इसके गठन (घरेलू की तुलना में अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ) सरकार को समर्थन, वित्तीय व्यवस्था को वित्तपोषण की मात्रा और शर्तों, विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण और अंततः बैंक के आय रेखाचित्र प्रतिबिंबित होते रहे हैं। वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता और प्रकटीकरण के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र प्रकटतः लेखांकन और प्रकटीकरण की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की ओर परिवर्तन प्रतिबिंबित कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में, इस अनुभाग में प्रत्येक चरण की अधिक विवरण सहित जांच की जाएगी।

सारणी 8.9: नोट निर्गम

चरण	नोट प्रतिशत के रूप में जारी किए गए	
	रिज़र्व बैंक की कुल देयताएं	जीडीपी
1	2	3
1935-50	80.2	—
1951-60	81.5	12.1
1961-70	78.7	10.5
1971-80	64.2	9.6
1981-90	48.8	9.9
1991-00	51.5	10.4
2001-04	55.8	11.7

(i) निर्माण कारी वर्ष (1935-1949)

8.46 अपने प्रारंभ 1935 से ही रिजर्व बैंक देश में नोट निर्गम प्राधिकारी था।¹³ रिजर्व बैंक रुपए की स्टर्लिंग के साथ विनिमय साम्यता बनाए रखने के प्रति भी उत्तरदायी था। शुरुआती चरण में सरकार की वित्तीय नीति बजटीय घाटों के विरुद्ध थी। वास्तव में, बजटीय संतुलन की प्राप्ति रिजर्व बैंक की स्थापना की पूर्व शर्त थी। तथापि युद्ध अवधि के दौरान याने 1940-46 ऊँचे अनुपात में घाटा वित्तपोषित हुआ, जिसका परिणाम बड़ी मात्रा में मौद्रिक विस्तार हुआ जिससे मुद्रास्फीतीय दबाव बने।

नोट निर्गम प्राधिकारी

8.47 नोट निर्गम व्यवस्था की स्थापना समानुपातिक रिजर्व व्यवस्था पर आधारित थी, जिसे रुपए 400 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियों तथा 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण सिक्का और सोना-चांदी या कुल रुपए 515 करोड़ की न्यूनतम धारिताओं की व्यवस्था से 1956 में बदल दिया गया। रिजर्व बैंक (द्वितीय संशोधन) 1957 के अंतर्गत स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण, सोना-चांदी और विदेशी प्रतिभूतियों का समुच्चय मूल्य निर्गम विभाग में किसी भी समय में 200 करोड़ रुपए से कम न हो, निर्धारित किया गया, जिसमें से स्वर्ण सिक्कों और सोने-चांदी का मूल्य किसी भी समय 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ये शर्तें तब से संशोधित नहीं की गई हैं।

सरकार का बैंकर

8.48 रिजर्व बैंक, सरकार के बैंकर के रूप में अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) 1935 से ही प्रदान करता रहा है जो सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी अनमेलताओं को पाटने के उद्देश्य से था। अल्पकालिक निभाव स्वीकार करने के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक अपने निर्माणकारी चरण में केंद्रीय और स्थानीय सरकारों की किसी भी परिपक्वता की प्रतिभूतियों को बैंक की समुच्चय चुकता पूंजी, रिजर्व कोष और बैंकिंग विभाग के जमाओं के पांच तिहाई तक खरीद सकता था। यह व्यवस्था 1954 तक चलती रही जब इसे बजट घाटे के स्वचालित मौद्रिकरण की व्यवस्था से, जो तदर्थ खजाना बिलों के निर्गम के माध्यम से थी, बंद किया गया।

विनिमय दर और विदेशी मुद्रा प्रबंध

8.49 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा बैंक पर रुपए की स्टर्लिंग के मुकाबले विनिमय दर 1एस, 6 डी, प्रचलित विनिमय समतुल्य को बनाए रखने का दायित्व डाला गया। प्रारंभिक वर्षों के दौरान (1935-1945), रिजर्व बैंक द्वारा भारी स्टर्लिंग शेष, निर्यात अधिशेष के कारण तथा शुद्ध व्यय के वित्तपोषण के अनुसंधान में बनाए गए। स्टर्लिंग शेषों के निरंतर संचय के फलस्वरूप, व्यवस्था में मुद्रा स्फीतिकारी दबाव बन गए। बैंक से सरकार की उधारी का उपयोग 1943-44 के दौरान, अधिशेष व्यय अधिकार को निष्क्रिय करने में किया गया ताकि मूल्य वृद्धि की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को रोका जा सके। तथापि, इसका परिणाम, रिजर्व बैंक के पास सरकार की नकदी शेष जमा राशि में तीव्र वृद्धि में हुआ। मुद्रा स्फीतिकारी दबावों का प्रतिवाद करने के लिए सरकार की ओर से मौद्रिक स्वर्ण की विक्री की गई। बीच-बीच में अंतरालों पर सट्टेबाजी की शक्तियों के कारण होने वाली विनिमय दरों में अस्थिरता का प्रबंध मुद्रा दरों में यथोचित समायोजन करके किया गया ताकि विनिमय दर को समर्थन प्रदान किया जा सके।

8.50 1935 में, निर्गम विभाग में धारित स्वर्ण, जो नोट संचालन को समर्थन प्रदान करता था दोनों जगह, भारत में (रुपए 41.55 करोड़) और विदेश में (रुपए 2.87 करोड़) रखा गया। तथापि 1940-41 के दौरान विदेशों में रखा गया स्वर्ण भारत में अंतरित किया गया जिससे निर्गम विभाग की आस्तियों में रुपए 44.41 करोड़ की वृद्धि हुई। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के पास भारत में रखे गए स्वर्ण को ब्रिटिश सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की ओर से लंदन में रखे स्वर्ण के विनिमय के माध्यम से प्रभावित किया गया। वर्तमान में निर्गम विभाग का सारा स्वर्ण भारत में धारित है, यद्यपि अधिनियम इस बात के लिए अनुमत करता है कि निर्गम विभाग द्वारा धारित कुल स्वर्ण का 15 प्रतिशत विदेशों में रखा जा सकता है¹⁴।

8.51 ब्रिटिश सरकार के साथ हुए स्टर्लिंग करार (जुलाई 1948 से जून 1951) की समाप्ति पर, एक नया दीर्घावधि करार किया गया जो भारत के स्टर्लिंग शेषों में से पाउंड 35 मिलियन तक जुलाई 1, 1951 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक छह सालों में आहरण अनुमत करता था और साथ ही यदि किसी वर्ष में कम आहरण किया गया तो किसी वर्ष विशेष में आहरण न की गई राशि को आगामी वर्षों में आहरित करने को भी अनुमत करता था¹⁵। खुले बाजार परिचालन खजाना अपेक्षाओं से संचालित होते थे। बैंक से यह अपेक्षित था कि वह सरकार की लंदन हेतु प्रेषण

¹³ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, बैंक द्वारा सरकार के करेंसी नोट निर्गम करना जारी रहा जब तक कि इसके अपने विशिष्ट नोट प्रयोग हेतु तैयार हुए। बैंक द्वारा अपने प्रथम करेंसी नोटों का निर्गम पांच रुपए और दस रुपए मूल्यवर्ग का किया।

¹⁴ बैंकिंग विभाग की समस्त स्वर्ण धारिता जो 65.5 टन है विदेशों में रखी है।

¹⁵ करार के अंतर्गत 160 मिलियन पाँड (भारत के न एक खाते में 80 मिलियन पाँड सहित) तीन वर्ष की समय अवधि के दौरान खर्चों के लिए विमोचित किए जाने थे। इसमें से अधिकतम 15 मिलियन पाँड नकद करेंसी में, करार के प्रथम वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने थे।

आवश्यकताओं तथा स्टर्लिंग दायित्वों को निभाएगा। 1949 में रुपए का अवमूल्यन 30.5 प्रतिशत किया गया। यह स्टर्लिंग क्षेत्र सदस्य देशों तथा यूरोप, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के अनेक अन्य देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन के अनुरूप था। 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि स्टर्लिंग के अतिरिक्त अन्य विदेशी प्रतिभूतियाँ धारित करना संभव हो सके जो भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होने के नाते दायित्व ग्रहण करने के अनुसरण में था।

अन्य प्रमुख घटनाएं

रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीकरण

8.52 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीकरण के पश्चात, निजी शेयर धारिता सरकार द्वारा अभिगृहीत कर ली गई, जो अंशतः सरकारी प्रामिसरी नोट, 3 प्रतिशत वाले प्रथम विकास ऋण 1970-75, जो सममूल्य पर देय थे तथा अंशतः नकदी के रूप में स्थायी दरों पर मुआवजे के रूप में थे। 2200 शेयरों की पूर्वधारिता सम मूल्य पर अभिगृहीत की गई।

भारत-पाक बंटवारा और रिज़र्व बैंक तुलन-पत्र

8.53 भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात, स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान द्वारा, अप्रैल 1948 से जून 1949 की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग से लगभग 134 करोड़ रुपए की देयताओं (समतुल्य आस्तियों सहित) का प्रभार ग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग विभाग की आस्तियाँ (लगभग 101 करोड़ रुपए) भी 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान को समतुल्य राशि की देयताओं पर जो पाकिस्तान की केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों तथा पाकिस्तान में अनुसूचित बैंकों की जमाओं में थी, भी अंतरित की गई। मई 1950 में 12.19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ भी स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान को, समतुल्य मूल्य की रुपए प्रतिभूतियों के लौटाए जाने की बिना पर अंतरित की गई। इनके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक राशि (बैंक से 1947-48 में प्राप्त अतिरिक्त मुनाफे में से) 30 जून 1948 को पाकिस्तान में संचालित, पाकिस्तानी नोटों के कुल मूल्य से संबंधित तथा 1 जुलाई 1948 से पाकिस्तान में संचालित वापिस हुए भारतीय नोटों के कुल मूल्य तथा भारत और पाकिस्तान में 30 जून 1948 को संचालित भारतीय और पाकिस्तानी नोटों के कुल मूल्य से संबंधित थी।

(ii) आधार चरण (1950-67)

8.54 आयोजना के प्रारंभिक चरण में रिज़र्व बैंक द्वारा न केवल आवश्यक विधि तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया वरन् इसने

भारत में संस्थागत नेटवर्क स्थापित करने के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है, जिसे भारत में वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन और समेकन के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करके किया गया। आयोजना के प्रारंभिक वर्षों में रिज़र्व बैंक की भूमिका की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई (भारत सरकार 1951) :

“...एक नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंकिंग केवल क्रेडिट की समग्र आपूर्ति तक अथवा कुछ हद तक, बैंक ऋण प्रवाह के नकारात्मक विनिमयन तक सीमित नहीं रखी जा सकती। इसे प्रत्यक्ष और सक्रिय भूमिका निभानी होगी, प्रथमतः समस्त देश में विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आवश्यक मशीनरी का सृजन करना या सृजन में मदद करना, द्वितीयतः यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध वित्त इच्छित दिशा में प्रवाहित होते हैं ...”

विकासात्मक भूमिका

8.55 विकासात्मक केंद्रीय बैंकिंग की संकल्पना निम्नलिखित तीन-मुखी कार्यनीति को समाहित करती है:

- औद्योगिक वित्तपोषण जिसमें विकास वित्त संस्थाओं का संवर्धन शामिल हो, का एक संस्थागत ढाँचा सृजित करना
- बैंकों को रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराना, खास तौर से पुनर्वित्त के माध्यम से तथा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) कोष जिसकी स्थापना 1964 में की गई, के माध्यम से विकास वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त तथा
- राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालीन परिचालन) कोष और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थरीकरण) कोष जो 1956 में सहकारी साख तंत्र को मजबूत करने के लिए स्थापित किए गए, के माध्यम से निधियाँ उपलब्ध कराके ग्रामीण साख संवर्धन।

8.56 एक बड़ा कार्यनीति कदम, जुलाई 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तन (जिसमें रिज़र्व बैंक एक बड़ा नीति धारक था), जिससे एक बड़ा बैंकिंग नेटवर्क सरकार तथा केंद्रीय बैंक के अधिकार में आ गया।

8.57 रिज़र्व बैंक की विकासात्मक गतिविधियाँ इसके तुलन-पत्र में, अनेक विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं की हिस्सा पूंजी के अभिदान के रूप में तथा विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट समर्पित विकास कोषों के माध्यम से योगदान में प्रतिबिंबित होती हैं। औद्योगिक वित्त की अपेक्षाओं की पूर्ति की दृष्टि से, बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इसकी हिस्सा पूंजी तथा बांड में योगदान दिया। बैंक द्वारा प्रदान किये गए वित्त, राज्य वित्तीय निगमों, केंद्रीय

भूमि बंधक बैंकों द्वारा जारी डिबेंचरों में निवेश के रूप में थे (सरकार द्वारा गारंटी के शर्ताधीन)¹⁶।

8.58 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व शुरुआती चरण में ही स्वीकार कर लिया गया था, जब कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 54 द्वारा रिजर्व बैंक पर एक विशिष्ट कृषि साख विभाग के सृजन का दायित्व डाला। रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन परिचालन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थरीकरण) कोष की स्थापना और इन कोषों में वार्षिक अभिदान, बैंक द्वारा की गई अन्य बड़ी महत्वपूर्ण विकासात्मक पहल थी¹⁷। एनएसी (दीर्घकालीन परिचालन) कोष 3 फरवरी, 1956 को, 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक योगदान से गठित किया गया जबकि एनएसी (स्थरीकरण) 30 जून 1956 को एक करोड़ रुपए के प्रारंभिक योगदान से गठित किया गया। एनएसी (दीर्घकालीन परिचालन) कोष में पांच करोड़ रुपए का पहला अंशदान बैंक की वर्ष के अंत में जून 30, 1956 की आय में से किया गया। बैंक ने 1958 में 'रिफायनेन्स कारपोरेशन फोर इंडस्ट्री लि' की स्थापना में भी सहभागिता की जो मार्च 28, 1961 से एक सार्वजनिक लि. कम्पनी बन गई। 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के साथ ही, पुनर्वित्त निगम, 1 सितम्बर 1964 को आईडीबीआई द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई। दूसरा घटनाक्रम था नई धारा 46 सी की अंत-स्थापना, जिसने राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घ कालीन परिचालन) कोष की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें दस करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान जमा किया गया।

विदेशी मुद्रा दर और विदेशी विनिमय प्रबंध

8.59 1950 के प्रारंभिक वर्षों में भुगतान संतुलन स्थिति में काफी गिरावट दृष्टिगोचर हुई (विकास योजनाएं चालू रखने के लिए आवश्यक समझा गया)। जबकि चलनिधि विकास, सुदृढ़ रही। अवमूल्यन एवं कोरियन युद्ध अवधि के पश्चात् इंडो-यूके स्टर्लिंग शेष करार के अंतर्गत

आश्वासनों (35 मिलियन स्टर्लिंग पौंड के वार्षिक आहरण के) के अलावा रिजर्व बैंक के संचित विदेशी मुद्रा रिजर्वों से भुगतान संतुलन वित्त पोषित किया गया।

बैंकों के बैंकर

8.60 1950 में स्फीतिकारक दबावों के उभारों ने रिजर्व बैंक के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वह 16 वर्षों बाद 1951 में बैंक दर बढ़ाकर तथा सरकारी पेपर की खुले बाजार में बैंकों की खरीद बंद कर मौद्रिक कड़ापन अपनाए। इस नीति द्वारा, इस प्रकार, बैंकों में व्यस्त सीजन के दौरान सरकारी पेपर में विनिवेश करने की प्रथा को हतोत्साहित किया गया, जिसके द्वारा रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र के माध्यम से प्राथमिक मौद्रिकरण की सीमा पर रोक लगाई गई।

(iii) सामाजिक नियंत्रण का चरण (1958-1990)

8.61 तीन बड़े तेल कीमत आघातों (1973-74, 1979-80 और 1983-84) जो इस अवधि के दौरान हुए, से समष्टि आर्थिक परिवेश न्यून अनुकूल रहा, जिसने पूर्व में ही देश की शोचनीय बाहरी संसाधन स्थिति को और तीव्रता प्रदान की। 1960 में देरी से प्रारंभ किए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण ने बैंकिंग व्यवस्था के संसाधनों को 'प्राथमिकता' प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने जो रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं से समर्थित थे, की नीति प्रेरित शुरुआत हुई। इस चरण की अन्य विशेषता थी राजकोषीय असंतुलनों का उभार और सरकार द्वारा बिना रोकटोक के रिजर्व बैंक से वित्तीय घाटे के वित्तपोषण का आश्रय लेना। घाटे के मौद्रिकरण की इस स्वचालित प्रक्रिया ने सांविधिक अग्रक्रम जो नकदी आरक्षित अनुपात (सी आर आर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में थे, की बारम्बारिता में वृद्धि आवश्यक बना दी, जो बढ़े हुए मौद्रिकरण से जनित मुद्रास्फीतिकरण प्रभावों को निष्प्रभावी करने का एक प्रयास था। रिजर्व बैंक का तुलन-पत्र विकासात्मक गतिविधियों में इसकी भूमिका को प्रतिबिंबित करता रहा।

¹⁶ भारतीय औद्योगिक विकास निगम (1948) सहित, मध्य और दीर्घकालीन वित्त के लिए भारतीय पुनर्वित्त निगम (1958), औद्योगिक ऋणों के विरुद्ध पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (1964), शीर्ष आवधिक ऋण संस्था (जिसने पुनर्वित्त निगम का भी अधिग्रहण किया) की स्थापना की गई। 1950 के शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना में, स्थानीय मध्यम और लघु उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए, सक्रिय भूमिका निभाई। रिजर्व बैंक द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (1964) की प्रारंभिक पूंजी में भी 50 प्रतिशत का योगदान दिया।

¹⁷ अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के संदर्भ में रिजर्व बैंक से यह अपेक्षा की गई थी कि वह एनएसी (दीर्घकालीन परिचालन) कोष में प्रारंभिक राशि 10 करोड़ रुपए तथा वर्षांत 30 जून 1956 के शुरु होनेवाले पांच वर्षों में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए से कम नहीं जमा करे (एनएसी स्थरीकरण) कोष के मामले में शर्त थी, 'इस कोष में बैंक द्वारा ऐसी (इतनी) राशियां जमा की जाएंगी जो बैंक प्रतिवर्ष दे सके बशर्ते कि वर्ष के अंत में जून 30, 1956 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। दोनों ही कोषों के मामले में केंद्र सरकार, अगर आवश्यक समझे, बैंक को किसी भी वर्ष में इसका योगदान कम या अधिक करने को अधिकृत कर सकता है।' एनएसी (दीर्घकालीन परिचालन) कोष में योगदान 5 करोड़ रुपए बढ़ाकर वर्ष के अंत में 30 जून 1962 को 11 करोड़ और वर्ष 1962-63 के दौरान 12 करोड़ रुपए कर दिया गया। सामाजिक नियंत्रण चरण के दौरान इन दो कोषों में वार्षिक योगदान काफी बढ़ा दिए गए थे तथा अंततः ये दो कोष 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को अंतरित कर दिए गए।

सरकार का बैंकर

8.62 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को बड़ी मात्रा में निभाव प्रदान किया जाना जारी रहा। किसी संस्थागत व्यवस्था के अभाव में जो सरकार पर प्रतिभूतियाँ जारी करने और इस तरह बैंकों से सरकार को ऋण प्राप्त करने पर सीमा लगाए, तदर्थ खजाना बिलों को जारी रहने से इस चरण के दौरान गंभीर स्वचालित मौद्रिकरण हुआ जिसने मौद्रिक प्रबंध के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की। बड़ी मात्रा में घाटे के वित्तपोषण ने रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र पर दबाव बनाया जो रिजर्व मुद्रा के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण एकल चालक सिद्ध हुआ। सरकार को रिजर्व बैंक निभाव तेजी से ऊपर चढ़ा, जो 1980 में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को प्रदान की गई निवल ऋण के साथ रिजर्व मुद्रा का 90 प्रतिशत था (जाधव 1994)।

बैंकों का बैंकर

8.63 1970 के मध्य से घाटे के वित्तपोषण के मौद्रिक प्रभाव को आस्तियों पर देयताओं की तरफ उच्चतर नकदी रिजर्व अपेक्षाओं के माध्यम से निष्प्रभावी करने की नीति ने रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र को सकल देसी उत्पाद के अनुपात में विस्तृत करना शुरू कर दिया था। प्रतिबंधात्मक उपाय, सीआरआर और एसएलआर ने प्रगामी वृद्धि के साथ तथा समय समय पर बैंकों को विवेकाधीन पुनर्वित्त में कटौती के साथ ही अधिकाधिक कड़े होते गए¹⁸। बैंकों की मांग और मीयादी देयताओं पर 3.0 प्रतिशत के वांछित अनिवार्य न्यूनतम से ऊपर के रिजर्व पर ब्याज दर धीरे-धीरे जून 1973 के 4.75 प्रतिशत से जून 1978 को 6.5 प्रतिशत बढ़ा दी गई जो सीआरआर में वृद्धि के प्रभाव को हल्का करने के उद्देश्य से था, जो रिजर्व बैंक की लाभप्रदता को दुष्प्रभावित कर रहा था। बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात में प्रगामी वृद्धि की शर्तों की इस प्रक्रिया से इसे और भी मदद मिली जिससे राजकीय प्रतिभूतियों के लिए अतिरिक्त मांग का सृजन हुआ। यह अवधि साख प्रतिबंधन की समग्र नीति के रूप में चिह्नित की गई, जो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पुनर्वित्त में आई भारी कमी में परिलक्षित थी। वास्तव में सांविधिक चलनिधि अनुपात को दैनिक आधार पर प्रभावी रूप से रखे जाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा था। यह इस संदर्भ में था कि मौद्रिक व्यवस्था के कार्य पर समीक्षा समिति (अध्यक्ष सुखमय चक्रवर्ती 1985) ने इस बात की आवश्यकता सुनिश्चित करने पर बल दिया कि घाटे का वित्तपोषण आ 'सुरक्षित सीमाओं' को न लांघे।

विकासात्मक भूमिका

8.64 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, कृषि और उद्योग क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के लिए तीन राष्ट्रीय कोषों में योगदान भारी मात्रा में बढ़ा। इस चरण के दौरान रिजर्व बैंक ने एक समर्पित आवास क्रेडिट कोष में भी योगदान प्रारंभ कर दिया। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कोषों में अपना आबंटन बढ़ा दिया, जो 1971-75 के दौरान तुलन-पत्र का औसत 7.1 प्रतिशत था, 1975-80 में तुलन-पत्र का औसत 10 प्रतिशत हो गया। 1984-85 में, इन कोषों में योगदान 675 करोड़ रुपए था जो बाद में बढ़कर 1990-91 में 995 करोड़ रुपए हो गया। अपनी विकासात्मक भूमिका को आगे बढ़ाते हुए, रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सरकार के साथ, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) जिसने जुलाई 12, 1982 से कार्यारंभ किया, की हिस्सा पूंजी में 100 करोड़ रुपए के समान अनुपात में योगदान दिया। 9 जुलाई 1988 को, 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ, जो पूर्णतः रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत, जनवरी 1989 में 50 करोड़ रुपए की आधारभूत प्रारंभिक निधि के साथ राष्ट्रीय आवास क्रेडिट /दीर्घकालीन परिचालन/कोष की स्थापना की गई, इस मंशा के साथ कि कोष में हर साल, जितनी आवश्यक समझी जाए उतनी राशि जमा की जाए¹⁹। इसके पश्चात, केंद्रीय सरकार द्वारा 1992-93 के केंद्रीय बजट में लिए गए निर्णय के पश्चात, उक्त कोष में बड़ी मात्रा में जमा करने की प्रथा बंद कर दी और तब से कोष में केवल एक करोड़ रुपए की नाम मात्र की राशि, प्रतिवर्ष अंतरित की जा रही है।

विदेशी मुद्रा और विनिमय दर प्रबंध

8.65 इस चरण में भुगतान संतुलनों में हालत बिगड़ती नजर आई, बावजूद 1970 में कुछ अंतरालों पर सुधार के। आवक प्रेषणों में, बैंकों द्वारा नवम्बर 1975 में चालू की गई विदेशी मुद्रा अनिवासी (खाता) एफसीएनआर (ए) योजना के अंतर्गत आवक प्रेषणों में अस्थायी उछाल आया। तथापि बाहरी स्थिति 1980 के शुरु में, तेल आयात बिल में वृद्धि तथा व्यापार शर्तों में गिरावट के परिणाम स्वरूप बिगड़ी तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा नवम्बर 1981 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5 बिलियन के तैयशुदा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) कर्ज के

¹⁸ बैंकों को, खाद्यान्न क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट, स्टैंड बाई, विवेकाधीन और 182 दिवसीय खजाना वित्त पुनर्वित्त के रूप में पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध थीं।

¹⁹ कोष में वार्षिक योगदान रिजर्व बैंक के मुनाफे में से दिया जाता है। कोष में से राशि रिजर्व बैंक द्वारा केवल (i) राष्ट्रीय आवास बैंक को अपने व्यवसाय के लिए ऋण और अग्रिम तथा (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांड और डिबेंचरों की खरीद।

जो विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) के अंतर्गत था, रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी आई।

8.66 इसके अतिरिक्त, 6 जून 1966 को रुपए का तीव्र अवमूल्यन 36.5 प्रतिशत तक किया गया तथा उसके पश्चात रुपए-पौंड स्टर्लिंग विनिमय दर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की घटती-बढ़ती विनिमय दरों के आगे-पीछे संशोधित की गई। पौंड-स्टर्लिंग में चल रही निरंतर कमजोरी के बावजूद, रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान स्टर्लिंग व्यवस्था के साथ 24 सितम्बर, 1975 तक बने रहने को वरीयता दी गई, जब इसने अंततः रुपए को पौंड स्टर्लिंग खूँटे से बांधना छोड़ने का निर्णय लेकर इसे मुद्राओं की एक टोकरी (बास्केट) से जोड़ दिया²⁰। स्टर्लिंग का अवमूल्यन रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा रिज़र्व में घाटे का कारण बना, जब कि रुपए में भुगतान दायित्वों के संदर्भ में लाभ में परिणित हुआ। स्टर्लिंग में बड़ी मात्रा में अस्थिरता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने, सभी स्टर्लिंग देशों को उनकी स्टर्लिंग धारिताओं के लिए डॉलर के रूप में गारंटी देने का प्रस्ताव रखा यदि ये धारिताएं इनके कुल स्वर्ण और विदेशी मुद्रा रिज़र्व के 20 प्रतिशत से ज्यादा है। समझौते की प्रक्रिया में, भारत के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा रिज़र्व के 10 प्रतिशत से अधिक की स्टर्लिंग धारिताएं गारंटी की पात्र मानी गई और करार की अवधि समझौते से तीन वर्ष निर्धारित की गई। विनिमय दर के मोर्चे पर दर्शाती गतिविधियों में प्रत्येक तिमाही में रिज़र्व धारिताओं के पुनर्मूल्यन में बाजार दरों के संदर्भ में (पूर्व में प्रयुक्त केंद्रीय दर नहीं) अस्थायी परिवर्तन हुआ, पुनर्मूल्यन लाभों को अप्राप्त अधिमूल्यन के रूप में निर्गम विभाग में शामिल करना अनुमत हुआ। दूसरे शब्दों में, लाभ किसी प्रकार के गुप्त रिज़र्व के रूप में माने गए। तथापि, लाभों को गुप्त रिज़र्व के रूप में अंतरण संबंधी निर्णय उलट दिया गया और 26.4 करोड़ रुपए के संपूर्ण पुनर्मूल्यन लाभ को विदेशी मुद्रा घट बढ़ भंडार (ईएफआर) में अंतरित कर दिया गया और 'अन्य देयताओं' में दर्शाया गया।

8.67 इस अवधि के दौरान भी रिज़र्व बैंक की नीति में, केंद्रीय बैंक के पास निवेश रखने के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास जमाएं रखने (ड्यूशमार्क और फ्रांसीसी फ्रान्क) की नीति में परिवर्तन हुआ जिससे बढ़ती ब्याज दरों का लाभ तथा भंडारों के विविधिकरण के अवसर प्राप्त हुए। विविधिकरण कदम से रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार जो स्टर्लिंग और डॉलर से बाहर थे, स्टर्लिंग और डॉलर से अधिक हो गए। इस समस्त अभ्यास से 43.4 करोड़ रुपए का अधिमूल्यन लाभ मिला लेकिन तब सतर्कतापूर्ण रूझान अपनाया, यह ध्यान में रखते हुए कि यूरो-करेंसी बाजार में कोई अंतिम उधारदाता नहीं था। 1973 के उत्तरार्ध में, डॉलर के मजबूत हो जाने के साथ ही

स्टर्लिंग से डॉलर धारिता की ओर पुनः पदांतरण हो गया। रिज़र्व संचय प्रक्रिया जैसे जैसे गति पकड़ती गई, रिज़र्व विनियोजन संबंधी सांविधिक प्रावधान विस्तारित कर दिए गए जिनमें यूरोबांड में निवेश और वाणिज्य बैंकों में जमाएं तथा केंद्रीय बैंकों में स्वर्ण खाते खोलना अनुमत किया गया (आरबीआई 2005)।

8.68 1980 के दौरान राजकोषीय घाटे में बेतहाशा वृद्धि के फलस्वरूप हुए समष्टि आर्थिक असंतुलनों, 1991 तक एक घोर भुगतान संतुलन संकट साबित हुए। ऋण-सेवा अनुपात जो पूरे 1980 में धीरे धीरे बढ़ रहा था, 1991 में 35.3 प्रतिशत के उच्च पर पहुँच गया, जिसने, विश्व बैंक मानदंडों के संदर्भ में भारत को 'घोर ऋण ग्रस्त देश' की श्रेणी में ला दिया। रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, रिज़र्व मुद्रा के प्रतिशत के रूप में तेजी से, मार्च 1987 के 10.3 प्रतिशत से सितंबर 1990 तक 5.5 प्रतिशत तक गिरी, बावजूद सुदृढ़ निर्यात वृद्धि के। ऐसा विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत उधार राशियों की चुकौती के दबाव के कारण हुआ। (चार्ट VIII.2)।

(iv) आर्थिक उदारीकरण का चरण (1991 से आगे)

8.69 समष्टि आर्थिक संकट का मुकाबला, सरकार और रिज़र्व बैंक के समन्वित नीतिगत प्रतिसाद से किया गया और 1991 से आगे का समय अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों जैसे, सरकारी उधार, बाजार दरों पर, अर्द्ध राजकोषीय गतिविधियों को सुप्रवाही करना और दीर्घावधि

चार्ट VIII.2: एन एफ ए - रिज़र्व मुद्रा अनुपात में गति

प्रतिशत

अप्र. -86	जुल. -86	अक्तू. -86	जन. -87	अप्र. -87	जुल. -87	अक्तू. -87	जन. -88	अप्र. -88	जुल. -88	अक्तू. -88	जन. -89	अप्र. -89	जुल. -89	अक्तू. -89	जन. -90	अप्र. -90	जुल. -90
-----------	----------	------------	---------	-----------	----------	------------	---------	-----------	----------	------------	---------	-----------	----------	------------	---------	-----------	----------

²⁰ रुपए को पौंड-स्टर्लिंग से 1931 में बांध दिया गया था। यह व्यवस्था सितंबर 1971 में तीन माह की अल्पावधि को छोड़कर, जब तक रुपए को मुद्राओं की टोकरी से सितंबर 1975 में जोड़ने का निर्णय लिया गया चलती रही।

कोषों में योगदान बंद करना, अग्रक्रम में कमी, मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष लिखतों का अधिकाधिक प्रयोग तथा रिज़र्व बैंक की सहायक कंपनियों में शेयर धारिता का विनिवेश, को चिह्नित करता है। इन सबके रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र पर गंभीर निहितार्थ रहे।

सरकार का बैंकर

8.70 अप्रैल 1997 तक तदर्थ खजाना बिलों को बाहर कर देने के माध्यम से राजकीय घाटे के स्वचालित मौद्रिकरण को बंद करने के साथ ही, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय सरकार को बैंकर की भूमिका में आधार भूत परिवर्तन आया है। समग्र मौद्रिक लक्ष्यों के अनुरूप सरकार को निवल बैंक क्रेडिट निर्धारित करने के साथ ही, रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू आस्तियों के अभिग्रहण करने में सीमित विवेक का अभ्यास करना शुरू किया जो घरेलू आस्तियों के स्वचालित अभिग्रहण की पूर्व व्यवस्था के विपरीत था। तदनुसार, रिज़र्व बैंक की केंद्रीय सरकार को सहायता उचित निम्न स्तर पर आ चुकी है, जो पूंजीगत प्राप्त राशियों, खुले बाजार और रेपो परिचालनों के माध्यम से परिणामित निष्प्रभावी परिचालनों में वृद्धि तथा नवीनतम लागू किए गए लिखतों जैसे बाजार स्थिरीकरण कोष के कारण सुविधाजनक चलनिधि परिस्थितियों द्वारा समर्थित है। केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में रिज़र्व बैंक का अभिदान 1998-99 में, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए एकत्रित सकल राशि का लगभग 46.0 प्रतिशत था, उसके बाद तेजी से गिरा। बदले हुए परिदृश्य में सरकार को रिज़र्व बैंक की निवल क्रेडिट, प्रत्यक्ष मौद्रिकरण की सीमा नहीं दर्शाती वरन् रिज़र्व बैंक के मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों में परिचालनों के संयुक्त प्रभाव का चित्रण करती है।

बैंकों का बैंकर

8.71 रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र नकदी आरक्षित अनुपात शेष जमाराशि पर ब्याज भुगतान प्रणाली को युक्तिसंगत करने के साथ ही नकदी आरक्षित अनुपात को धीरे धीरे कम कर दिया गया है। यौक्तीकरण प्रक्रिया का आरंभ, नकदी आरक्षित अनुपात शेष जमाराशि के लिए पारिश्रमिक के लिए द्विस्तरीय विभेदक फार्मूले का एक समान दर में बदलाव तथा पात्र नकदी आरक्षित अनुपात शेष जमाराशि पर पारिश्रमिक को बैंक दर से 3 नवंबर 2001 से जोड़ने से हुआ²¹। सांविधिक चलनिधि अनुपात भी चरण बद्ध रूप में घटाकर फरवरी 1992 के 38.5 प्रतिशत से अक्टूबर 1997 में 25 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को स्थायी पुनर्वित्त सुविधाओं, निर्यात हेतु क्रेडिट पुनर्वित्त को छोड़कर, को बंद कर

दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक तुलन-पत्र को देयताओं की तरफ कुछ सीमा तक, केंद्रीय बैंक के पास बैंकों के रिज़र्व को कम करके तथा आस्ति की तरफ बैंकों को स्थायी पुनर्वित्त समर्थन पर नियंत्रण लगाकर कुछ सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इस चरण के दौरान, अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में पूंजी अंतर्वाह हुआ है, रिज़र्व बैंक इन्हें अपने तुलन-पत्र में अवशोषित करने में सक्रिय है, जब कि साथ ही साथ निष्प्रभावीकरण के एक उपाय के रूप में सरकारी पेपर को अधिकांशतः निकाल रहा है जिससे अपने आस्ति संविभाग के पुनर्वितरण को अपने तुलन-पत्र और रिज़र्व मुद्रा के बिना किसी उल्लेखनीय विस्तार के, प्रेरित कर रहा है।

8.72 विदेशी मुद्रा के सुदृढ़ और निरंतर अंतर्वाह की पृष्ठभूमि में और रिज़र्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों के सीमित स्टॉक की उपलब्धता के देखते हुए, सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच हुए सहमति ज्ञापन के अनुसरण में अप्रैल 2004 में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) लागू की गई, जिसके द्वारा सरकार द्वारा विशेष रूप से निष्प्रभावीकरण परिचालनों के प्रयोजन से प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। एमएसएस के अंतर्गत सरकारी कागज जारी किए जाने का उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की पूंजीगत प्राप्तियों से सृजित रूपया चलनिधि को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इस लिखत के मौद्रिक और बजटीय प्रभाव को तटस्थ बनाने के लिए, एमएसएस के अंतर्गत आगमों को अभिनिर्धारण योग्य एक अलग खाते में रखा जाता है जो सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के साथ रखा जाता है, जिसका विनियोजन केवल एमएसएस के अंतर्गत जारी पेपर के विमोचन तथा/अथवा पुनःक्रय के प्रयोजन में ही किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक भी सरकार को निवल क्रेडिट में परिणामतः कमी पूंजीगत प्राप्तियों के कारण रिज़र्व बैंक की विदेशी आस्तियों में अभिवृद्धि के विस्तारमुखी प्रभाव को तटस्थ बना देती है। एमएसएस के अंतर्गत जारी पेपर, एक निवेशक के दृष्टिकोण से सामान्य गिल्ट जारी करने से भिन्न नहीं होता, इसका जारी किया जाना गैर मौद्रिक प्रकृति का होता है, क्योंकि एमएसएस, रिज़र्व बैंक के पास सरकार की जमाराशि है। फिर भी, इसका रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र पर विस्तारमुखी प्रभाव होता है। जून 2005 के अंत में एमएसएस के अंतर्गत जमा राशि 71,681 करोड़ रुपए थी या रिज़र्व बैंक की कुल देयताओं का 10.5 प्रतिशत। तथापि 24 फरवरी 2006 को यह राशि घटकर 31,258 करोड़ रुपए अथवा रिज़र्व बैंक की कुल देयताओं के 5 प्रतिशत से नीचे आ गई। एमएसएस योजना के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों को निष्प्रभावी करने के परिचालन से एक चरण की शुरुआत हुई निष्प्रभावीकरण की लागत पारदर्शी रूप से रिज़र्व बैंक की बजाय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

²¹ इसे 18 सितंबर 2004 से प्रारंभ पाक्षिक से बंद कर दिया गया है, जब सी आरआर शेषों पर दिए जाने वाली ब्याज दर को घटाकर 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया।

8.73 इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक की अर्द्ध राजकोषीय गतिविधियों में पर्याप्त मात्रा में कमी आई है²²। एक महत्वपूर्ण रिजर्व बैंक अर्द्ध राजकोषीय गतिविधि गैर निवासियों विदेशी मुद्रा खातों (एफसीएनआरए) के अंतर्गत जमाओं के लिए, बैंकों को विनिमय गारंटी देने का भार रिजर्व बैंक पर आया जिससे इन जमाओं के लिए विनिमय गारंटी के विरुद्ध प्रावधानीकरण की जरूरतों में वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय जोखिम न केवल एफसीएनआरए जमाओं के लिए ही वहन की जा रही थी वरन् भारत विकास बांडों (आईडीबीज) और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी विदेशी मुद्रा अधिशेष के लिए भी। जब कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा अधिशेष राशि रखे जाने की प्रथा को बंद कर दिया गया, आईडीबीज को 1997 के पूर्वार्ध में विमोचित कर दिया गया। अधिक महत्व की बात जो हुई, एफसीएनआरए जमाओं के वार्षिक बहिर्वाह से संबंधित विनिमय दर जोखिम दायित्व 'जुलाई 1993 से सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गए, इस समझ के साथ कि रिजर्व बैंक सरकार को सामान्य अंतरण से ऊपर लाभराशि, एफसीएनआर विनिमय हानियों की पूर्ती के लिए, अंतरित करेगा। 14 अगस्त 1994, से इस जमा योजना को बंद किए जाने के साथ ही, विनिमय गारंटी का अस्तित्व 17 अगस्त 1997 से समाप्त हो गया। 15 मई 1993 से लागू की गई विदेशी मुद्रा (गैर-निकासी) खाते (बैंक्स) योजना के अंतर्गत जोखिम बैंकों द्वारा स्वयं वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त, रिसर्जेंट भारत बांड (1998) तथा भारत मिलेनियम जमाराशियों (2000) के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा राशियों में रिजर्व बैंक की विनिमय दर गारंटी में कोई लिप्तता नहीं है।

विकासात्मक भूमिका

8.74 उदारीकरण के बाद के चरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी विकासात्मक भूमिका आचरण को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। उदारीकरण से पूर्व के चरण में, विकासात्मक गतिविधियों के प्रयास संस्थाओं के निर्माण पर केन्द्रित थे, जो विकास के लिए प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराने में संलग्न थीं। दूसरी ओर, उदारीकरण पश्चात् के

चरण के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी संस्थाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया जिन्होंने वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। 1988 में रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बट्टा और वित्त गृह (डीएफएचआई) का प्रवर्तन किया गया और 1994 में भारतीय प्रतिभूतियाँ और ट्रेडिंग निगम (एसटीसी) का जिनका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूत बाजार और मुद्रा बाजार को सधन और सक्रिय बनाना था²³। विभिन्न अन्य विकासात्मक संस्थाओं को भी निधियों का योगदान प्रदान किया गया जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कम्पनी लि. (आईडीएफसी) नाबार्ड, एनएचबी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि. इसी प्रकार की अन्य²⁴।

8.75 मार्च 2002 में, विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआईज) जैसे, भूतपूर्व आईडीबीआई, एग्जिम बैंक, आईआईबीआई और सिडबी की समस्त बकाया शेष, एनआईसी (एलटीओ) कोष (रुपए 3791.75 करोड़) सरकार को सम राशि के 10.25 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक 2021 के बदले में अंतरित कर दी गई। 2004-05 में, बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कंपनी लि. में अपनी शेयर धारिता के द्वीय सरकार को तत्कालीन बहीमूल्य 150 करोड़ रुपए पर अंतरित कर दिया। जून 2005 के अंत में, बैंक का सहायक/सहबद्ध कंपनियों नामतः निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रायवेट) लि. में कुल निवेश 3973 करोड़ रुपए था।

8.76 उदारीकरण चरण के दौरान सांविधिक निधियों में बड़ी मात्रा में आबंटन बंद कर दिए गए। 1991-92 से सांविधिक निधियों में कोई नियोजन नहीं था। 1992-93 से केवल एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष प्रत्येक कोष में आबंटित किया जा रहा है। 1997-98 में यह निश्चित किया गया कि एनआईसी (एलटीओ) कोष में, पूर्ववर्ती ऋणों के भुगतान से आई राशि के उपयोग में न लिए गए शेष को आकस्मिकता भंडार में साल-दर-साल के आधार पर अंतरित कर दिया जाए। तदनुसार, एनआईसी (एलटीओ) कोष तथा एम एच सी (एलटीओ) कोष के अंतर्गत संयुक्त शेष जो जून 1992 के अंत में बैंक की कुल आस्तियों का 4.1 प्रतिशत था, जून 2005 तक घटकर 0.03 प्रतिशत के निम्न पर आ गया।

²² केंद्रीय बैंक की अर्द्ध राजकोषीय गतिविधियों में विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप, विदेशी मुद्रा भंडार बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियाँ जारी करना और बैंकिंग व्यवस्था का पुनर्गठन शामिल है (हाकिन्स 2004)। अन्य अर्द्ध राजकोषीय परिचालन जो विदेशी विनिमय से संबद्ध हैं वे हैं अनेक विदेशी विनिमय दर प्रथाएं, विनिमय दर गारंटी और केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर जोखिम इत्यादि।

²³ बाद में, रिजर्व बैंक के नियामक और स्वामित्व की दोहरी भूमिका के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप होने वाले हितों का टकराव के परिप्रेक्ष्य में, रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में अपना स्वामित्व हल्का कर दिया और डीएफएचआई में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता छोड़ दी।

²⁴ रिजर्व बैंक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कंपनी लि. (आईडीएफसी), जो 1996-97 में मूलतंत्र विकास के वित्तपोषण हेतु स्थापित की गई थी, की हिस्सापूंजी में 150 करोड़ रुपए का योगदान किया (20.30 करोड़ रुपए 1996-97 में तथा 129.70 करोड़ रुपए 1997-98 में)। इसके अतिरिक्त 1997-98 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा आईडीएफसी के गौण ऋण के प्रति 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया। रिजर्व बैंक द्वारा 1997-98 के दौरान नाबार्ड की अतिरिक्त हिस्सा पूंजी के लिए 400 करोड़ रुपए का योगदान किया गया। 1997-98 में ही एनएचबी की वृद्धिशील प्राधिकृत पूंजी 300 करोड़ रुपए से 350 करोड़ का भी भुगतान किया गया। एक 700 करोड़ रुपए का कर्जा भी एनएचबी को एनएचसी (एलटीओ) कोष, से स्वीकार किया गया जो रिजर्व बैंक के सीआर से आहरित किया गया, जो अंततः एनएचबी द्वारा जनवरी 2002 में वापिस लौटा दिया गया। 1997-98 में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि. की सम्पूर्ण हिस्सा पूंजी जो 800 करोड़ रुपए थी रिजर्व बैंक को आबंटित की गई।

विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध

8.77 अगस्त 1990 के खाड़ी संकट के पश्चात आया बाहरी संकट, 1991-92 के पूर्वार्ध में चालू खाते के घाटे को पाटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्त के सूखने के साथ बहुत गहरा हो गया। भारत के कोष में एसडीआर 487 मिलियन की रिज़र्व हिस्सा स्थिति नीचे की ओर चली गई, उसके बाद आईएमएफ की वित्तीय सुविधाओं के अंतर्गत एसडीआर 1.27 बिलियन की 1990-91 में खरीद की गई²⁵। जुलाई 1 और जुलाई 3 को, प्रमुख मुद्राओं के विरुद्ध रुपए की विनिमय दर के द्रिकदमी अधोमुखी समायोजन के साथ नीतिगत पहल का आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना, सट्टेबाजी दबावों का भय दूर करना तथा पूंजी खाते का स्थरीकरण था। इसे कठोर मौद्रिक नीति से अनुपूरित किया गया, जिसका उद्देश्य मांग को शांत करना और आयात को संकुचित करना था जिससे विनिमय दर समायोजन की प्रभावकारिता को सुनिश्चित किया जा सके। इन स्थरीकरण उपायों के साथ ही, वास्तविक राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्रों में, ढांचागत सुधारों की एक विस्तृत श्रेणी के उपाय किए जाने के लिए आधार भूमि तैयार हो गई थी। राजकोषीय समायोजन को समग्र संरचनागत समायोजन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में अभिनिर्धारित किया गया, जो राजकोषीय और मुद्रा नीति के बीच राजकोषीय समेकन और बेहतर समन्वय के मध्यकालीन लक्ष्यों पर केंद्रित थे (अध्याय VII देखें)।

8.78 इस पृष्ठभूमि में, इस बात को रेखांकित करते हुए कि उसे सुधारों की प्रक्रिया के इस संक्रमणकालीन चरण में चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपने आपको तैयार करना है, रिज़र्व बैंक पर बढ़े हुए दायित्व डाले गए। इस परिवेश में, जो एक केंद्रीय बैंक के आदर्श तुलन-पत्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों से चालित थे, बैंक के तुलन-पत्र का सुदृढ़ीकरण एक महत्व का विषय हो गया (तारापोर, 1996)। वित्तीय उदारीकरण के चरण में, इन सिद्धांतों को वास्तविक व्यवहार में परिणित करने के लिए ठोस नीतिगत उपाय किए गए हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हुए कि एक केंद्रीय बैंक को विविध प्रकार की विनिमय दर जोखिम को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जबकि घरेलू ब्याज वहनीय दायित्वों से बच रहा हो (जैसे बैंकों के नकदी जमा शेष राशि पर ब्याज का भुगतान), एफसीएनआर(ए) योजना बंद कर दी गई और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) पर ब्याज भुगतान की प्रथा को बड़े रूप में तर्कसंगत बनाया गया। 1990 के घटनाक्रम ने रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र में, विदेशी आस्तियों की क्रमिक वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट VIII.3)।

चार्ट VIII.3: विदेशी मुद्रा आस्तियों (स्वर्ण सहित) का संयुक्त तुलन-पत्र

प्रतिशत

8.79 रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के गठन में गुणात्मक परिवर्तन जो विदेशी मुद्रा आस्तियों के पक्ष में था, उच्च महत्व का है। 1991 में 2383 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एफसीए) कुल आस्तियों का 1.9 प्रतिशत थी। एफसीए का हिस्सा क्रमशः धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया जो जून 2005 के अंत में कुल आस्तियों का 87.2 प्रतिशत था। 1991 में, एफसीए का जारी किए गए नोटों से प्रतिशत, एक तुच्छ 0.4 प्रतिशत था लेकिन यह जून 2005 के अंत में 157.3 प्रतिशत रहा। सहगामी रूप से, रुपए प्रतिभूतियों के जारी नोटों से प्रतिशत हिस्से में तीव्र गिरावट दर्ज की गई जो 1991 के 86.7 प्रतिशत से जून 2005 के अंत में 0.4 प्रतिशत रही। यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है लेकिन इसने रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र की बढ़ती जा रही ब्याज और विनिमय दर संवेदनशीलता के कारण जोखिमों को नए आयाम दिए हैं।

8.80 1990 के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह हुआ। उदारीकरण की प्रक्रिया ने, विदेशी मुद्रा संचय की प्रक्रिया को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है।

- विगत के विपरीत, जब केंद्रीय बैंक, भारतीय बैंक क्षेत्र पर, शेष विश्व के दावों का संग्रह स्थल माना जाता था, उदारीकरण के पश्चात के चरण में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को विदेशी मुद्रा में मुक्त रूप से लेन-देन करने की शक्ति प्रदान की है।

²⁵ सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 20 टन स्वर्ण लीज पर दिया गया, जिसके बदले में अंतरराष्ट्रीय बाजार में, पुनर्खरीद विकल्प के साथ बिक्री व्यवस्था की। इस सौदे से यूएस डॉलर 200 मिलियन या 400 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक जापान से जुलाई 1991 में स्वर्ण के विरुद्ध (46.9 टन की कुल मात्रा अर्थात् 15 प्रतिशत की अनुमत सीमा जो विदेशों में रखी जा सकती है) जो पूर्व के पास जमा कराया 405 मिलियन यूएस डॉलर या 1037.35 करोड़ रुपए उठाए। स्वर्ण एसबीआई द्वारा नवम्बर/दिसंबर 1991 में पुनः खरीद कर लिया गया। कुल मात्रा में से 18.41 टन सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को बेचा गया। दोनों सौदों लिप्त स्वर्ण धारिताएं जो 65.31 टन थीं विदेशों में रखी गईं।

- 1991-2005 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अतिरिक्त बाहरी, ऋण प्राप्तियों की तीन गुना थी जो यह सुझाती है कि अंतर्निहित पूंजीगत प्राप्त राशियों का बड़ा भाग, गैर ऋण सृजन प्रकृति का था जो चयनित नीति के अनुरूप था।
- यद्यपि 1990 के दशक के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा संग्रहण में संवर्द्धन जारी रखा गया, पूर्ववर्ती योजनाओं में प्रदान की गई विनिमय गारंटी, जैसे एफसीएनआर (ए) योजना और भारत विकास बांड (1990) बाद की योजनाओं जैसे एफसीएनआर (बी) योजना, रिसर्जेंट इंडिया बांड (1988) और इंडिया मिलेनियम जमाएं (2000) में वापिस ले ली गई ²⁶।

8.81 अति संक्षेप में, इस प्रकार, रिजर्व बैंक के इसके तुलन-पत्र पर कार्यकलापों के विकास को सारांश में सारणी 8.10 में दर्शाया गया है।

IV. रिजर्व बैंक का लाभ हानि लेखा

8.82 रिजर्व बैंक का लाभ-हानि लेखा, अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में निर्धारित रूप में तैयार किया जाता है। आमतौर से लेखांकन की ऐतिहासिक

लागत आधार का प्रयोग किया जाता है, अलावा जहाँ इसमें पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधन किया गया है।

8.83 1935 से 1940 की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के वार्षिक लेखा कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किये जाते थे तथा उसके बाद जुलाई - जून को खातों के वर्ष के रूप में अपना लिया गया। राष्ट्रीकरण के पूर्व के चरण में तुलन-पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट बैंक के अंशधारियों को प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन यह प्रथा 1949 में स्वामित्व में परिवर्तन के अनुसरण में, एक व्यवस्था के द्वारा इन विवरणियों को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो गया। प्रथम वार्षिक लेखा में जो 1 अप्रैल 1935 से दिसंबर 31, 1935 की अवधि के लिए बनाए गए, में लगभग 56 लाख रुपए की अधिशेष आय थी जिसमें से साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अंशधारियों को लाभांश वितरित किया गया जब कि शेष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत सरकार को भुगतान किया गया।

8.84 भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले कुछ वर्षों के आय और व्यय लेखा का एक विश्लेषण कुछ दिलचस्प विशेषताएं दर्शाता है। आय के मुख्य स्रोत हैं, घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों तथा विदेशी जमाओं पर ब्याज, बट्टा और पुनर्बट्टा प्रभार तथा लोक ऋण के प्रबंध पर कमीशन।

सारणी 8.10: रिजर्व बैंक तुलन-पत्र पर, रिजर्व बैंक के चुने हुए कार्यकलापों के विकास का प्रभाव : एक शैलीगत विकास ढाँचा

चरण	नोट निर्गम	सरकार का बैंकर	बैंकों का बैंकर	विनिमय दर और विदेशी मुद्रा प्रबंध	विकासात्मक भूमिका
1	2	3	4	5	6
निर्माणात्मक वर्ष (1935-1949)		घटना आधारित आघात जैसे युद्धचालित	-	विदेशी मुद्रा भंडारों का संचयन	-
आधार चरण (1950-1967)	मुद्रा जारी करने वाला एकल बना रहा और विभिन्न चरणों के दौरान कार्यकलाप भी आमतौर से एक जैसे रहे	स्वचालित मौद्रिकरण की पहल - तुलन-पत्र पर विस्तारकारी प्रभाव	बढ़ती हुई रिजर्व आवश्यकताएं - क्षेत्र विशिष्ट को पुनर्वित्त तुलन-पत्र पर विस्तारकारी प्रभाव	तुलन-पत्र निवल घरेलू आस्तियों संचालित भुगतान संतुलन में गिरावट	विकास वित्त संस्थाओं को तुलन-पत्र समर्थन लागू किया
सामाजिक नियंत्रण का चरण (1968-1990)		मौद्रिकरण भारी स्वचालित - सरकार को भारी क्रेडिट			बहुत सुदृढ़ और परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में एलटओ कोषों में अंतरण
वित्तीय उदारीकरण (1991 से आगे)		तदर्थ खजाना बिलों की रोक के साथ सरकार को क्रेडिट कम होना - बढ़ता हुआ निष्प्रभावीकरण और एमएसएस लागू किया जाना	रिजर्व अपेक्षाओं में कमी - बैंकों की जमाएं नीचे आना	तुलन-पत्र निवल विदेशी आस्तियों संचालित - विदेशी मुद्रा विनिमय का विशाल स्टॉक - रिजर्व संचयन - गैर ऋण सृजन प्रकृति का	विकासात्मक संस्थाओं व बाजार के प्रति भूमिका में परिवर्तन - लेकिन एलटीओ कोष में अंतरण नाममात्र के हो गए

²⁶ विनिमय दर उतार-चढ़ावों के मामलों में, रिजर्व बैंक आस्ति की तरफ विदेशी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन करता है और लाभों/हानियों को देयताओं की तरफ इसके मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते में रखता है।

ब्याज दर परिवेश रिज़र्व बैंक के 'बट्टा' और 'ब्याज अर्जन' पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जब कि बैंक के निवेश खाते द्वारा ब्याज दर उतार-चढ़ावों में उलटा संबंध दर्शाया। निर्माणकारी वर्षों में अंतरराष्ट्रीय ब्याज दर परिवेश, तुलन-पत्र में विदेशी मुद्रा आस्तियों के बड़े हिस्से के कारण, बैंक की ब्याज आय एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में उभर कर आया। उदाहरण के लिए 1945-46 की 15.6 करोड़ रुपए की आय से कम होकर 1946-47 में 10.01 करोड़ हो जाना मुख्यतः उस साल स्टर्लिंग धारिताओं पर कम प्रतिफल प्राप्त होने का परिणाम था। 1954 में सरकार के नकदी शेष जमाराशि के पुनर्भरण के प्रयोजन के लिए तदर्थ खजाना बिलों के सृजन के साथ, आय के 'बट्टा' अवयव ने बैंक के तुलन-पत्र में इन बिलों के बढ़ते आकार को दर्शाना शुरू कर दिया। 'सामाजिक नियंत्रण' चरण, सरकार को वित्तीय समर्थन प्रदान करने में विस्तार का चरण था अतः वित्तीय समर्थन की शर्तें, बैंक की ब्याज और आय के महत्वपूर्ण निर्धारक बन गए। 1980 के दशक के मध्य सरकारी प्रतिभूतियों पर कूपन दरों में वृद्धि का बैंक के ब्याज अर्जन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

8.85 सुधार चरण के पश्चात बैंक के आय रेखा चित्र में उल्लेखनीय रूप से परिवर्तन आया है। अपेक्षाकृत उच्च प्रतिफल देने वाली घरेलू आस्तियों को कम आय देने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों द्वारा स्थापना करने से रिज़र्व बैंक की वार्षिक आय में संकुचन हुआ है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के परे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में भी कमी आई है। बैंकिंग व्यवस्था की रिज़र्व बैंक पर घटी निर्भरता जो दोनों तत्वों, निर्यात पुनर्वित्त को छोड़कर पुनर्वित्त सुविधाओं की वापसी सुविधाजनक चलनिधि परिस्थितियों से चालित रही, ने भी बैंक के आय अर्जन में कमी लाई। इन सभी कारकों को एक साथ लें, तो इन्होंने रिज़र्व बैंक के लाभों पर दबाव बनाया है।

8.86 व्यय के गठन का विश्लेषण, कुल व्यय में स्थापना व्यय के हिस्से में वृद्धि दर्शाता है, विशेष रूप से 1950 से 1967 की अवधि

**सारणी 8.11: कुल व्यय का गठन
(ब्याज व्यय को छोड़कर)**

(प्रतिशत)

चरण	स्थापना व्यय	गैर स्थापना व्यय
1	2	3
निर्माण चरण (1935-1949)	38.6	61.4
आधार चरण (1950-1967)	51.1	48.9
सामाजिक नियंत्रण चरण (1968-1990)	40.5	59.5
उदारीकरण चरण (1991 से आगे)	31.0	69.0

के दौरान जो रिज़र्व बैंक के भौगोलिक और कार्यगत विस्तार को प्रतिबिंबित करता है। 1950 से 1967 के दौरान, बैंक के कार्यालयों की संख्या 8 से 16 हो गई, जबकि कर्मचारियों की संख्या 6046 से 17,717 हो गई। उदारीकरण के अगले चरण में स्थापना व्यय का कुल व्यय में हिस्सा कम हुआ (सारणी 8.11) गैर स्थापना खर्चों का एक मुख्य अवयव 'एजेन्सी प्रभार' हैं, जिसमें, एजेन्सी बैंकों को कमीशन भुगतान में हुए संशोधन के कारण आवधिक वृद्धि हुई, जबकि इन अंतरों का वर्ष दर वर्ष सरकारी पण्यावर्त पर प्रभाव भी दर्शाता है। बैंक की वाणिज्य बैंकों पर, इसके प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न कार्यों के निष्पादन जो मुद्रा वितरण, प्रेषणों और अन्य बैंकिंग अपेक्षाओं से संबंधित थे, बढ़ती निर्भरता ने भी व्यय के इस अवयव की वृद्धि में योगदान दिया है। ब्याज व्यय के विवरण जो 1988 से आगे के उपलब्ध हैं, दर्शाते हैं कि ब्याज व्यय, 1988 से 1990 की अवधि के दौरान, कुल व्यय का सबसे बड़ा घटक था, तथा मुख्य रूप से, बैंकों को पात्र नकदी आरक्षित अनुपात शेष जमाराशि (सीआरआर) पर ब्याज भुगतान के रूप में था। तथापि, उदारीकरण चरण के दौरान, बैंकों के सीआरआर में क्रमिक कटौती के माध्यम से, तथा इन शेषों पर दिए जाने वाले पारिश्रमिक के यौक्तीकरण (और इसे बैंक दर से जोड़ने) के साथ स्थापित किए गए सुधारात्मक तंत्र के परिणाम स्वरूप ब्याज भुगतान में बड़ी गिरावट आई (चार्ट VIII.4)। हाल के वर्षों में, सीआरआर शेषों पर पारिश्रमिक बैंक दर से कम हो

चार्ट VIII.4: ब्याज व्यय

ब्याज व्यय, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में

सीआरआर पर ब्याज भुगतान बैंक की जमाओं के प्रतिशत के रूप में

गया है तथा 3.5 प्रतिशत निर्धारित है (बैंक दर से कम) जिसके द्वारा बैंकों के सीआरआर शेषों पर ब्याज व्यय में और कमी।

8.87 हाल के वर्षों में, जबकि रिजर्व बैंक का कुल व्यय, एजेंसी प्रभारों, और प्रतिभूति मुद्रण व्ययों, स्थापना व्यय के कारण बढ़ रहा है, सामान्यतः एक हासमान प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। तथापि, रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई समयपूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (ओईआरएस) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति तथा घटती जा रही बड़ा दर के परिदृश्य में, बीमांकक मूल्यांकनों द्वारा अनुमानित देयताओं में वृद्धि के कारण 2002-03 के वर्ष से, उपदान और अधिवर्षिता कोष का समग्र स्थापना व्यय में हिस्सा एक वृद्धिशील प्रवृत्ति दर्शा रहा है²⁷। ओईआरएस (जो 31 दिसंबर, 2003 को बंद हो गई) के कारण कार्य बल में 4.468 की कमी आई जो 30 जून 2003 को कार्यबल के 15.8 प्रतिशत को चित्रित करती थी (आरबीआई 2004) जबकि, घटती जा रही ब्याज दरों की पृष्ठभूमि में वृहत पेंशन देयताओं के लिए व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण है, रिजर्व बैंक ने उपदान और अधिवर्षिता कोष में योगदान करने में बीमांकक मूल्यांकनों का अनुपालन किया है (सारणी 8.12)।

8.88 बैंक की आय और व्यय में घटनाक्रम को प्रतिबिंबित करते हुए, अधिशेष की दर जिसमें सांविधिक कोष में योगदान शामिल हैं, किंतु प्रावधानों नामतः आकस्मिकता रिजर्व को आबंटन को निकाल कर, में 1940 के पूर्व दशक में वृद्धि दर्ज की गई, उसके बाद 1940 दशक के उत्तरार्ध से 1950 तक कमी की अवधि रही। तथा 1971-75 के दौरान फिर वृद्धि (चार्ट VIII.5)। अधिशेष की दर में 1970 दशक के मध्य से 1995 तक घटत की प्रवृत्ति बनी रही, जो घरेलू प्रतिभूतियों

संभाग में, तदर्थ खजाना बिलों के बड़े हिस्से को दर्शाता था, जिनपर 4.6 प्रतिशत की दर से बड़ा दर लागू की, तथा रिजर्व अपेक्षाओं में निरंतर वृद्धि तथा रिजर्व बैंक के पास इस प्रकार की जमाओं पर पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के बाद था।

8.89 1975-1982 और 1985-1991 की अवधि, राष्ट्रीय कृषि और औद्योगिक क्रेडिट कोषों में बढ़ते हुए योगदान को चित्रित करता है जो कृषि और उद्योग को जो अंततः इन क्षेत्रों की विकास संभावनाओं में संवर्धन के उद्देश्य से था, उच्च क्रेडिट प्रवाह संभव बनाने के लिए था। इन कोषों में, लाभ में से योगदान बैंक के विवेकाधीन रहा, लेकिन बैंक का सांविधिक कोषों में अधिक आबंटन समर्थन के निर्णय में सरकार को लाभ अंतरण में तदनुसार कमी सापेक्ष संदर्भ में अंतर्निहित था। वर्ष के अंत में 1991-92 के दौरान, इन कोषों के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया, इसके बाद 1992-93 से आगे प्रत्येक चार सांविधिक कोषों में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए का योगदान करने की प्रथा का अनुसरण किया गया (चार्ट VIII.6)। राष्ट्रीय कोषों में अंतरण को कम किया जाने का प्रत्यक्ष परिणाम सरकार को 1993-94 से 2002-2003 की अवधि के दौरान अधिक लाभ अंतरण में हुआ।


8.90 रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में 1982 में कई वर्षों तक बड़ी राशि की अदिनांकित प्रतिभूतियाँ दिखाई जाती रही हैं, जो तदर्थ खजाना बिलों के परिवर्तन से जनित थी और 4.6 प्रतिशत की कूपन दर से थी। खुले बाजार परिचालनों को प्रभावी रूप में संचालित करने के लिए

सारणी 8.12: रिजर्व बैंक उपदान और अधिवर्षिता कोष

वर्ष	स्थापना व्यय	उपदान और अधिवर्षिता कोष	(रुपए करोड़ में)
			उपदान और अधिवर्षिता कोष, स्थापना व्यय के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत)
1	2	3	4
1980-81	71	1	1.4
1990-91	244	9	3.7
2000-01	871	38	4.4
2001-02	1304	525	40.3
2002-03	1489	684	45.9
2003-04	2233	1025*	45.9
2004-05	1647	756	45.9


* समयपूर्व सेवानिवृत्ति योजना (ओईआरएस) का विकल्प देने वालों को भुगतान की गई अनुग्रह राशि शामिल है।

चार्ट VIII.5: तुलन-पत्र आकार में अधिशेष (प्रावधानों को निकालकर) का प्रतिशत



²⁷ उपदान और अधिवर्षिता कोष में शामिल है, क) पेंशन कोष, ख) उपदान कोष और ग) अवकाश नकदीकरण (सेवानिवृत्त कर्मचारी) कोष।

चार्ट VIII.6: दीर्घकालीन कोष : ऋण और अग्रिमों का बकाया शेष



सरकारी पेपर के अपर्याप्त स्टॉक को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा, गैर अंतरणीय 4.6 प्रतिशत की अदिनांकित विशेष प्रतिभूतियों के सम्पूर्ण स्टॉक को, 2002-03 तक विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया था। तबसे, सरकार को बढ़े हुए लाभ अंतरण में, नियमित लाभ अंतरण के अतिरिक्त, इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले ब्याज विभेदन के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान भी शामिल है। (चार्ट VIII.7)

चार्ट VIII.7: कुल अधिशेष का वितरण

निर्माण चरण (1935-1949)	आधार चरण (1950-1967)	सामाजिक नियंत्रण चरण (1968-1990)	उदाहरण चरण (1991 से आगे)
सरकार को औसत अधिशेष		लाभांश वितरण	
एलटीओ कोष को अंतरण			

V. कुछ हाल के मुद्दे

8.91 गत दिनों से केंद्रीय बैंकों के तुलन-पत्र की ओर वर्धमान रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन और व्यक्तिगत केंद्रीय बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। इस भाग में भारत के लिए तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को हाल के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में, जिनके भविष्य में महत्वपूर्ण प्रशासन होंगे, को प्रमुखता से उजागर किया गया है।

लेखांकन मानक और पारदर्शिता²⁸

8.92 वर्तमान में आधारभूत लेखांकन मानक नामतः अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएसएस), अमेरिकी सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (यूएसजीएपी) और यूरोपियन केंद्रीय बैंक जीएपी, केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रयोग में लिए जा रहे हैं। आईएसएस को अपनाए जाने में जोखिम प्रबंध प्रथाओं जिनमें केंद्रीय बैंक की, परिचालनगत निर्णय लेना और जोखिम कार्यनीति शामिल हैं, के लिए निहितार्थ हैं (बॉक्स VIII.3)।

8.93 भारतीय परिप्रेक्ष्य में, रिज़र्व बैंक, उपचय आधार पर आय अभिनिर्धारण, निवेश संविभाग का आवधिक पुनर्मूल्यन और बाहरी लेखा परीक्षा की आधारभूत अपेक्षाओं जैसा कि आईएसएस द्वारा निर्धारित हैं, की पूर्ती करता है। कतिपय मामलों में, रिज़र्व बैंक, वास्तव में, आईएसएस द्वारा निर्धारित से भी सख्त मानदंडों का अनुपालन करता है। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक अपने निवेशों को बही मूल्य या बाजार मूल्य के निचले स्तर पर चिह्नित करता है, जिसके द्वारा अप्राप्त हानियों को आय के विरुद्ध बिना अप्राप्त लाभों को अभिनिर्धारित किए समायोजित करता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के मामले में, विनिमय दर परिवर्तनों से पैदा होने वाले पुनर्मूल्यनों को संतुलित रूप से एक समायोजन खाते में अंतरित करता है, जिसे मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते का नाम दिया गया है (जाधव व अन्य 2003) (बॉक्स VIII.4)।

8.94 भारत में सुधार चरण, रिज़र्व बैंक की वित्तीय विवरणियों की बढ़ती हुई पारदर्शिता की दिशा में बड़े परिवर्तन को चिह्नित करते हैं, खास तौर से 1990 के उत्तरार्ध दशक में। यद्यपि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में बैंक खातों की पारदर्शिता में वृद्धि के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र में आय और व्यय के अंतर्गत विभिन्न मदों के विवरण उपलब्ध नहीं थे; उदाहरण के लिए आय, ब्याज भुगतानों और आंतरिक भंडारों के लिए आबंटन के पश्चात दिखाई जाती थी। आंतरिक भंडार साफ साफ उद्घाटित नहीं किए जाते थे और उन्हें अन्य देयताओं के अंतर्गत मिला दिया जाता था (तारापोर, 1996)।

²⁸ केंद्रीय बैंकिंग के लेखांकन सिद्धांतों तथा साथ ही पारदर्शिता पर पारदेशीय प्रवृत्तियों को पूर्व में ही उक्त खंड II में विश्लेषित किया जा चुका है।

बॉक्स VIII.3

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक और केंद्रीय बैंक

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस) सुरक्षित की गई आस्तियों और संबंधित सुरक्षाकरण लिखतों के प्रलेखीकरण, केंद्रीय बैंकों के तुलन-पत्र में सरकारी ऋण यंत्रों का उचित मूल्यांकन जो, यदि बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हो और स्वर्ण का अभिनिर्धारण (एक गैर वित्तीय आस्ति) लागत या ऋण योग्य मूल्य में से निम्नतर, जो बट्टाकृत नकदी प्रवाह तकनीकों पर आधारित, के मानदंड निर्धारित करते हैं। जबकि सुरक्षाकरण पर आईएएस के मानदंड विद्यमान जोखिम प्रबंध कार्यनीतियों में सुधार चाहते हैं जिनसे अतिरिक्त लागत और परिचालनगत अक्षमताएं होंगी, अप्राप्त लाभों का आय के रूप में प्रस्तावित प्रतिपादन उनका लाभांश के रूप में सरकार को वितरण, केंद्रीय बैंकों को, उनके मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फिति पर संभावित प्रभाव की दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी आशंका है कि आईएएस का कार्यान्वयन, केंद्रीय बैंकों की मुद्रा नीति भूमिका के हिस्से के रूप में वित्तीय बाजारों से सांख्यिकी आंकड़ों के एकत्रीकरण की आवश्यकता के कारण उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

आईएएस 39 के अंतर्गत उचित मूल्यांकन प्रणाली (वित्तीय लिखत : अभिनिर्धारण और मापन) 1 जनवरी 2001 से प्रभावी, अधिकांश आस्तियों और देयताओं के बाजार मूल्य (न कि ऐतिहासिक लागत) पर आवधिक मूल्यांकन की मांग करता है अभिनिर्धारित लेकिन अप्राप्त लाभों को निवल लाभ गणना में शामिल किए जाने की थी। यह मूल्यांकन ऋण पारदर्शिता के उच्चस्तर और जबाबदारी के कारणों से सुझाई गई है। तथापि, उचित मूल्य प्रकटनों का अपनाया जाना पार देशों के केंद्रीय बैंकों में एक समान नहीं है (अनुबंध VIII.3)। अनेक मामलों में मूल्यांकन परिवर्तन सीधे ही पुनर्मूल्यन रिजर्व में बिना आय विवरणी में दर्शाए, अंतरित कर दिया जाता है। जब कि संशोधित

आईएएस 21 यह अपेक्षा करता है कि मौद्रिक आस्तियों पर सभी लाभों और हानियों (वसूली गई या न वसूली गई) को आय विवरण में अभिनिर्धारित किया जाए (और-मौद्रिक आस्तियों का पुनर्मूल्यन किया जाना अपेक्षित नहीं है), आईएएस 39 ने आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्य के वृहत्तर उपयोग की शुरुआत की है, इस प्रावधान के साथ कि सभी संबंधित लाभों और हानियों (प्राप्त हुई और प्राप्त नहीं हुई दोनों) को आय विवरणी में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेखांकन मानक 'ऋणों' और प्राप्तियों तथा आस्तियों जिन्हें 'परिपक्वता वाली' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो, चुकता कृत लागत पर हो, का मूल्यांकन लचीले रूप में अनुमत करता है। इसके अतिरिक्त, अवशिष्ट वित्तीय आस्तियों (बिक्री को उपलब्ध) के मामले में अप्राप्त मूल्यांकन अवयव को सीधे ही पुनर्मूल्यन रिजर्व में अंतरित किया जा सकता है। आईएएस 39, में सभी व्युत्पन्नों का उचित मूल्यन किया जाना और तुलन-पत्र में ले जाया जाना अपेक्षित है। उचित मूल्यांकन लेखांकन मापदंड, सूचित की गई अर्जन के लिए संभाव्य अस्थिरता हेतु एक निर्मित पक्षपात रखते हैं, अतः अप्राप्त लाभों को लाभांशों के रूप में बांटने से संलग्न जोखिम के बारे में आधारभूत मुद्दा उठाते हैं। आईएएस 32 (पूंजी की परिभाषा) के मामले में, यह आशंका है कि इसे कठोरता से लागू किए जाने से कुछ विद्यमान पूंजी लिखतों को देयताओं (ईक्विटी नहीं) की श्रेणी में बदलना होगा। गुणवत्ता हास और प्रावधानन पर भी कड़े नियम हैं, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए सामान्य बैंकिंग रिजर्व सृजन को भी निषिद्ध करते हैं (फोस्टर 2004)। पार देशों के अनुभव बताते हैं कि केंद्रीय बैंकों में विविध प्रकार की लेखांकन प्रथाएं प्रचलित हैं। (सारणी)

सारणी : चयनित केंद्रीय बैंकों की लेखांकन नीतियां

देश	लेखांकन प्रथाएं
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी, लेखांकन मानकों और लेखांकन व्याख्याओं का अनुसरण करता है तथापि यह पहली बार 30 जून 2006 को वर्ष के अंत में के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एआईएफआरएस) के आस्ट्रेलिया समतुल्यों के अंतर्गत अपनी वित्तीय विवरणियां अपनाएगा और प्रकाशित करेगा। नए लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन में, नए प्रकटीकरण की दृष्टि से निहितार्थ हैं।
सिंगापुर	1 जनवरी 2003 से लागू सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का अनुसरण करता है। वित्तीय विवरणियां कम सूचना प्रकट करती हैं, उससे जो लेखांकन मानकों के अंतर्गत वांछित होगी, इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि सिंगापुर की मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रबंधन के लिए, यह उचित होगा कि, कुछ मामलों में लेखांकन मानकों को न अपनाया जाए। लेखे, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार तथा उपचय सिद्धांत पर तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्याज आय सीधे कटौती प्रणाली पर अभिनिर्धारित की जाती है बजाए एफआरएस 18 के अंतर्गत प्रभावी प्रतिफल आधार की अपेक्षाओं के। निवेश आस्तियां लागत और बाजार मूल्य के निम्नतर पर दिखाई जाती हैं। उदत बोली, मध्य या अंतिम लेन-देन की कीमत बाजार मूल्य के मापन के रूप में प्रयुक्त की जाती है जो परे आस्ति वर्गों पर निरंतरता के आधार पर होती है।
कनाडा	वित्तीय विवरण केनेडियन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपीपी) के अनुसार बनाए जाते हैं।
इटली	ईसीबी द्वारा जारी लेखांकन नियम और सिफारिशों को पूर्णतः लागू करता है।
संयुक्त राज्य अमरीका	संघीय रिजर्व अपने वित्तीय विवरण वित्तीय लेखांकन मैनुअल के अनुसार बनाता है, जो एक केंद्रीय बैंक की प्रकृति और कार्यकलापों के लिए जीएपीपी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
यूरोसिस्टम	यूरोपियन केंद्रीय बैंक ने अपने स्वयं के लेखांकन मानक बनाए हैं जो यूरोपियन व्यवस्था के केंद्रीय बैंकों (ईएससीबी) द्वारा अपनाए जाते हैं। तथापि, वे मोटे रूप से अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) के अनुरूप हैं, इस अपवाद के साथ कि अप्राप्त मूल्यांकन परिवर्तनों के लिए अलग लेखांकन निरूपण है।

8.95 सर्वोत्तम लेखांकन/विवेकपूर्ण मानदंडों को क्रमिक रूप से अपनाए जाने के साथ ही, बैंक के 'वार्षिक लेखें' के प्रस्तुतिकरण में पारदर्शिता और प्रकटीकरण के संदर्भ में, उदारीकरण चरण के दौरान विशिष्ट सुधार प्रतिबिंबित हुआ है। भंडारों के आबंटन और सरकार को लाभ अंतरण की एक पारदर्शी व्यवस्था पूर्व में ही स्थापित कर दी गई है। 1997-98 के वर्ष के अंत में बैंक लेखों में 'लेखों पर टिप्पणी'

वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में हुए परिवर्तनों को समाहित किया गया है तथा 'अन्य देयताओं' और 'अन्य आस्तियों' के अवयवों से संबंधित सूचना को भी प्रकट किया गया है। बैंक के अंतिम खाते अब तुलन-पत्र के गठन, मूल्यांकन प्रथाओं, लेखांकन प्रथाओं में परिवर्तन और आय तथा व्यय के विभिन्न स्रोतों से संबंधित विस्तृत सूचना का प्रसार करते हैं (सारणी 8.13)।

बॉक्स VIII.4 भारत में स्वर्ण मूल्यांकन

- स्वर्ण सिक्के और सोना चांदी, मूल्यांकन की सांविधिक दर 44.41 करोड़ पर अपरिवर्तित रहे, जो धारा 33(4) के अनुसार 1935 से 1955 के दौरान सरकारी साम्यता पर 8.47512 ग्रेन प्रति रुपए अथवा 21 रुपए 3 आना और दस पैसे प्रति दस तोला थी।
- रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1956 के अंतर्गत, आनुपातिक रिजर्व प्रणाली में परिवर्तन के साथ, जिसमें, निर्गम विभाग की 40 प्रतिशत आस्तियों (तथा 40 करोड़ रुपए के न्यूनतम स्वर्ण सिक्के और सोना चांदी) से, विदेशी प्रतिभूतियों में न्यूनतम 400 करोड़ रुपए की धारिताएं तथा स्वर्ण सिक्कों और सोना चांदी में 115 करोड़ रुपए थे, स्वर्ण का, आईएमएफ द्वारा सहमत, सरकारी साम्यता मूल्य पर, सितम्बर 1949 में, रुपए के अवमूल्यन के साथ पुनर्मूल्यन किया जाना तय किया गया नामतः 2.88 ग्रेस (पूर्व में 8.47512 ग्रेस) जो परिष्कृत स्वर्ण के 0.186621 ग्राम प्रति रुपए बराबर था या 62.8 रुपए प्रति तोला (अर्थात यू एस डॉलर 35 प्रति औंस के समतुल्य, जैसा आईएमएफ द्वारा सहमत हुआ) स्वर्ण का पुनर्मूल्यन 6 अक्टूबर 1956 को हुआ जिससे निर्गम विभाग में रखे स्वर्ण का मूल्य 117.76 करोड़ रुपए हो गया। 77.74 करोड़ रुपए का कुल पुनर्मूल्यन मुनाफे में से 75 करोड़ रुपए रिजर्व कोष में अंतरित किए गए और शेष 274 करोड़ रुपए सरकार को देय अधिशेष लाभ में शामिल किए गए।
- जून 1966 में रुपए के अवमूल्यन के साथ ही निर्गम विभाग में रखे स्वर्ण का पुनर्मूल्यन, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 1968 की धारा 26 तथा रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन के माध्यम से तत्कालीन प्रचलित साम्यता दर (आईएमएफ) जो परिष्कृत स्वर्ण की 0.118489 ग्राम प्रति रुपए अथवा 98.44 रुपए तोला (84.39 रुपए प्रति दस ग्राम) के संदर्भ में 1 फरवरी 1969 को किया गया। पुनर्मूल्यन के बाद, वर्ष के अंत में 30 जून 1969 को, निर्गम विभाग में रखे गए स्वर्ण का मूल्य बढ़कर 182.53 करोड़ रुपए (115.89 करोड़ रुपए से) हो गया। स्वर्ण के पुनर्मूल्यन पर हुआ मुनाफा रिजर्व कोष में अंतरित कर दिया गया।
- अक्टूबर 1990 में रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33(4) में एक संशोधन द्वारा, 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण सिक्कों/सोनाचांदी का पुनर्मूल्यन 'अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक नहीं' किए जाने का प्रावधान किया गया। तदनुसार, अक्टूबर 17, 1990 को स्वर्ण का पुनर्मूल्यन 1,991.64 रुपए ग्राम पर किया गया तथा स्वर्ण के मूल्य में अधिमूल्यन की राशि रिजर्व कोष में जमा कर दी गई जो बढ़कर 6500 करोड़ रुपए हो गई। तथापि अब स्वर्ण की कीमतों में बदलाव के कारण होने वाले सभी पुनर्मूल्यन लाभों/हानियों को सीजीआरए में बुक किया जाता है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टें - विभिन्न वर्ष

जोखिम प्रबंध

8.96 चालू वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंध सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो इसके तुलन-पत्र को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय बाजार में इसकी विश्वसनीयता को बनाने में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती

है। केंद्रीय बैंकों की जोखिम प्रबंध कार्यनीति, प्रणालीगत जोखिमों के अवसर को कम करने के माध्यम से वित्तीय स्वामित्व को बनाए रखने की उनकी समग्र कार्यनीति का महत्वपूर्ण अवयव है। हाल के घटनाक्रम इस ओर इशारा करते हैं, कि केंद्रीय बैंकों की ओर से जोखिम जागरूकता और तैयारियों में जोखिम प्रबंध कार्यनीतियों के संदर्भ में, वृद्धि हुई है, यद्यपि यह संतोषजनक नहीं मानी जा रही²⁹। बावजूद इसके कि जोखिम प्रबंध कार्यनीतियों

सारणी 8.13: रिजर्व बैंक की वार्षिक वित्तीय विवरणियों में बढ़ती हुई पारदर्शिता और प्रकटीकरण

मद	शुरु करने का वर्ष	मद	शुरु करने का वर्ष
1	2	1	2
ब्याज प्राप्त का विवरण बैंकों को उनके रिजर्व बैंक के पास रहे सीआरआर अधिशेषों पर भुगतान किया ब्याज तथा सांविधिक कोषों में योगदान	1979-80 से 1984-85	विदेशी मुद्रा आस्तियों में अप्राप्त लाभ	1994-95
ब्याज भुगतान व्यय की एक मद के रूप में तथा सांविधिक कोषों में योगदान	1987-88	घरेलू निवेशों (अन्य) से प्राप्त आय का विवरण	1995-96
आय प्राप्तियों का विवरण नामतः ब्याज, बट्टा, विनिमय कमीशन	1990-91	आस्तियां/देयताएं, विनिमय घट-बढ़ रिजर्व विनिमय समानीकरण खाता और सीआर	1995-96
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणी विदेशी मुद्रा जमा योजना के लिए विनिमय कवच के लिए प्रावधानों का विवरण	1991-92 1991-92	सहायक/सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश	1995-96
वार्षिक रिपोर्ट में सारणी जो आय और व्यय में प्रवृत्ति दर्शाती है ब्याज भुगतान विवरण	1991-92 1991-92	लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन	1997-98
घरेलू और विदेशी स्रोतों से व्यय का विघटन	1994-95	खुले बाजार परिचालनों से आय	1999-2000
आकस्मिकता रिजर्व में अंतरण वितरण योग्य आय का समायोजन	1994-95 1994-95	सरकार को, विशिष्ट प्रतिभूतियों को विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में बदलने के कारण अधिशेष का अंतरण	1999-2000
एफसीएनआरए हानियों के लिए सरकार को अंतरण	1994-95	राष्ट्रीय आवास क्रेडिट (दीर्घकालीन परिचालन) कोष विवरण	2001-02
आकस्मिकता रिजर्व शेष	1994-95	विदेशी और घरेलू स्रोतों से निरपेक्ष और प्रतिशत रूप में निवल प्राप्तियां (विदेशी प्रतिभूतियों के मामले में पूंजीगत लाभ/हानि तथा घरेलू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को हटाकर)।	2002-03
		विदेशी मुद्रा और घरेलू आस्तियों में प्रवृत्ति	2002-03

²⁹ 1999 में केंद्रीय बैंकिंग सर्वेक्षण में यह उद्धृतित हुआ कि, सर्वेक्षण किए गए केंद्रीय बैंकों में से केवल 15 प्रतिशत में ही स्वतंत्र जोखिम प्रबंध इकाइयाँ थी।

को अपनाने के प्रति समर्थन के दृष्टिकोण में परिवर्तन है, कभी कभी एक सक्रिय जोखिम प्रबंध दृष्टिकोण अपनाने से बचा जाने की चेष्टा की जाती है यदि यह

केंद्रीय बैंक, वित्तीय व्यवस्था और विनिमय दर स्थायित्व के बारे में सांविधिक उद्देश्यों से सामंजस्यपूर्वक नहीं है। (बॉक्स VIII.5)।

बॉक्स VIII.5 केंद्रीय बैंकिंग में जोखिम प्रबंध

केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों नामतः मौद्रिक और विनिमय दर नीति, भुगतान प्रणाली में चूक, पर्यवेक्षण और संकट प्रबंध में अनेक वित्तीय और गैर वित्तीय जोखिम जैसे रिजर्व प्रबंध जोखिम, परिचालनगत जोखिम, भुगतान और निपटान प्रणाली से जुड़ी जोखिम, प्रतिष्ठात्मक जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रौद्योगिकीय जोखिम और उधारी का आखरी सहारा होने से जुड़ी जोखिम, शामिल होती हैं।

केंद्रीय बैंकों के लिए जोखिम प्रबंध का एक प्रमुख क्षेत्र, विदेशी विनिमय रिजर्व के कार्यनीतिक प्रबंध से संबंधित है। केंद्रीय बैंक के निवेश संबंधी निर्णय अक्सर, उद्देश्य कार्यों, आस्तियों के प्रकार, निवेश लिखत और अन्य विस्तृत निवेश दिशा निर्देशों जो आदेशित होते हैं से मजबूर होते हैं। अंतर्निहित विचार यह है कि केंद्रीय बैंकों को उनके निवेश में विभाग की बाजारी ऋण और चलनिधि जोखिमों से रक्षा करनी चाहिए। इन मजबूरियों के रहते केंद्रीय बैंकों की विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंध कार्यनीति, चलनिधि, सुरक्षा और उचित प्रतिलाभ विचारों से आमतौर से अंतर्निहित होती है। तथापि रिजर्व आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार की वित्तीय मजबूरियों ने हाल के समय में, जोखिम नियंत्रण नीति से एक अनुसक्रिय जोखिम प्रबंध दृष्टिकोण बदलने की ओर प्रोत्साहित किया है। यह निजी रिजर्व प्रबंध कार्यनीतियों और प्रणालियों, जो आक्रमक और अधिक जोखिमपूर्ण जाने जाते हैं के बढ़ते हुए प्रयोग में प्रतिबिंबित होता है। जोखिम दृष्टिकोण में आ रहे एक स्पष्ट दिखाई दे रहे परिवर्तन के साथ, अनेक केंद्रीय बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंध की एक केहित नीति अपनाई गई है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बल न केवल विदेशी मुद्रा रिजर्व के दक्ष आबंटन और प्रबंध पर है, वरन् एक सुदृढ़ गवर्नेंस ढाँचे के विकास पर भी है जो जोखिम जागरूकता ला सके तथा स्वनिर्मित जबाबदारी धाराओं के माध्यम से एक अनुशासन का तत्व लाने को भी प्रेरित कर सके। इसके अतिरिक्त, अच्छे निगमित शासन सिद्धांतों को समाहित करते हुए एक तीन टायर वाले गवर्नेंस ढाँचे, जिसमें कार्यनीतिक आस्त आबंटन, योजनापूर्ण आस्त आबंटन और वास्तविक संविभाग प्रबंध दायित्वों को संस्थागत बना दिया गया है, जो एक यथोचित संगठनात्मक रूपरेखा के हिस्से के रूप में, दैनिक रिजर्व जोखिम प्रबंध के सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है।

जोखिम प्रबंध का अन्य क्षेत्र परिचालनगत जोखिमों का न्यूनीकरण करने से संबंधित है, जो अपर्याप्त आंतरिक प्रक्रियाओं अथवा अप्रत्याशित बाहरी घटनाओं से उपजित होती हैं, जो आज के केंद्रीय बैंकिंग परिवेश में नाजुक मानी जाती हैं। परिचालनगत जोखिमों को सामान्यतः, संकटमोचन संकट प्रबंध और दैनिक परिचालनगत जोखिम प्रबंध के जरिए उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से सुलझा लिया जाता है, जबकि एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली और नियंत्रण भी लागू किया जाता है। सर्वोत्तम व्यवहारों और मानकों को अपनाना भी, केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस ढाँचे में जोखिम नियंत्रण की भूमिका की मजबूती के लिए एक कदम है।

एक दक्ष भुगतान और निपटान प्रणाली की स्थापना, जोखिम प्रबंध नीति का एक अभिन्न अंग रही है। इसका उद्देश्य, जितना संभव हो सके उतना, वास्तविक समय लेन-देन तथा समाशोधन और निपटान प्रणाली से समीपता स्थापित करना है जो वित्तीय फ्लोर और भुगतान प्रणाली में व्यवधान की जोखिम को कम करने को लक्षित है।

इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय बैंक संविभागों की ऋणशोधन क्षमता और अतिसंवेदनशीलता विश्लेषण महत्व की हो गई है। जोखिम पर मूल्य (वीएआर) पद्धति का प्रयोग केंद्रीय बैंक की ऋण-शोधन क्षमता और अति संवेदनशीलता की मात्रा निर्धारित करने में किया जाता है। सेन्ट्रल बैंक संविभागों के लिए (वीएआर) दृष्टिकोण का अनुप्रयोग आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है न कि आस्तियों और देयताओं के ऐतिहासिक मूल्य पर जिसमें इतर तुलन-पत्र लेन देन और वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व के गारन्टर तथा प्रणालीगत बैंकिंग संकट के टालक के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका के वादे जुड़े हुए हैं। बादवाले में एक अंतर्निहित अथवा स्पष्ट जमा बीमा लिप्त हो सकती है। (वीएआर) पर आधारित ऋणशोधन क्षमता विश्लेषण में जोखिमों के मापन और मात्राकरण में इस प्रकार की आकस्मिक देयताओं का संभावित प्रभाव समाहित होता है। आस्तियों और देयताओं को ब्याज दर (घरेलू और विदेशी) और विनिमय दर स्थितियों तथा केंद्रीय बैंक के संविभाग के आर्थिक मूल्य में खंडित किया जाता है अर्थात् केंद्रीय बैंक की निवल इक्विटी को (वीएआर) पर आधारित मूल्य पर निकाला जाता है। यह कुछ नहीं है केवल 'इक्विटी जो, केंद्रीय बैंक की स्थितियों के जोखिम कारकों के प्रकटीकरण के संदर्भ में है और इसलिए यह एक प्रत्यक्ष अनुमान अनुमत करती है कि कैसे नीति परिवर्तनीय और बहिर्जात क्रमों, केंद्रीय बैंक की ऋणशोधन क्षमता को बनाए रखने में प्रत्यक्षतः मदद करती है (ब्लेजर और सुमुचर 1998)। इसके होते हुए केंद्रीय बैंक (वीएआर) को सबसे बड़ी हानि के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्रीय बैंक संविभाग संबंधित मूल्य और स्थितियों के परिवर्तन के कारण, एक निर्धारित परिधि में निश्चित प्रसंभाव्यता के साथ सहन कर सकता है।

(वीएआर) पर आधारित मात्रात्मक जोखिमों को केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ते हुए रूप में स्वीकार किया जा रहा है। न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक अपने विदेशी आस्त संविभाग के बारे में (वीएआर) मॉडल सीमाओं और हानि-रोक सीमाओं का प्रयोग करता है। तथापि, मौद्रिक नीति प्रयोजन से रखी गई घरेलू प्रतिभूतियाँ (वीएआर) के अंतर्गत शामिल नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, तुलन-पत्र पर बाजार जोखिम की निगरानी और नियंत्रण के लिए (वीएआर) का प्रयोग करता है। जबकि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इटली विदेशी मुद्रा स्थितियों और प्रतिभूति संविभाग के जोखिमपन का मूल्यांकन (वीएआर) आधार पर करता है। अनेक केंद्रीय बैंकों द्वारा पूर्व में ही, स्वतंत्र जोखिम प्रबंध इकाइयों की स्थापना के माध्यम से, उनके द्वारा सामना की जा रही जोखिमों के उचित आकलन, नियमित पर्यवेक्षण और प्रबंध के लिए एक संस्थागत ढाँचे की स्थापना कर चुके हैं (कोलम्बिया, सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड, कनाडा इत्यादि)। जोखिम प्रबंध ढाँचे का पर्यवेक्षण विशिष्ट रूप से बैंक की उच्चतम प्रबंध कमेटी, लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल को सौंपा जाता है, जो इस बात के महत्व को प्रदर्शित करता है जो कि अधिकांश केंद्रीय बैंक आज उनके जोखिम प्रबंध परिचालनों को देते हैं।

स्रोत :

1. ब्लेजर मेरियो 1. और लीलीना सुमुचर (1998), केंद्रीय बैंकों अतिसंवेदनशीलता और वादों की विश्वसनीयता : मुद्रा संकटों पर मूल्य-जोखिम पर, एक दृष्टिकोण, आईएमएफ, मई।
2. यूरोपियन केंद्रीय बैंक (2004) 'केंद्रीय बैंक विदेशी रिजर्वस्के लिए जोखिम प्रबंध' मई।

रिज़र्व पर्याप्तता और लाभ अंतरण

8.97 केंद्रीय बैंक उनके लाभों को सरकार को अंतरित करते हैं यद्यपि यह उनके लाभों पर प्रथम प्रभार नहीं होता। तथापि, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को लाभ आबंटन से पूर्व रिज़र्व निर्माण पर फोकस अलग-अलग देशों में बदलता रहता है। जहाँ कहीं भी संपूर्ण लाभ सरकार को अंतरित किया जाना अपेक्षित है, वहाँ अनुमानतः एक अंतर्निहित गारंटी होती है कि सरकार केंद्रीय बैंक की किसी भी भावी हानियों की पूर्ति करेगी। इस आश्वासन के बावजूद भी केंद्रीय बैंक भविष्य की किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए अपने स्वयं के आंतरिक रिज़र्व बनाने को विवेकसम्मत मानते हैं।

8.98 भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विगत में आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) में नियमित आधार पर आबंटन करने की कोई प्रणाली नहीं थी। तथापि, इस प्रकार का रिज़र्व बनाने की आवश्यकता, 1993 में आई कठिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में जब सीआर 859 करोड़ रुपए तक या बैंक की कुल आस्तियों के 0.5 प्रतिशत तक, एफसीएनआर (ए) योजना से हुए विनिमय हानियों के वादे की पूर्ति के लिए बड़ी राशि (4800 करोड़ रुपए) का आहरण किया गया, गिरा महसूस किया गया।

8.99 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, धारा 4 के अंतर्गत बैंक की हिस्सा पूंजी 5 करोड़ रुपए निर्धारित करता है। रिज़र्व बैंक अधिनियम में, सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच अधिशेष आबंटन से संबंधित कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत, सरकार रिज़र्व बैंक को 5 करोड़ रुपए मूल्य की रुपया प्रतिभूतियाँ अंतरित

करेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा रिज़र्व कोष को आबंटित की जाएंगी³⁰। इस धारा में यह भी बताया गया है कि बैंक द्वारा राष्ट्रीय कोषों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट (दीर्घावधि परिचालन) कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट (स्थिरीकरण) कोष, राष्ट्रीय औद्योगिक (दीर्घावधि परिचालन) कोष तथा राष्ट्रीय आवास क्रेडिट (दीर्घावधि परिचालन) कोष की स्थापना, प्रारंभिक राशि जमा करने के जरिए की जाएगी तथा अन्य राशि जो रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष आगे योगदान करें। अधिनियम की धारा 47 में यह आदेशित है कि, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, आस्तियों में मूल्य हास, स्टाफ और अधिवर्षिता कोषों में योगदान तथा अन्य सभी मामलों में जिनमें अधिनियम द्वारा और अंतर्गत प्रावधान किया जाना है या जो आम तौर पर बैंकरों द्वारा प्रावधानित किए जाते हैं, करने के बाद लाभ का अधिशेष सरकार को अंतरित किया जाए। इस प्रकार, कानून, विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार प्रावधानों के सृजन की व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि किसी सांविधिक समर्थन के अभाव में, रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 47 के शक्तिदायी अनुबंधों का प्रयोग अनेक रिज़र्व सृजित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ बनाने में किया है। (बॉक्स VIII.6)।

8.100 उपरोक्त पृष्ठभूमि में, घरेलू और विदेशी आस्तियों के मूल्य में परिवर्तन, नीतिगत दखलों के कारण संभावित हानियों, बाहरी आघातों और अन्य अप्रत्याशित प्रणालीगत जोखिमों के विरुद्ध बचाव के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के सुझाव के अनुरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा, तुलन-पत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अनुकूल तर्कवाली सक्रिय नीति का अनुगमन किया जा रहा है और तदनुसार अपनी कुल आस्तियों को

बॉक्स VIII.6

रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए रिज़र्व खाते

आकस्मिकता रिज़र्व खाता (सीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक द्वारा सीआर खाता रखा जाता है। यह रिज़र्व बैंक के रोके गए मुनाफों में से, अप्रत्याशित हानियों और आकस्मिकताओं, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों, विदेशी मुद्रा आस्तियों के पुनर्मूल्यन (सीजीआरए में शेष के पार), घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों में मूल्य हास, विनिमय गारंटी, मौद्रिक/विनिमय दर परिचालन, प्रणालीगत जोखिम, आंतरिक धोखाधड़ी इत्यादि के कारण हो सकती हैं, का सामना करने के लिए रखा जाता है।

आस्ति विकास रिज़र्व (एडीआर)

यह 1997-98 में रिज़र्व बैंक के पूंजीगत व्ययों की पूर्ति के लिए तथा इसकी सहायक और सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए, रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों के सीआर के

12 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत जून 2005 के अंत तक एक प्रतिशत के एडीआर स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया।

मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

विनिमय दरों और स्वर्ण मूल्यों में परिवर्तन के कारण सभी पुनर्मूल्यन लाभों/हानियों को सीजीआरए में बुक किया जाता है। रुपए में मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा आस्तियों का रुपए में कम मूल्य अंतर्निहित है और तदनुसार सीजीआरए में शेष का कम होना या उलट। यह पूर्व में 'विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव रिज़र्व' के नाम से जाना जाता था अर्थात् विनिमय दरों और स्वर्ण के मूल्य परिवर्तन के लिए एक लेखांकन शीर्ष / कोष अन्य मुद्राओं और स्वर्ण कीमत गतियों की तुलना में यूएस डॉलर की विनिमय दर की गति, की अनुक्रिया में परिवर्तनशील है।

स्रोत :

भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट : विभिन्न अंक

³⁰ समय समय पर किए गए स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के कारण हुए मूल्यवृद्धि लाभ इस कोष में जमा किए गए। अक्टूबर 1990 तक संचयित मूल्य वृद्धि लाभ जो कोष में जमा किए गए वे 6,495 करोड़ रुपए थे।

सीआर के अंतर्गत (एडीआर के एक प्रतिशत सहित) 12 प्रतिशत रखे जाने का सांकेतिक लक्ष्य रखा गया है जिसे जून 2005 के अंत तक चरणों में प्राप्त किया जाना है (आरबीआई 1997-98)। इस लक्ष्य के प्रति, रिजर्व बैंक द्वारा सीआर और एडीआर दोनों को साथ मिलाकर जून 2003 के अंत तक 60,840 करोड़ रुपए का जमाशेष संचित कर लिया गया जो कुल आस्तियों का 11.7 प्रतिशत था। तथापि, एमएसएस के लागू किए जाने और तदुपरांत रिजर्व बैंक के तुलनपत्र में हुए विस्तार के परिणाम स्वरूप, सीआर और एडीआर में संयुक्त रूप से संचित 68,811 करोड़ रुपए की राशि जून 2005 के अंत में 10.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही।

VI. निष्कर्ष

8.101 रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र के अंतिम सात दशकों का विश्लेषण, इसके नीति व्यवस्था में बदलाव और इसके विकास में सहसंबंध तथा समष्टि आर्थिक परिवेश में परिवर्तन को प्रकट करता है। विभिन्न चरणों में रिजर्व बैंक के कार्यगत विकास के अनुरूप बैंक का तुलन-पत्र महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा है। निर्माणकारी वर्षों के दौरान नोट निर्गम कार्य की प्रमुखता से, आयोजना चरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक धीमे किन्तु निरंतर राजकोषीय उदयमान तक जो राजकोषीय के दबदबे की उत्कर्ष अवधि (और बैंकिंग व्यवस्था के संसाधनों के उच्चतर पूर्वक्रय) तक सुदृढ़ विकासात्मक भूमिका के साथ, रिजर्व बैंक तुलन-पत्र, 1990 के दशक के दौरान संरचनागत कायापलट के दौर से गुजरा है जिसमें विदेशी आस्तियों, लोक ऋण का बाजार निश्चयन और रिजर्व अपेक्षाओं में कमी का दबदबा रहा।

8.102 पार देशों के अनुभव बताते हैं कि, केंद्रीय बैंक उनके तुलन-पत्र के गठन पर निर्भर करते हुए, स्थूल रूप से दो श्रेणियों में आते हैं। उनमें से कुछ अपनी अधिकांश आस्तियाँ सरकारी प्रतिभूतियों में रखते हैं, जब कि अन्य अपनी आस्तियाँ विदेशी मुद्रा रिजर्व और स्वर्ण में रखते हैं। इनमें से पूर्ववर्ती एक राजकोषीय दबदबे के मामले को व्यक्त करते हैं, इनका केंद्रीय बैंक के राजस्व पर प्रभाव वित्तपोषण शर्तों से जुड़ जाता है, जो कड़े रूप में बाजार सिद्धांतों से जुड़ जाती हैं। दूसरे वर्ग का जोखिम प्रोफाइल अर्थात् केंद्रीय बैंक जिसके पास बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आस्तियाँ हैं, बड़ी मात्रा में अलग होता है, क्योंकि इसका तुलन-पत्र निरंतर, ब्याज और विनिमय दर जोखिमों के लिए मूल्यांकन परिवर्तनों और इसके प्रतिकूल प्रभावों के साथ जुड़े निहितार्थों सहित अनावृत्त रहता है। गत दिनों में रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में हुए, विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रति परिवर्तन और बैंक के जोखिम प्रतिलाभ प्रोफाइल के प्रति हुए गठनात्मक परिवर्तन के साथ, इस प्रकार की चिन्ताएं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व की हो जाती हैं। रिजर्व बैंक तुलन-पत्र में आस्तित्व गठन में परिवर्तन के साथ, विदेशी मुद्रा आस्तियों पर अपेक्षाकृत कम प्रतिलाभ, वैश्विक बाजारों में विनिमय और ब्याज दरों

में अस्थिरता तथा दैनिक आधार पर प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य मानदंड थे। अधिमूल्यन लाभों और अन्य जोखिमों को विषम व्यवहार के साथ अपनाना, जैसे बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम, हस्तक्षेप परिचालनों से पैदा हुई जोखिम, परिचालनगत जोखिम और अंतिम उधार प्रदाता जोखिम, रिजर्व बैंक तुलन-पत्र के स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अधिकतर महत्व के हो गए हैं और उन्होंने प्रभावी और पर्याप्त जोखिम प्रबंध उपायों को अपनाने की आवश्यकता की तीव्रता प्रतिपादित की है। अविनिमय चरण के दौरान वित्तीय आस्तियों की अस्थिरता ने रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र पर, इस सीमा तक कि, यह इसकी आस्तियों और देयताओं के संदर्भ में विषम है, प्रभाव डाला है। इन घटनाक्रमों की सक्रियता के संदर्भ में, बैंक द्वारा घरेलू और विदेशी आस्तियों दोनों के ही पुनर्मूल्यन को विवेकपूर्ण आधार पर सुनिश्चित करने तथा आकस्मिकता रिजर्व के रूप में पर्याप्त सहारा निर्माण के अनेक उपायों की पहल की है ताकि एक उदारीकृत परिवेश में नीतिगत लचीलापन प्रदान किया जा सके।

8.103 वैश्विक रूप में, वित्तीय आस्तियों के मूल्य में समष्टि आर्थिक असंतुलनों के संभावित प्रभाव के बारे में काफी अनिश्चितता है। यह केंद्रीय बैंकों के कार्य को उनके संभाग प्रबंध निर्णयों के संबंध में और भी कठिन बना देता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, विनिमय दर में कोई भी प्रतिकूल उतार चढ़ाव उनके विदेशी मुद्रा संविभाग में बड़ी हानियों को ला सकता है। यह मुद्दा विशेष रूप से उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों का निर्माण अल्पकालीन देयता लिखत या केंद्रीय बैंक पेपर को ब्याज की बाजार दरों पर जारी किया है तथा उन मामलों में जहाँ पुनर्मूल्यन जोखिमों को केंद्रीय बैंकों द्वारा वहन किया जाता है। यह रिजर्व बैंक के लिए भी सच है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व का प्रबंध करता है तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में विनिमय और ब्याज दर उतार-चढ़ावों मूल्यांकन प्रभावों को आत्मसात करता है।

8.104 इस परिप्रेक्ष्य में एक संगत मुद्दा जो है वह निष्क्रिय हस्तक्षेप का है। जबकि निष्क्रिय हस्तक्षेप अपने आप में, रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की आस्तियों के अंतर्गत समायोजन समाहित करते हैं, (घरेलू आस्तियों का विदेशी आस्तियों से स्थानापन्न करने के संदर्भ में), हाल के लिखत जैसे, बाजार स्थिरीकरण बांड, यद्यपि नवोन्मेषी हैं, तुलन-पत्र के विस्तार का कारण बनते हैं। तुलन पत्र का इस प्रकार का विस्तार, तदनुरूप आकस्मिकता रिजर्वों में वृद्धि आवश्यक बना देता है। इस प्रकार, आने वाले दिनों में, रिजर्व की ओर से, समुचित जोखिम प्रबंध नीति के उदय के कारण, आकस्मिकता भंडारों को अंतरित अधिशेषों और प्रावधानों का एक प्रासंगिक विश्लेषण आवश्यक होगा।

8.105 दूसरा महत्व का मुद्दा जो इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि केंद्रीय बैंकों को अब निजी क्षेत्र को प्रदान की जा रही विविध वित्तीय सेवाओं

के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आय पर बढ़ते निरंतर दबाव ने, समेकन उपायों के लिए प्रोत्साहित किया है, कम लागत पर सेवाएं प्रदान करना है, जो नई प्रौद्योगिकी से समर्थित हो। कतिपय केंद्रीय बैंकों द्वारा मूल्यकृत सेवा परिचालनों और अन्य प्रणाली व्यापक गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना शुरू कर दिया गया है ताकि इन सेवाओं के प्रावधान और मूल्य निर्धारण पर विचार बनाया जा सके।

8.106 जब कि रिज़र्व बैंक सरकार का बैंकिंग करोबार संचालित करना जारी रखे हुए है, विचार जो प्रमुखता पाता जा रहा है वह है कि, रिज़र्व बैंक को सरकार का खुदरा बैंकिंग व्यवसाय एजेन्सी बैंकों के पक्ष में सौंप देना चाहिए, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि दीर्घावधि में यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक, सरकार के केवल प्रमुख खातों को ही रखेगा, व रोजमर्रा के फुटकर बैंकिंग व्यवसाय को वाणिज्य बैंकों के लिए छोड़ देगा जो इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं (रेड्डी 2002)। दूसरा मुद्दा जो विचाराधीन है, सरकारी व्यवसाय के संपादन की लागत से संबंधित है। मौजूदा, व्यवस्था के अंतर्गत, बैंक सरकार के सामान्य व्यवसाय के सम्पादन के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है, अलावा इसके कि इसे नकदी शेष जमा राशि की धारिता पर जो बिना किसी ब्याज भुगतान दायित्व के इसके पास होती है पर जो लाभ उपचित होता है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक, एजेन्सी बैंकों को उनके द्वारा संपादित

सरकारी व्यवसाय को संचालित करने में आई लागत का पुनर्भरण करता है। देशों की प्रथाओं से विदित होता है कि अधिकांश देशों में सरकार का व्यवसाय करने की लागत संबंधित सरकार द्वारा वहन की जाती है, न कि केंद्रीय बैंक द्वारा। एजेन्सी बैंकों को पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में एक यौक्तीकरण उपाय पर विचार किया जा रहा है जिसमें वर्तमान लागत आधारित व्यवस्था का, एजेन्सी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय के लिए बोली व्यवस्था में बदलाव होगा।

8.107 अंततः दोहराने के लिए केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्र, वाणिज्यक संगठनों से भिन्न होते हैं। एक वृहत्तर केंद्रीय बैंक का तुलन-पत्र, अनिवार्य रूप से सुदृढ़ समष्टि अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं देते। उदाहरण के लिए, विकसित देशों के अनेक केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्र उनके देशों की अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले छोटे होते हैं। केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र को जहाँ एक ओर केंद्रीय बैंकिंग के सुदृढ़ सिद्धांतों जो मूल्य और वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करें के अनुपालन की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर इसकी विकासात्मक भूमिका की। इस विषय में पारदर्शिता एक अनिवार्य पूर्वशर्त है। केंद्रीय बैंक का पारदर्शित तुलन-पत्र, केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता में वृद्धि और मौद्रिक नीति की दक्षता में अभिवृद्धि के लिए लंबी दूरी का उपाय सिद्ध होगा। रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का गत लगभग सात दशकों से ऊपर का विकास, इन सिद्धांतों के प्रति साक्षी प्रदान करता है।

अनुबंध VIII.1 : लाभ वितरण से संबंधित चयनित देशों की प्रथाएं

देश	लाभ का वितरण
युरो प्रणाली	ईएससीबी विधान के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष में इसके लाभों का 20 प्रतिशत तक सामान्य रिजर्व कोष में अंतरित किया जा सकता है जो इसी बीज की पूंजी के समान सीमा के शर्ताधीन है। शेष बचा निवल लाभ केंद्रीय बैंक और इसीबी के अंशधारियों को उनकी प्रदत्त पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाना होता है। तथापि, प्रबंध निकाय, किसी भी वर्ष में सामान्य रिजर्व में निवल लाभ अंतरित न करने का फैसला ले सकती है।
जापान	बैंक ऑफ़ जापान कानून के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, राजकोषीय साल के लिए निवल आय का 5 प्रतिशत, कानूनी भंडारों (वास्तविक आबंटन अधिक हो सकता है) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है, जबकि अंशधारियों को उनकी हिस्सा राशि के अंकित मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा आय का शेष बचा सरकार को भुगतान किया जाता है।
आस्ट्रेलिया	रिजर्व बैंक अधिनियम 1959 की धारा 30 के अंतर्गत निवल लाभ जिनमें अप्राप्त लाभ रिजर्व को / से अंतरण शामिल है जो वितरण हेतु उपलब्ध हों, रिजर्व बैंक निदेशक के परामर्श से, खजाने की द्वारा निश्चित किए गए अनुसार रिजर्व बैंक, रिजर्व कोष में अंतरण और आकस्मिकताओं के लिए राशियाँ निकाल कर, सरकार को देय होते हैं। तथापि, वास्तविक लाभ वितरण को चरणबद्ध किया जाता है और एक से ज्यादा भागों में, जो एक से ज्यादा वित्तीय वर्ष में विस्तारित हो अंतरित किया जाता है।
सिंगापुर	वर्ष के लिए निवल लाभ, जिसमें मुद्रा फंड से रिजर्व का अंतरण शामिल है, सांविधिक निगम (समेकित कोष में योगदान) अधिनियम के अनुरूप वर्ष 2005 में हुए मुनाफे के 20 प्रतिशत की दर से तथा मुनाफे पर प्रतिलाभ को सरकार को समेकित कोष में योगदान के द्वारा भुगतान किया जाता है।
कोरिया	स्वैच्छिक रिजर्व में से अंतरण, निवल हानियों, यदि कोई हों तो, की पूर्ती की जाती है। इसके अतिरिक्त, हानि की स्थिति में, उदाहरण के लिए 2004 में पूर्व अवधि का अवितरित लाभ अधिशेष, सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अंतरित किया गया।
जर्मनी	सांविधिक रिजर्वों के लिए रखकर निवल लाभ संघीय सरकार को अंतरित किया जाता है। सांविधिक रिजर्व यदि उनकी निर्धारित उच्च सीमा पर हों तो सम्पूर्ण अधिशेष को सरकार को वितरित कर दिया जाता है।
कनाडा	बैंक का निवल राजस्व, कनाडा के महा प्राक्तक को भेज दिया जाता है क्योंकि सांविधिक रिजर्व 1955 से ही अपनी निर्धारित उच्च सीमा पर हैं।
पुर्तगाल	वर्ष के निवल लाभों को रिजर्व व राज्य के बीच बराबर आबंटन के लिए वितरित किया जाता है।
यू.के.	निर्गम (संपूर्ण) और बैंकिंग (कुछ राशि रिजर्व को आबंटित की जाती है) विभागों, दोनों के ही, लाभ खजाने को देय होते हैं।
स्वीडन	2004 में नकारात्मक स्थिति के बावजूद भी केंद्रीय बैंक ने खजाने को लाभांश भुगतान किया जिसका वित्तपोषण इसने मुद्रा नीति देयों में घटोतरी लाकर किया।
दक्षिणी अफ्रीका	दक्षिणी अफ्रीका रिजर्व बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 24 के अनुसार, आमतौर पर रखे जाने वाले प्रावधानों के पश्चात् तथा लाभांश भुगतान (प्रति शेयर 10 सेंट की दर से) अधिशेष का दस में से नौ हिस्सा सरकार को दिया जाता है, तथा दस में से एक हिस्सा सांविधिक रिजर्व कोष में जमा किया जाना होता है।
ब्राजील	रिजर्वों के गठन और उत्क्रमण के पश्चात् निवल लाभ को राष्ट्रीय खजाना में अंतरित किया जाता है। नकारात्मक परिणाम अर्थात् केंद्रीय बैंक के सभी परिचालनों से संबंधित राजस्व से ऊपर व्यय, केंद्रीय बैंक को खजाने का दायित्व बनाते हैं।
इटली	वर्ष का निवल लाभ, सामान्य रिजर्व और विशेष रिजर्व खातों में आबंटित किए जाने तथा अंशधारियों को लाभांश वितरण के पश्चात्, राज्य को अंतरित कर दिया जाता है।
नार्वे	अंतरण कोष, जिसे प्रावधानों के पश्चात् कोई अधिशेष हों से बनाया जाता है अथवा समायोजन कोष से अंतरण करके, में एक तिहाई पूंजी को खजाने को प्रतिवर्ष अंतरित कर दिया जाता है।
रूस	फेडरल बजट कानून 2005 के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, बैंक ऑफ़ रशिया को, फेडरल बजट में अपने मुनाफे का 80 प्रतिशत (पूर्व में 50 प्रतिशत तक) जो रशियन फेडरेशन के अनुसार कर और उत्पाद करों के भुगतान के पश्चात् 2004 के लिए शेष बचते हों, को फेडरल बजट को अंतरित करना होगा।
चिली	कानून 18,840 के अनुच्छेद 77 के अनुसार किसी भी वर्ष में होने वाला घाटा गठित रिजर्व को प्रभारित कर अवशोषित किया जाएगा। जब कोई रिजर्व न हों और यदि वे अपर्याप्त हों, एक निर्धारित अवधि में होने वाला घाटा, प्रदत्त पूंजी को प्रभारित करके अवशोषित किया जायेगा। तथापि, दिसंबर 2003 के अंत में, विदेशी मुद्रा आस्तियों में विनिमय दर उतार-चढ़ाव के प्रभाव के कारण अंशधारियों की इक्विटी भी हानियों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, परिणामतः शेयर धारकों की इक्विटी घाटे में रही।
संयुक्त राज्य अमरीका	फेडरल रिजर्व अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत, बोर्ड ऑफ़ गवर्नरों से रिजर्व बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे यू एस खजाने को, फेडरल रिजर्व नोटों पर अधिक आय को ब्याज के रूप में परिचालनों की लागत, लाभांशों का भुगतान और अधिशेष को पूंजीगत भुगतानों से समरूप करने के लिए आवश्यक राशि के लिए रिजर्व रखने, के पश्चात् अंतरित करें।

स्रोत : केंद्रीय बैंकों के तुलन पत्र

अनुबंध VIII.2 : सरकारी प्रतिभूतियों के चयनित केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा नामित बांड्स के मूल्यांकन मापदंड

आस्ट्रेलिया	घरेलू प्रतिभूतियों और विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन, जून के आखरी व्यवसाय दिवस को बाजार मूल्यों पर किया जाता है, अलावा जब वे पुनर्खरीद करार के अंतर्गत बिक्री के लिए सांविदा की जाती है।
कनाडा	विदेशी मुद्रा की आस्तियां और देयताओं का, तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर मूल्यांकन किया जाता है। खजाना बिलों और बांडों में निवेश लागत दर पर दर्ज किया जाता है, तथा खरीद बट्टों और प्रीमियम परिशोधन के लिए, खजाना बिलों और बैंक की स्वीकृतियों के लिए निरंतर प्रतिफल पद्धति और बांड्स के लिए सीधी कटौती प्रणाली का प्रयोग करते हुए समायोजित किया जाता है।
यूरो प्रणाली	यूरो प्रणाली समीकृत लेखांकन नियमों का अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण, विदेशी मुद्रा, प्रतिभूति धारिताएं और वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन बाजार दरों और प्रति तिमाही के अंत में कीमतों पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन, प्रतिभूतियों, ब्याज दर, अदला बदली, भावी सौदों, वायदा दर करार और अन्य ब्याज दर लिखतों के लिए एक मद से दूसरे मद के आधार पर किया जाता है।
जर्मनी	स्वर्ण, विदेशी मुद्रा लिखतों और वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन मध्य बाजार दरों और तुलन-पत्र की तिथि पर किया जाता है।
भारत	रिजर्व बैंक की विदेशी आस्तियों को, सप्ताह के अंतिम व्यावसायिक दिवस को प्रचलित दरों तथा मास के अंतिम व्यावसायिक दिवस को भी प्रचलित विनिमय दरों पर अंतरित किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों को छोड़कर, का मूल्यांकन वही मूल्य अथवा बाजार कीमत के निम्नतर स्तर पर, प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है ³¹ । खजाना बिलों का मूल्यांकन लागत पर होता है। स्वर्ण का मूल्यांकन माह के अंत में, लंदन में उद्भूत, उसी माह के लिए, दैनिक औसत कीमत, के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। एसडीआर और आरटीपी का मूल्यांकन आईएमएफ की सरकारी दरों पर किया जाता है। रुपए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्नतर स्तर पर किया जाता है। जहाँ इस प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, माह के अंतिम कारोबारी दिवस को प्रचलित प्रतिफल वक्र के आधार पर दरें निकाली जाती हैं।
जापान	राजकोषीय 2004 से प्रभावित प्रतिभूतियों का मूल्यन ऋण परिशोधन लागत पर जो चल औसत प्रणाली द्वारा निश्चित की जाती है, पर किया जाता है जब कि विदेशी मुद्रा मूल्यांकित बांडों का बाजार मूल्य पर, मूल्यन किया जाता है।
मलेशिया	स्वर्ण, प्रतिभूतियां और निवेश लागत पर दिखाए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में आस्तियों और दायित्वों का, घरेलू मुद्रा में पुनर्मूल्यन तुलन-पत्र की तारीख को चल रही विनिमय दरों पर किया जाता है।
पुर्तगाल	आस्तियों, देयताओं और इतर तुलन-पत्र लिखतों जो विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित हैं, को तुलन-पत्र की तारीख को, प्रचलित विनिमय दरों पर यूरो में बदल लिया जाता है, जब कि विदेशी मुद्रा में लेनदेन के संबंध में हुए विदेशी विनिमय लाभों या हानियों को, संबंधित भारत औसत लागत के संदर्भ में मद-दर-मद आधार पर निकाला जाता है। विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ बाजार मूल्य पर मूल्यांकित की जाती हैं जब कि गैर विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ ऐतिहासिक मूल्य पर दर्ज की जाती हैं।
रूस	कीमती धातुओं को उनके अंतिम हास मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन सरकारी विनिमय दरों पर किया जाता है। निवेश संविभाग की सरकारी प्रतिभूतियों को उनके अभिग्रहण मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है जबकि जो व्यापार संविभाग में हों बाजार दरों पर (अगर उपलब्ध हों) अन्यथा उनके अभिग्रहण मूल्य पर।
सिंगापुर	स्वर्ण, विदेशी आस्तियां और सरकारी खजाना बिल तथा बांड्स, लागत पर दिखाए जाते हैं। तथापि मूल्य हास यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है जो व्यक्तिगत निवेश आधारित लागत या बाजार मूल्य के न्यूनतर पर आधारित होता है। विदेशी मुद्रा में आस्तियाँ और देयताओं को, कुछ अपवादों के साथ, तुलन-पत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर घरेलू आस्तियों में अंतरित किया जाता है।
दक्षिणी अफ्रीका	वित्तीय लिखतों को शुरु लागत पर, जिसमें लेन-देन लागतें भी शामिल होती हैं, लागत पर आंका जाता है। इस के पश्चात के वित्तीय आस्तियों के मापकों को 'व्यापार के लिए रखी' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' को उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है (बाजार में उद्भूत वित्तीय लिखतों के लिए उद्भूत बाजार मूल्य तथा उद्भूत वित्तीय लिखतों के लिए स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकें) तथापि, वित्तीय आस्तियाँ जो 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकृत हैं, मूल ऋण और प्राप्तियां और गैर-व्यापार योग्य देयताओं का मापन, परिशोधन लागत पर किया जाता है तथा गुणवत्ता हास के लिए पुनर्मापन किया जाता है। विदेशी मुद्रा सौदों और स्वर्ण लेन देनों पर पुनर्मूल्यांकन लाभों और हानियों (वायदा विनिमय सौदों सहित) का बैंक की विवरणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये दक्षिणी अफ्रीकी सरकार के खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं।
थाईलैंड	घरेलू प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रीमियम अथवा बट्टों के परिशोधन के पश्चात लागत पर किया जाता है जबकि विदेशी प्रतिभूतियाँ लागत पर दिखाई जाती हैं।
यूके	सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य स्टर्लिंग ऋण प्रतिभूतियाँ निवेश प्रतिभूतियों के रूप में रखी जाती हैं तथा प्रीमियम या बट्टे के परिशोधन के लिए, समय के दौरान परिपक्वता अवधि तक सीधी कटौती प्रणाली आधारित, लागत समायोजित मूल्य पर आंकी जाती है। गैर स्टर्लिंग निवेश प्रतिभूतियाँ, मुद्रा के मूल्यवर्ग में लागत पर दर्ज की जाती हैं, प्रीमियम या बट्टे के, परिपक्वता अवधि तक, सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर परिशोधन के लिए समायोजित की जाती हैं।

³¹ विदेशी मुद्रा आस्तियों पर लाभ/हानि बही मूल्य के संदर्भ में निकाली जाती है।

अनुबंध VIII.3 : चयनित केंद्रीय बैंकों द्वारा अप्राप्त लाभों/हानियों का संसाधन

देश	अप्राप्त लाभों / हानियों का संसाधन
यूरो प्रणाली	तिमाही पुनर्मूल्यन से किए गए विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अप्राप्त विनिमय दर और बाजार कीमत मूल्यांकन लाभों, को आय के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जाता, लेकिन पुनर्मूल्यन खातों में जमा कर दिया जाता है। अप्राप्त हानियों को वर्ष के अंत में लाभ-हानि खाते में ले जाया जाता है, अगर वे पिछले पुनर्मूल्यन लाभों, जो देयताओं की ओर पुनर्मूल्यन खातों में पंजीकृत है को पार कर गया है। ऐसी हानियाँ, बाद में होने वाली संदर्भित आस्तियों या देयताओं की प्राप्ति पर प्रतिवर्ती योग्य हैं, न कि अन्य भावी अप्राप्त लाभों के विरुद्ध / किसी दी गई प्रतिभूति, या कोई विदेशी मुद्रा अथवा स्वर्ण धारिता के पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानियों को अन्य प्रतिभूतियों या मुद्राओं के अप्राप्त लाभों के विरुद्ध निवल नहीं किया जाता।
फ्रांस	अप्राप्त विदेशी विनिमय हानियों को लाभ-हानि खाते में ले जाया जाता है तथा बाद में 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व ऑफ़ स्टेट रिजर्व' में आहरण करके कवर किया जाता है।
यू.के.	जबकि कोई भी निवल अवशिष्ट अप्राप्त लाभ जो गैर स्टर्लिंग निवेश प्रतिभूतियों पर विनिमय दर उतार-चढ़ावों से होता हो, एक निवेश पुनर्मूल्यन रिजर्व में किसी अन्य अप्राप्त लाभ के साथ जो लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है, सभी विनिमय लाभ और हानियाँ जो गैर स्टर्लिंग प्रतिभूतियों जो सक्रिय प्रबंध के लिए उपलब्ध हों, में विनिमय दर उतार-चढ़ावों के कारण हों लाभ-हानि खाते में ले जाए जाते हैं।
स्वीडन	अप्राप्त कीमत और विनिमय लाभ और हानियाँ अलग से सूचित की जाती हैं। अप्राप्त लाभ और हानियों को विशेष पुनर्मूल्यन खातों में अंतरित किया जाता है। अगर, वर्ष के अंत में तदनु रूप पुनर्मूल्यन खाते में अप्राप्त हानियाँ, अप्राप्त लाभों से अधिक होती हैं, तो अंतर लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाता है। किसी एक विशिष्ट प्रतिभूति, एक विशिष्ट मुद्रा अथवा स्वर्ण में, अप्राप्त हानियों को अन्य प्रतिभूतियों, मुद्राओं अथवा स्वर्ण के विरुद्ध नेटिंग नहीं किया जाता है।
थाईलैंड	विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यन (कीमत) से अप्राप्त लाभों और हानियों को पूंजी के एक अलग अवयव के रूप में दिखाया जाता है और निपटान पर लाभ-हानि खाते में अभिनिर्धारित किया जाता है। विदेशी आस्तियों और देयताओं के वर्ष के अंत की विनिमय दरों में परिवर्तन के अप्राप्त लाभों और हानियों को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
आस्ट्रेलिया	विदेशी मुद्रा और विपणन योग्य विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों और आस्ट्रेलियाई डॉलर प्रतिभूतियों में परिवर्तन से उपजित अप्राप्त लाभों और हानियों को तुरंत लाभ में शामिल किया जाता है लेकिन केवल प्राप्त लाभ ही वितरण हेतु उपलब्ध होते हैं।
जर्मनी	अप्राप्त लाभों को आय के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जाता वरन् सीधे ही पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित कर दिया जाता है। अप्राप्त हानियों को लाभ-हानि खाते में ले जाया जाता है अगर वे तदनु रूपी पुनर्मूल्यन खाते में, पंजीकृत पिछले पुनर्मूल्यन लाभों को पार कर गए हैं। किसी भी दी गई प्रतिभूति, किसी मुद्रा और स्वर्ण धारिताओं की अप्राप्त हानियों को अन्य प्रतिभूतियों, मुद्राओं और स्वर्ण के विरुद्ध नेटिंग किया जाना अनुमत नहीं है।
पुर्तगाल	वित्तीय परिचालनों से उपजित प्राप्त लाभों और हानियों को निपटान तारीख पर लाभ-हानि खाते में ले जाया जाता है, जबकि बाजार मूल्य और भारत औसत लागत के बीच पुनर्मूल्यन अंतरों को वर्ष के दौरान, प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए एक विशिष्ट पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित कर दिया जाता है। वर्ष के अंत में, नकारात्मक पुनर्मूल्यन अंतरों को लाभ-हानि खाते में वित्तीय आस्तियों और स्थितियों पर 'अवलिखत' के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है। किसी एक प्रतिभूति या मुद्रा में पुनर्मूल्यन अंतरों को एक दूसरे के विरुद्ध नेटिंग नहीं किया जाता है।
दक्षिणी अफ्रीका	बिक्री के लिए उपलब्ध आस्तियों के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन से उपजित लाभों और हानियों को सीधे ही रिजर्व में अभिनिर्धारित किया जाता है, तथा इन आस्तियों की बिक्री पर, संचित लाभ या हानि को इक्विटी (रिजर्व खाता) में अभिनिर्धारित किया जाता है तथा जिस अवधि में यह होता है, उस अवधि की आय को विवरणी में अंतरित किया जाता है। ट्रेडिंग यंत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन से उपजित लाभों और हानियों, तथा वित्तीय लिखतों के प्रिमियम या बट्टों के परिशोधन पर, परिशोधित लागत पर आय विवरणी में, जिस अवधि में उपजित होते हैं, ले जाया जाता है।
भारत	केवल प्राप्त लाभों को ही अभिनिर्धारित किया जाता है। स्वर्ण के मूल्यन और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं पर हुए अप्राप्त लाभों/हानियों को लाभ-हानि खाते में नहीं ले जाया जाता वरन् मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में बुक किया जाता है।
रूस	अप्राप्त विनिमय दर अंतरों को 'उपचित विनिमय दर अंतरों' के रूप में हिसाब में लिया जाता है और लाभ हानि खाते में शामिल नहीं किया जाता है। तथापि, अगर 'उपचित विनिमय दर अंतरों' में शेष राशि पर्याप्त नहीं है, नकारात्मक अप्राप्त विनिमय दर अंतरों को, बैंक ऑफ़ रशिया के परिचालनगत खर्चों में हिसाब में लिया जाता है।
संयुक्त राज्य अमरीका	अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों और निवेश जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित हों, निपटान तारीख आधार पर, लागत पर दर्ज किए जाते हैं, तथा प्रिमियम या बट्टों की अभिवृद्धि को सीधी / कटौती आधार पर परिशोधन के लिए समायोजित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित निवेशों पर प्राप्त और अप्राप्त लाभों और हानियों जो, दैनिक आधार पर चालू बाजार विनिमय दरों के पुनर्मूल्यन से उपजित हों, 'विदेशी मुद्रा लाभों (हानियों), निवल' के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।